एफएमजीई
FMGE

स्क्रीनिंग टेस्ट
SCREENING TEST

सूचना बुलेटिन - अक्टूबर 2026
Information Bulletin - October 2026

- **विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा**
  Foreign Medical Graduate Examination

महत्वपूर्ण तिथियां / IMPORTANT DATES

प्रक्रियाएं / Processes	समयसीमा / Timelines
आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना **Online Submission of Application Form**	11-09-2026 (05:00PM onwards) **to** 25-09-2026 (till 11:55 PM)
सफल भुगतान वाले आवेदनों के लिए एडिट विंडो **Edit Window for All Payment Success Applications** (नाम, राष्ट्रीयता, ईमेल, आधार, मोबाइल नंबर और परीक्षा शहर को छोड़कर कोई भी जानकारी / दस्तावेज संपादित किया जा सकता है / Any information/documents can be edited except Name, Nationality, Email, Aadhaar, Mobile number and Test City)	29-09-2026 **to** 30-09-2026
दोषपूर्ण/गलत छवियों को सुधारने के लिए सेलेक्टिव एडिट विंडो / Selective Edit Window to rectify Deficient/Incorrect Images • फोटोग्राफ / Photograph • हस्ताक्षर / Signature • अंगूठे का निशान / Thumb Impression	03-10-2026 **to** 19-10-2026
आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेजों से संबंधित कमियों को सुधारने का अवसर **Opportunity to rectify deficiencies related to documents upload in the application:** 1. प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र (पीएमक्यूसी) / Primary Medical Qualification Certificate (PMQC) 2. संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा पीएमक्यूसी का एपोस्टिल/सत्यापन / Apostille/Attestation of PMQC by Indian embassy concerned 3. पात्रता प्रमाण पत्र या प्रवेश पत्र / Eligibility Certificate or Admission Letter 4. नागरिकता का प्रमाण / Proof of Citizenship	ऑनलाइन अपूर्ण दस्तावेज जमा करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से / Through Online Deficient Document Submission Portal पोर्टल 21-10-2026 को रात 11:55 बजे बंद हो जाएगा Portal will be closed on 21-10-2026, 11:55 PM **(इसके बाद कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा / No further opportunity shall be given)**
आवेदकों को परीक्षा शहर की जानकारी देना / Informing the test city to the Applicants	**20-10-2026**
प्रवेश पत्र जारी करना / Issue of Admit Cards	**27-10-2026**
परीक्षा की तिथि / Examination Date	**31-10-2026**
परिणाम की घोषणा / Declaration of Result	**by 30-11-2026**

अनुक्रमणिका / INDEX

क्र. सं. S. No.	विषय- सूची CONTENTS	पृ. सं. Page No.
1	भूमिका Introduction	4
2	उम्मीदवारों हेतु सूचना Information for Candidates	5
3	परीक्षा शुल्क Examination Fee	21
4	पात्रता मापदंड Eligibility Criteria	24
5	एफएमजी परीक्षा की योजना Scheme of FMG Examination	33
6	प्रवेश पत्र और परीक्षा दिवस की प्रक्रिया Admit Card and Test Day Procedures	37
7	एफएमजी परीक्षा के लिए केंद्र Centre for FMG Examination	53
8	ऑनलाइन एफएमजीई आवेदन पत्र भरने के निर्देश Instructions to Fill Online FMGE Application Form	58
9	सावधानी नोटिस, गैर-प्रकटीकरण समझौता और अनुचित साधन Caution Notice, Non-Disclosure Agreement and Unfair Means	80
10	परिणाम Result	89
11	संचार प्रोटोकॉल Communication Protocols	94
12	पाठ्यक्रम और परीक्षा ब्लू प्रिंट Syllabus and Exam Blue Print	97
13	छवि (फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान) अपलोड निर्देश Image (Photograph, Signature & Thumb Impression) Upload Instructions	98
14	अनुलग्नक Annexures	115

1. भूमिका / Introduction

एफएमजीई-स्क्रीनिंग टेस्ट को स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम 2002 के माध्यम से शुरू किया गया है।

The FMGE-Screening Test has been introduced through Screening Test Regulations 2002.

नियमों के अनुसार, "भारत के बाहर किसी भी चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदान की गई प्राथमिक चिकित्सा योग्यता रखने वाला भारतीय नागरिक / विदेशी भारतीय नागरिक जो दिनांक: 15.03.2002 को या उसके बाद भारतीय चिकित्सा परिषद या किसी राज्य चिकित्सा परिषद के साथ अनंतिम या स्थायी पंजीकरण प्राप्त करने का इच्छुक है, उसे अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार उस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

As per the regulations, "An Indian citizen / Overseas citizen of India possessing a primary medical qualification awarded by any medical institution outside India who is desirous of getting provisional or permanent registration with Medical Council of India or any State Medical Council on or after 15.03.2002 shall have to qualify a screening test conducted by the prescribed authority for that purpose as per the provisions of section 13 of the Act.

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) को स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम 2002 के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एनबीईएमएस की भूमिका परीक्षा आयोजित करने, परिणाम प्रकाशित करने और परिणाम को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और सभी राज्य चिकित्सा परिषदों को सौंपने तक सीमित है।

National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) has been entrusted with the responsibility to conduct the Screening Test as per Screening Test Regulations 2002. Role of NBEMS is limited to conduct of the test, publishing the result and handing over the result to National Medical Commission & all State Medical Councils.

2.उम्मीदवारों हेतु सूचना / Information for Candidates

2.1. एफएमजीई का पिछला सेशन (जून 2026) **28-06-2026** को आयोजित किया गया था। एनबीईएमएस अब साल में तीन बार एफएमजीई (स्क्रीनिंग टेस्ट) आयोजित करेगा। 'महत्वपूर्ण तारीखों' और 'परीक्षा की योजना' में बताई गई समय-सीमा के अनुसार, अगला स्क्रीनिंग टेस्ट **31-10-2026** को होना तय है।

The previous session (June 2026) of the FMGE was conducted on **28-06-2026**. NBEMS shall now be conducting FMGE (Screening Test) three times in a year. As per timelines specified under 'Important Dates' and the 'Scheme of Examination', the next screening test is scheduled for **31-10-2026**.

2.2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे **एफएमजीई अक्टूबर 2026** के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सूचना बुलेटिन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सूचना बुलेटिन में दिए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के निर्देशों के साथ-साथ एनबीईएमएस वेबसाइट **https://natboard.edu.in** पर एफएमजीई सूचकांक पृष्ठ को ध्यान से पढ़ें।

Candidates are advised to **read the Information Bulletin carefully** and go through the instructions regarding submission of online application form given in the information bulletin as well as on FMGE index page on NBEMS website **https://natboard.edu.in** before starting online submission process for **FMGE October 2026 .**

2.3. **ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी करने पर यह मान लिया जाएगा कि उम्मीदवार ने एफ़एमजीई अक्टूबर 2026 के लिए सूचना बुलेटिन को पढ़ लिया है और उसमें दी गई सभी शर्तों व निबंधनों को स्वीकार कर लिया है।**

Candidates are deemed to have read, agreed and accepted the Information Bulletin and the terms and conditions in the Information Bulletin for FMGE October 2026 on completing the online submission of application form.

2.4. आधार प्रमाणीकरण / Aadhaar Authentication:

2.4.1. राजपत्र संख्या **CG-DL-E-10092025-266044 दिनांक 09.09.2025** के अनुसार, एनबीईएमएस को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी गई है और आधार नंबर धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार नंबर के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त राजपत्र **अनुलग्नक-VII** पर संलग्न है।

As per the Gazette No. **CG-DL-E-10092025-266044 dt. 09.09.2025**, NBEMS is allowed to perform authentication and is permitted the use of Aadhaar during

authentication for establishing identity of Aadhaar holder. The said gazette is attached at **Annexure-VII.**

2.4.2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अत्यधिक सावधानी के साथ अपना आधार दर्ज करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म के **“Identification details”** (पहचान संबंधी जानकारी) टैब में एक बार आधार की जानकारी सबमिट हो जाने के बाद, ***इसे एप्लीकेशन प्रोसेस के किसी भी चरण या एडिट विंडो में बदला या अपडेट नहीं किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी से आधार की जानकारी दर्ज करें।***

The Aadhaar, once submitted in **“Identification details”** tab in online application form, ***cannot be modified or updated at any stage or in edit window*** **of the application process.** ***Candidates are advised to enter the Aadhaar with utmost care.***

2.4.3. एनबीईएमएस, आधार अधिनियम 2016, उसके तहत बने नियमों और विनियमों, और समय-समय पर जारी सरकारी नोटिफ़िकेशन के प्रावधानों के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े उम्मीदवारों की पहचान स्थापित करने और उसे वेरिफ़ाई करने के मकसद से ही आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करता है।

NBEMS utilizes Aadhaar based authentication solely for the purpose of establishing and verifying the identity of candidates in connection with the examination process, in accordance with the provisions of the Aadhaar Act, 2016, the rules and regulations made thereunder, and relevant Government notifications issued from time to time.

एनबीईएमएस आधार प्रमाणीकरण के उद्देश्य से उम्मीदवार का **आधार स्टोर या अपने पास सुरक्षित नहीं रखता है।** आधार प्रमाणीकरण, भारत सरकार और यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित लागू कानूनी और तकनीकी ढांचे के अनुसार अधिकृत प्रमाणीकरण इकोसिस्टम के माध्यम से किया जाता है।

NBEMS does not store or retain the Aadhaar Number, of the candidate for the purpose of Aadhaar authentication. Aadhaar authentication is undertaken through the authorized authentication ecosystem in accordance with the applicable legal and technical framework prescribed by the Government of India and UIDAI.

आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल सिर्फ़ उम्मीदवार की पहचान की पुष्टि करने के लिए एक सुविधा के तौर पर किया जाता है और इसे परीक्षा के लिए पात्रता का सबूत नहीं माना जाएगा। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के दौरान मिली जानकारी का इस्तेमाल एनबीईएमएस परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, गलत तरीकों (unfair means) के मामलों की रोकथाम और जांच, कानूनी कार्यवाही, नियमों के पालन और परीक्षा / एडमिशन प्रोसेस से जुड़े अन्य कानूनी कामों के लिए कर सकता है, बशर्ते यह लागू कानूनों और तकनीकी मानकों के तहत मान्य हो।

Aadhaar based authentication is used only as a facilitative measure for candidate identity verification and shall not be treated as proof of eligibility for the examination. Information generated as part of the authentication process, to the extent permitted under applicable laws and technical standards, may be utilized by NBEMS for examination administration, security, prevention and investigation of unfair means cases, judicial proceedings, regulatory compliance and other lawful purposes connected with the examination / admisssion process.

2.5. **एफ़एमजीई अक्टूबर 2026** के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों का इस्तेमाल एनबीईएमएस द्वारा परीक्षा और उसके संचालन, उम्मीदवार के सत्यापन, पहचान की पुष्टि, परीक्षा की सुरक्षा, अनुचित साधनों के मामलों की रोकथाम और जांच, परिणाम तैयार करने, नियमों के पालन, ऑडिट, न्यायिक कार्यवाही और परीक्षा व प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

The information and documents furnished by candidates in relation to **FMGE October 2026** shall be processed by NBEMS for examination & its administration, candidate verification, identity authentication, examination security, prevention and investigation of unfair means cases, result processing, regulatory compliance, audit, judicial proceedings and other lawful purposes connected with the examination and admission process.

ऐसी जानकारी उन तय काउंसिलों/अधिकारियों, एडमिशन अधिकारियों, रेगुलेटरी बॉडीज़, अदालतों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों और परीक्षा, एडमिशन प्रोसेस या कानूनी ज़रूरतों से जुड़े काम करने के लिए अधिकृत अन्य संस्थाओं के साथ भी शेयर की जा सकती है, जहाँ ऐसा करना ज़रूरी हो और लागू कानून के तहत इसकी इजाज़त हो।

Such information may also be shared, where necessary and permissible under applicable law, with designated councils/authorities, admission authorities, regulatory bodies, courts, law-enforcement agencies, government authorities and other entities authorized to perform functions related to the examination admission process or statutory requirements.

2.6. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय दर्ज की गई सभी जानकारी सही और तथ्यात्मक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी को सही माना जाएगा और **एनबीईएमएस किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।** आवेदन पत्र में दर्ज की गई कुछ जानकारी को संपादित करने का विकल्प उम्मीदवारों को एडिट विंडो के दौरान उपलब्ध होगा। एडिट विंडो के बारे में विवरण के लिए कृपया आवेदन पत्र भरने के निर्देशों पर अध्याय देखें। **आवेदन फ़ॉर्म में दी गई जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने की पूरी ज़िम्मेदारी उम्मीदवार की होगी।**

Candidate should ensure that all the information entered during the online submission of application form is correct and factual. Information provided by the candidates in the online application form shall be treated as correct and **NBEMS will not entertain, under any circumstances, any request for change in the information provided by the**

candidates. The option of editing certain information entered in the application form shall be available to the candidates during the edit window. Please refer Chapter on Instructions to fill Application Form for details regarding Edit Window. **The candidate shall bear sole responsibility for ensuring the accuracy of the information provided in the application form.**

2.7. **एनबीईएमएस स्वयं किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र के ऑनलाइन जमा करने के समय उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई किसी भी जानकारी को संपादित/संशोधित/बदल नहीं सकता है।** एडिट विंडो बंद होने के बाद आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में कोई भी बदलाव करने के लिए आवेदन पत्र तक पहुँचने का कोई प्रावधान नहीं है। **किसी भी तरह के बदलाव के ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।** हालाँकि, उम्मीदवार निर्धारित कट-ऑफ तिथियों तक अपलोड की गई छवियों और दस्तावेजों के संबंध में अपने आवेदन में कमियों (यदि एनबीईएमएस द्वारा सूचित किया जाता है) को सुधारने में सक्षम होंगे।

NBEMS itself does not edit / modify / alter any information entered by the candidates at the time of online submission of application form under any circumstances. There is no provision of accessing the application form to make any changes in the information provided in the application form after closure of edit window. **Such requests to make any changes shall not be entertained**. Candidates, however, shall be able to rectify the deficiencies in their application (if so communicated by NBEMS) regarding images and documents uploaded by the prescribed cut-off dates.

2.8. एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए आवेदन केवल एनबीईएमएस वेबसाइट **https://natboard.edu.in** के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

Application for FMGE October 2026 can only be submitted online through NBEMS website **https://natboard.edu.in**

आवेदन जमा करने के लिए कोई अन्य पद्धति नहीं है। किसी अन्य माध्यम से जमा किया गया आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।
There is no other methodology for application submission. Application submitted through any other mode shall be summarily rejected.

2.9. कृपया एफएमजीई ***आवेदन पत्र भरने के निर्देशों*** से संबंधित अध्याय का संदर्भ लें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों की समीक्षा कर लें और यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर उसमें सुधार कर लें। उम्मीदवार ध्यान दें कि आवेदन पत्र में किसी भी कमी/त्रुटि के संबंध में एनबीईएमएस द्वारा उन्हें सूचित किया जा सकता है, ***तथापि, यह सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि सूचना विवरणिका के अनुसार प्रस्तुत किया गया आवेदन सभी दृष्टिकोणों से पूर्ण है***। यदि आवेदन में कोई ऐसी कमी, जिसके

बारे में एनबीईएमएस द्वारा परीक्षा के आयोजन से पहले आवेदक को सूचित नहीं किया गया था, बाद के किसी चरण में ध्यान में आती है, तो इससे उम्मीदवार के पक्ष में कोई साम्या (न्यायोचित अधिकार) उत्पन्न नहीं होगा और न ही परीक्षा के लिए पात्रता प्रदान करने हेतु उम्मीदवार को कोई अधिकार प्राप्त होगा।

Please refer Chapter on ***Instructions to Fill FMGE Application Form***. Candidates are advised to review their applications submitted and rectify the deficiencies, if found any, within the window as detailed below. Candidates may note that deficiency in the application form may be communicated to them by NBEMS, however**, *it shall be the sole responsibility of the applicant to ensure that the application submitted is complete in all aspects as per the information bulletin.*** If any deficiency in the application which was not communicated by NBEMS to the applicant before conduct of the examination, is noted at any later stage, this would not create any equity in favour of the candidate and confer any rights on to the candidates for grant of eligibility for the examination.

2.9.1. एडिट विंडो: जिन उम्मीदवारों ने आवेदन जमा करने की विंडो के दौरान सफलतापूर्वक अपना भुगतान जमा कर दिया है**,** उन्हें केवल **29-09-2026 से 30-09-2026** के दौरान अपने आवेदन को संपादित करने की अनुमति दी जाएगी। एडिट **विंडो के दौरान कोई नया आवेदन पंजीकृत नहीं किया जा सकता है या भुगतान नहीं किया जा सकता है।** *नाम, राष्ट्रीयता, ईमेल आईडी, आधार, मोबाइल नंबर और टेस्ट सिटी को छोड़कर किसी भी जानकारी / दस्तावेज को एडिट विंडो के दौरान बदला/सही किया जा सकता* है। एडिट विंडो बंद होने से पहले जानकारी को कितनी भी बार एडिट किया जा सकता है। अंतिम बार सबमिट की गई जानकारी रिकॉर्ड में सेव की जाएगी। **अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय 8 के पैरा 8.26 को देखें।**

Edit Window: Candidates who have successfully submitted their payment for the application during "**Online Application Submission window"** shall only be allowed to edit their applications during **29-09-2026 to 30-09-2026. No new application can be registered or payment can be made during edit window.** Any information / document can be changed / corrected during the edit window *except for Name, Nationality, Email ID, Aadhaar, Mobile Number and Test City*. Information can be edited any number of times before the closure of the window. The last submitted information will be saved in records. **Kindly refer para 8.26 in Chapter 8 for further details.**

2.9.2. सेलेक्टिव एडिट विंडो: एडिट विंडो बंद होने के बाद, उम्मीदवारों द्वारा अपलोड की गई छवियों (फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान) की जांच एनबीईएमएस द्वारा इमेज स्क्रूटनी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। जिन उम्मीदवारों की अपलोड की गई छवियां त्रुटिपूर्ण पाई जाती हैं या निर्धारित इमेज अपलोड दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं होती हैं, उन्हें ईमेल और/या उनके आवेदक

लॉगिन डैशबोर्ड के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इन उम्मीदवारों को **03-10-2026 से 19-10-2026** तक **सेलेक्टिव एडिट विंडो** के दौरान अपनी त्रुटिपूर्ण छवियों को अपडेट करने की अनुमति दी जाएगी। **विस्तृत विवरण के लिए कृपया अध्याय 8 में खंड 8.30 देखें। इसके बाद सुधार करने का कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा।** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन में छवियां कड़ाई से निर्धारित इमेज अपलोड दिशानिर्देशों के अनुसार ही जमा करें। **दिशानिर्देशों के अनुरूप छवियां जमा न करने और/या त्रुटिपूर्ण छवियों को ठीक न करने की स्थिति में आवेदन निरस्त (रिजेक्ट) कर दिया जाएगा।**

Selective Edit Window: Subsequent to the closure of the Edit Window, uploaded images (photograph, signature, and thumb impression) of the candidates shall be scrutinized by NBEMS through the Image Scrutiny Portal. Candidates whose uploaded images are found to be deficient or non-compliant with the prescribed Image Upload Guidelines shall be informed via email and/or their applicant login dashboard. These candidates will be allowed to update their deficient images during the selective edit window from **03-10-2026 to 19-10-2026**. **Kindly refer to clause 8.30 in Chapter 8 for further details. No further opportunity shall be given to make corrections.** Candidates are advised to submit the images in their application strictly as per the prescribed image upload guidelines. **Failure to submit images in accordance with the guidelines and/or failure to rectify the incorrect images shall lead to the rejection of the application.**

2.9.3. अपलोड किए गए दस्तावेजों से संबंधित कमी (प्राथमिक चिकित्सा योग्यता रखने का प्रमाण, संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र का सत्यापन / एपोस्टिल, पात्रता प्रमाण पत्र / प्रवेश पत्र, नागरिकता का पहचान प्रमाण आदि) को **21-10-2026 तक** ठीक किया जा सकता है। ***जो उम्मीदवार अपेक्षित दस्तावेज जमा करने में विफल रहेंगे, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।***

Deficiency related to documents uploaded (Proof of possessing Primary Medical Qualification, attestation of Primary Medical Qualification certificate by Indian Embassy concerned / apostille, Eligibility Certificate / Admission Letter, Identity Proof of Citizenship etc.) can be rectified **by 21-10-2026**. ***Candidates who fail to submit the requisite documents will not be allowed to appear in the exam.***

2.9.4. ऐसे उम्मीदवार जो आवश्यक दस्तावेजों के साथ एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं ***और / या*** सुधार के लिए निर्धारित अंतिम तिथि (**यानी 21-10-2026**) तक अपने आवेदनों की ***कमियों/त्रुटियों को दूर करने में विफल रहते***

हैं, उन्हें अपात्र (INELIGIBLE) घोषित कर दिया जाएगा। **परीक्षा के आयोजन से पहले अपात्र घोषित किए गए उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।** ऐसे मामलों में, पूरा शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। एफएमजीई के किसी भी पिछले सत्र (सत्रों) में प्रवेश पत्र जारी किया जाना, उन उम्मीदवारों के लिए एफएमजीई अक्टूबर 2026 हेतु भी प्रवेश पत्र जारी करने का आधार नहीं होगा, जिन्हें अधूरे आवेदनों के कारण एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए अपात्र घोषित किया गया है।

Candidates who fail to submit duly completed applications for FMGE October 2026 with ***requisite documents and / or fail to rectify the deficiencies in their applications*** by the **last date prescribed (i.e. 21-10-2026)** for rectification ***shall be declared INELIGIBLE.*** **Admit Card shall not be issued to candidates who are declared ineligible before conduct of examination.** In such cases, the entire fees will be forfeited. *Issuance of admit card in any previous session(s) of FMGE shall not be a ground to issue an admit card for FMGE October 2026 as* well for such candidates who are declared INELIGIBLE for FMGE October 2026 due to incomplete applications.

2.10. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यह पक्का कर लें कि दी गई जानकारी सही है और उसके साथ ज़रूरी दस्तावेज़ भी हैं। एप्लीकेशन फ़ॉर्म में (*) निशान वाले कॉलम भरना ज़रूरी है और उन्हें खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर एप्लीकेशन फ़ॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो उस पर दोबारा विचार करने के लिए कोई बातचीत या अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Candidates are advised to ensure that the information provided is factual and supported with documents. Columns marked (*) in the application form are mandatory and cannot be left blank. In the event of rejection of the application form, no correspondence / request for re-consideration will be entertained.

2.11. उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे अपनी निजी जानकारी, परीक्षा से जुड़े दस्तावेज़, आवेदन की जानकारी, लॉगिन क्रेडेंशियल, ओटीपी, पहचान-पत्र, फ़ोटो, एडमिट कार्ड, स्कोरकार्ड या कोई भी अन्य संवेदनशील जानकारी किसी भी तीसरे पक्ष, परीक्षा की तैयारी कराने वाली सेवा देने वाली कंपनी, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, एजेंसी या व्यक्ति के साथ साझा न करें।

Candidates are strongly cautioned not to share their personal information, examination-related documents, application details, login credentials, OTPs, identity documents, photographs, admit cards, scorecards, or any other sensitive information with any third party, exam preparation service provider, online platform, agency, or individual.

इस तरह की जानकारी का खुलासा करने से अनधिकृत बातचीत, किसी और का रूप धरने की कोशिश, पहचान की चोरी, धोखाधड़ी, परीक्षा में गड़बड़ी या अन्य तरह के दुरुपयोग का खतरा काफी बढ़ जाता है। एनबीईएमएस किसी भी संस्था या व्यक्ति को अपनी ओर से उम्मीदवारों से परीक्षा से जुड़ी या व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करने, मांगने या हासिल करने के लिए अधिकृत नहीं करता है।

Disclosure of such information significantly increases the risk of unauthorized communications, impersonation attempts, identity theft, fraudulent activities, examination malpractices, or other forms of misuse. NBEMS does not authorize any entity or individual to collect, solicit, or seek examination-related or personal information from candidates on its behalf.

अगर उम्मीदवार किसी तीसरे पक्ष को जानकारी या दस्तावेज़ अनधिकृत रूप से देते हैं और उससे कोई बुरा नतीजा, धोखाधड़ी या नुकसान होता है, तो एनबीईएमएस इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एनबीईएमएस की ओर से सीधे जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और बिना मांगी गई रिक्वेस्ट के प्रति सतर्क रहें।

NBEMS shall not be held liable or responsible for any adverse consequences, fraud, or loss arising from the unauthorized disclosure of information or documents by the candidates to any third party. Candidates are advised to rely solely on official communications issued directly by NBEMS and to remain vigilant against unsolicited requests.

2.12. एक उम्मीदवार एफएमजीई अक्टूबर 2026 आवेदन पत्र **केवल एक बार** ही जमा कर सकता है। यदि किसी उम्मीदवार ने एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए हैं, तो ***एनबीईएमएस उच्चतर क्रम के आवेदन क्रम संख्या (आवेदन आईडी) वाले आवेदन को प्रवेश पत्र जारी कर सकता है और अन्य आवेदनों को रद्द कर सकता है और उनके लिए शुल्क जब्त कर सकता है।*** यदि परीक्षा / प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी चरण में एनबीईएमएस द्वारा किसी अनुचित व्यवहार का पता चलता है, तो एनबीईएमएस ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है और उन्हें अनुचित साधन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एनबीईएमएस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने से रोक सकता है।

A candidate can submit FMGE October 2026 application form **only once**. If a candidate is found to have submitted more than one application form for FMGE October 2026, ***NBEMS may issue admit card to the application bearing higher order Application sequence number (application ID)*** **and** ***cancel other application(s) forfeiting the fee for them*****.** In an event any unfair practice is detected by NBEMS at any stage of examination / admission process, NBEMS may cancel the candidature of such candidates and debar them from appearing in any examinations conducted by NBEMS as per provisions of the Unfair Means Guidelines.

2.13. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक अपनी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर लें और उनकी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा पुष्टि की गई हो कि यह उस देश में चिकित्सा

व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता है जिसमें उक्त योग्यता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि उनकी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उम्मीदवारी / परिणाम रद्द कर दिया जाएगा / रद्द माना जाएगा।

Candidates should ensure before submission of online application form that they shall qualify the final examination for their primary medical qualification by the prescribed cut-off date and their primary medical qualification shall be confirmed by the concerned Indian Embassy, to be a recognized qualification for enrolment as medical practitioner in the country in which the institution awarding the said qualification is situated. If it is found at any point of time that their primary medical qualification is not recognized, the candidature / result shall be cancelled / deemed to be cancelled.

2.14. यदि कोई उम्मीदवार एफएमजीई के किसी भी चरण में अपात्र पाया जाता है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में कोई अपात्र अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होता है और/या उसे उत्तीर्ण कर लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम / उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा और/या रद्द माना जाएगा; भले ही परिणाम घोषित किया जा चुका हो अथवा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र भी जारी किया जा चुका हो।

Candidates found ineligible at any stage of the FMGE will not be permitted to appear for the examination. In the unlikely event that an ineligible candidate appears for and/or passes the FMGE, their candidature and results shall be cancelled, even if the results have already been declared or a passing certificate has been issued

2.15. उम्मीदवारों को **31-08-2026 को / उससे पहले** अपनी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता यानी एमबीबीएस या समकक्ष डिग्री के लिए अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए और एफएमजीई के लिए आवेदन करते समय उसे उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित कट ऑफ तिथि अर्थात् **31-08-2026** तक प्राथमिक चिकित्सा योग्यता उत्तीर्ण करने के दावे को सहायक दस्तावेजों के साथ साबित करने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

Candidates should have qualified the final examination for their Primary Medical Qualification i.e. MBBS or Equivalent degree **on / before 31-08-2026** and must submit a proof of passing the same while applying for the FMGE. If a candidate fails to substantiate the claim of having passed the primary medical qualification by the prescribed cut-off date i.e. **31-08-2026** with supportive documents, his / her candidature shall be cancelled.

2.16. **फोरेन मेडिकल डिग्री को या तो भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या संबंधित फोरेन कंट्री के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अपॉस्टिल किया जाना चाहिए।** कृपया ध्यान दें कि अपॉस्टिल

/ सत्यापन 5 अक्टूबर 1961 के हेग कन्वेंशन की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, जिसमें विदेशी सार्वजनिक दस्तावेज़ **(एपोस्टिल कन्वेंशन)** के लिए वैधीकरण की आवश्यकता को समाप्त किया गया है। अपॉस्टिल दस्तावेजों के बारे में विवरण के लिए, उम्मीदवार विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट देख सकते हैं। बिना प्रमाणित प्रमाण पत्र / दस्तावेजों को जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि **(i.e. 21-10-2026)** के बाद प्रमाणित प्रमाण पत्र एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए पात्रता के उद्देश्य से विचार नहीं किए जाएंगे।

The foreign medical degrees should be attested either by the Embassy of India or should be Apostilled by the appropriate authority of the foreign country concerned. Kindly note that the apostilled / attestation is to be in accordance with the requirements of Hague Convention of 05th October 1961 abolishing the requirement of legalisation for Foreign Public Document **(Apostille Convention).** For details regarding Apostilled documents, candidates may refer to the website of Ministry of External Affairs, Govt. of India. Unattested certificates / Certificates attested after the last date prescribed for submission of documents **(i.e. 21-10-2026)** shall not be considered for the purpose of eligibility for FMGE October 2026.

2.17. उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि एफएमजीई में शामिल होने से उन्हें राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) या किसी राज्य चिकित्सा परिषद (एसएमसी) के साथ अनंतिम या स्थायी पंजीकरण सुरक्षित करने का कोई स्वचालित अधिकार नहीं मिलता है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग या किसी राज्य चिकित्सा परिषद के साथ अनंतिम या स्थायी पंजीकरण राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 और निरस्त भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अनुसार मानदंडों को पूरा करने के अधीन है।

Candidates may kindly note that appearance in FMGE does not confer any automatic rights to secure provisional or permanent registration with the National Medical Commission (NMC) or any State Medical Council (SMC). The provisional or permanent registration with the National Medical Commission or any State Medical Council is subject to fulfilling the criteria as per the National Medical Commission Act, 2019 and the repealed Indian Medical Council Act, 1956.

2.18. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड के लिए इस बुलेटिन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पात्रता और अन्य मुद्दों से संबंधित प्रश्नों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब मांगी गई जानकारी सूचना बुलेटिन या एनबीईएमएस वेबसाइट में नहीं दी गई हो। **पात्रता और परीक्षा परिणामों को प्रकट करने के संबंध में आवेदक के अभिभावकों / माता-पिता / जीवनसाथी द्वारा टेलीफोन पर किए गए किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।**

Candidates should go through this bulletin carefully for eligibility criteria before applying. Queries pertaining to eligibility and other issues will only be entertained if the information requested is not given in the bulletin of information or NBEMS website. **No queries of the applicant's guardians / parents/spouse will be entertained over the telephone with regard to eligibility and disclosure of results.**

2.19. जो उम्मीदवार ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ पूरी तरह से भरे हुए आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, या सुधार के लिए तय आखिरी तारीख तक आवेदन में कमियों को ठीक नहीं कर पाते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। **अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।** ऐसे मामलों में, पूरी फ़ीस ज़ब्त कर ली जाएगी।

Candidates who fail to submit duly completed applications with requisite documents and/or fail to rectify the deficiencies in the application by the last date prescribed for rectification shall be declared ineligible. **Admit Card shall not be issued to candidates who are declared INELIGIBLE.** In such cases, the entire fees will be forfeited.

2.20. झूठी या मनगढ़ंत जानकारी देने वाले उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारों को एनबीईएमएस या अन्य संस्थानों द्वारा भविष्य में आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। अगर गलत या बनावटी रिकॉर्ड/जानकारी दी जाती है या किसी भी अनुचित तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, तो एनबीईएमएस उचित समझे जाने वाली कार्रवाई करेगा।

Applications of candidates producing false or fabricated information shall not be considered and candidates may be further debarred from appearing in any future examinations conducted by NBEMS or other Institutions. Action as deemed appropriate by NBEMS will be taken if false or fabricated records / information is submitted or any unfair means are used.

2.21. एफएमजी परीक्षा के किसी भी चरण में अपात्र पाए गए उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में, यदि कोई अपात्र उम्मीदवार एफएमजी परीक्षा में शामिल होता है और / या उसे उत्तीर्ण कर लेता है, तो ऐसे उम्मीदवार का परीक्षा फल (परिणाम) / उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा और / या उसे रद्द माना जाएगा, *भले ही परीक्षा फल घोषित किया जा चुका हो या उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (पास सर्टिफिकेट) जारी किया जा चुका हो।*

Candidate found ineligible at any stage of FMG Examination, will not be permitted to appear in the examination. In an unlikely event of any ineligible candidate appearing and / or passing the FMG examination, the results / candidature of such candidate shall be cancelled and / or is deemed to be cancelled, *even if result has been declared or Pass Certificate has been issued.*

2.22. **एनबीईएमएस के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी ऐसे उम्मीदवार को, जो एफएमजी परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र नहीं है, अनजाने में दी गई अनुमति को वापस ले ले,** *भले ही प्रवेश पत्र / रोल नंबर जारी कर दिया गया हो या नाम / अनुक्रमांक एनबीईएमएस वेबसाइट पर प्रदर्शित हो।*

NBEMS reserves the right to withdraw permission, if any, granted inadvertently to any candidate who is not eligible to appear in the FMG Examinations *even though the Admit Card / Roll Number has been issued or Name / Roll Number is displayed on NBEMS website.*

2.23. **किसी भी परिस्थिति में शुल्क न तो भविष्य की परीक्षा में शामिल किया जाएगा और न ही वापस किया जाएगा। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता।**

Fee shall neither be carried forward to any future exam nor refunded under any circumstances. Application once submitted cannot be withdrawn.

2.24. उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतया अस्थायी है तथा इस सूचना बुलेटिन में निर्धारित पात्रता मानदण्डों तथा चिकित्सा परिषदों में पंजीकरण के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन है।

Candidates' eligibility is purely provisional & is subjected to the fulfilment of eligibility criteria as prescribed in this Information Bulletin and as per the stipulations laid down in the Screening Test Regulations for seeking registration with medical councils.

2.25. सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देश समय-समय पर एनबीईएमएस द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर परिवर्तित हो सकते हैं।

Instructions in the information bulletin are liable to change based on decisions taken by the NBEMS from time to time.

2.26. **एनबीईएमएस किसी भी समय परीक्षा कार्यक्रम, पैटर्न, नीति और दिशा-निर्देशों को बदलने का पूर्ण अधिकार रखता है।** उम्मीदवार को एनबीईएमएस के पिछले या वर्तमान कार्यक्रम, नीति और दिशा-निर्देशों से किसी भी अधिकार का दावा करने / प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

NBEMS reserves its absolute rights to alter the examination schedule, pattern, policy and guidelines at any time. The candidate shall have no right whatsoever for claiming / deriving any right from past or present schedule, policy and guidelines of NBEMS.

एनबीईएमएस इस सूचना बुलेटिन में निहित किसी भी या कुछ निर्देशों / दिशानिर्देशों को बदलने, संशोधित करने, संशोधित करने या लागू करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है। मौजूदा अनुसूची, पैटर्न, नीति और दिशानिर्देश केवल त्वरित संदर्भ के लिए हैं, लेकिन किसी भी तरह से उन्हें इस तथ्य का प्रतिनिधि या स्वीकृति नहीं माना जाना चाहिए कि एनबीईएमएस भविष्य में भी उनका पालन करने के लिए बाध्य है।

NBEMS reserves its absolute right to alter, amend, modify or apply any or some of the instructions / guidelines contained in this information bulletin. The existing schedule, pattern, policy and guidelines are for ready reference only but in no way, they are or ought to be treated as representative or acknowledgment of fact that NBEMS is bound to follow the same in future.

2.27. सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देश सरकार / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग / सक्षम प्राधिकारी / न्यायालय द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के आधार पर बदले जा सकते हैं। उम्मीदवारों को इन परिवर्तनों को शामिल करने के लिए जारी किए जा सकने वाले नवीनतम बुलेटिन या शुद्धिपत्र का संदर्भ लेना आवश्यक है। नवीनतम अपडेट या शुद्धिपत्र के लिए एनबीईएमएस वेबसाइट **https://natboard.edu.in** देखें।

Instructions in the Information Bulletin are liable to change based on decisions taken by the Government / National Medical Commission / Competent Authority / Court decisions from time to time. Candidates are required to refer to the latest bulletin or corrigendum that may be issued to incorporate these changes. Refer NBEMS website **https://natboard.edu.in** for latest updates or corrigendum.

2.28. पात्रता मानदंड, पैटर्न आदि के लिए भारत सरकार / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं, विनियमों आदि का संदर्भ लिया जा सकता है।

Notifications, regulations etc. issued by Government of India / National Medical Commission time to time may be referred for eligibility criteria, pattern etc.

2.29. पात्रता के निर्धारण / परीक्षा के संचालन / उम्मीदवारों के पंजीकरण / इसमें अंतर्विष्ट सूचना से संबंधित किसी भी निर्देश / शर्त / नियम / मानदंड के अर्थ की स्पष्टता में किसी भी प्रकार की संदिग्धता की स्थिति में, एनबीईएमएस की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी। सूचना विवरणिका (बुलेटिन) के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में अंतर्विष्ट सूचना में किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी भाषा में उल्लिखित सूचना को ही अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in interpretation of any of the instructions / terms / rules / criteria regarding the determination of eligibility / conduct of examinations/ registration of candidates / information contained herein, the interpretation of the NBEMS shall be final

and binding in nature. In case of any discrepancy in the information contained in English and Hindi version of the bulletin, the information mentioned in English language shall be considered final.

2.30. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि / केंद्र में परिवर्तन के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस तरह के प्रतिनिधित्व के लिए प्रचार न करें।

Request shall not be entertained for change in date / center of examination under any circumstances. Candidates are advised not to canvass for such representation.

2.31. एफएमजी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र एनबीईएमएस की वेबसाइट **https://natboard.edu.in** पर **27-10-2026 से** डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे। परीक्षा आयोजित होने से पहले अयोग्य पाए गए उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

Admit Cards for FMG Examination shall be available to download at NBEMS website **https://natboard.edu.in** from **27-10-2026 onwards.** Candidates found ineligible before conduct of the examination shall not be issued admit cards.

2.32. एफएमजी परीक्षा (अक्टूबर 2026 सत्र) का परिणाम एनबीईएमएस वेबसाइट **https://natboard.edu.in** पर प्रदर्शित किया जाएगा

Result of FMG Examination (October 2026) shall be displayed on NBEMS website **https://natboard.edu.in**

2.33. एफएमजी परीक्षा (अक्टूबर 2026 सत्र) के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा दी गई या तैयार की गई जानकारी, दस्तावेज़, रिकॉर्ड और डेटा को केवल तब तक ही रखा जाएगा जब तक कि परीक्षा के संचालन, एडमिशन की प्रक्रिया, ऑडिट, शिकायतों के निपटारे, विवादों को सुलझाने और लागू कानूनी व रेगुलेटरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी ज़रूरत हो। उम्मीदवार का ज़रूरी मास्टर डेटा, परीक्षा के नतीजे और फ़ीस भुगतान के रिकॉर्ड को लंबे समय तक रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा केवल वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड रखने और नियमों के पालन के लिए ही किया जाएगा, जैसा कि लागू कानून के तहत ज़रूरी है।

The information, documents, records, and data furnished by candidates or generated in connection with FMG Examination (October 2026) shall be retained only for as long as necessary to fulfil the purposes of examination administration, admission processes, audits, grievance redressal, dispute resolution, and compliance with applicable legal and regulatory requirements. Essential candidate master data, examination results, and fee

payment records may be retained for longer periods solely for verification, record-keeping, and compliance purposes, as required under applicable law.

2.34. एफएमजीई का आयोजन एनबीईएमएस द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र के मार्ग और स्थान से खुद को परिचित कर लें। कृपया **टेस्ट डे प्रक्रियाओं** के विवरण पर अध्याय देखें।

FMGE shall be conducted by NBEMS at various exam centres engaged for the purpose. Candidates are advised to familiarise themselves with the route and location of the exam centre. Please refer Chapter on details of **Test Day Procedures.**

2.35. ड्यूटी पर मौजूद परीक्षा केंद्र के कर्मचारी उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए अधिकृत हैं और वे उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने और उसे दर्ज करने के लिए कदम उठा सकते हैं। उम्मीदवारों को अपेक्षित सहयोग देना होगा।

The examination test centre staff on duty is authorized to verify the identity of candidates and may take steps to verify and record the identity of candidates. Candidates are required to extend requisite cooperation.

2.36. एनबीईएमएस परीक्षा केंद्रों के परिसर में मोबाइल फोन/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग/रखना **सख्त वर्जित** है। मोबाइल फोन / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रखने पर / उपयोग के लिए उम्मीदवारों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कृपया परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग पर अध्याय में दिए गए विस्तृत दिशा-निर्देशों को पढ़ें।

Possession / Use of mobile phones / Electronic devices is **strictly prohibited** in the premises of NBEMS test Centres. Candidates shall be liable for penal action for Possession / Use of Mobile phones/ Electronic devices. Please go through guidelines detailed in Chapter on use of unfair means in the examination.

2.37. **डेमो टेस्ट:** उम्मीदवारों के लाभ के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट प्रारूप से परिचित होने के लिए वेबसाइट **https://natboard.edu.in** पर एक डेमो टेस्ट उपलब्ध होगा। उम्मीदवार संभवतः **22-10-2026 के बाद से** डेमो टेस्ट का उपयोग कर सकेंगे।

Demo Test: A demo test shall be available for the benefit of candidates to familiarise themselves with the Computer Based Test format at website **https://natboard.edu.in** Candidates will be able to access the Demo test tentatively from **22-10-2026 onwards.**

2.38. उम्मीदवारों को एफएमजी परीक्षाओं से संबंधित मामलों के संबंध में एनबीईएमएस के साथ केवल निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही संवाद करना चाहिए, जिसका विवरण **संचार प्रोटोकॉल अध्याय** के अंतर्गत दिया गया है।

The candidates should communicate with NBEMS regarding matters related to FMG Examinations as per prescribed Protocols only, detailed under **Chapter on Communication Protocols.**

2.39. **उम्मीदवारों को एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए "हेल्पडेस्क" टैब के माध्यम से संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है**, जिसे आवेदक द्वारा अपने आवेदन खाते में लॉगिन करने के बाद एक्सेस किया जा सकता है। डाक के माध्यम से पत्राचार कार्यकारी निदेशक, आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, मेडिकल एन्क्लेव, महात्मा गांधी मार्ग, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 को संबोधित किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे शीघ्र प्रसंस्करण के लिए लिफाफे पर पत्राचार के विषय सहित लिखें।

Candidates are encouraged to communicate for FMGE October 2026 through "helpdesk" tab which can be accessed after the applicant login to its application account. The correspondence through post should be addressed to the Executive Director, National Board of Examinations in Medical Sciences, Medical Enclave, Mahatma Gandhi Marg, Ansari Nagar, New Delhi-110029. Candidates are requested to superscribe the envelope with the subject matter of the correspondence for expeditious processing.

2.40. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एफएमजीई में बैठने की पात्रता, प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी करने, परिणाम घोषित करने, अनुग्रह अंक (ग्रेस मार्क्स) देने या एफएमजीई उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (पास सर्टिफिकेट) जारी करने के लिए एनबीईएमएस के समक्ष किसी भी प्रकार का दबाव या अनुचित प्रभाव (कैनवासिंग) न डालें। सूचना बुलेटिन के लागू नियमों के अंतर्गत यदि कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो, तो वास्तविक (सद्भावी) आवेदकों द्वारा उसे केवल अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से एनबीईएमएस के **कम्युनिकेशन वेब पोर्टल (सीडब्ल्यूपी)** पर प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी रूप में दबाव बनाने या अनुचित प्रभाव डालने (कैनवासिंग) पर न केवल आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, बल्कि एनबीईएमएस ऐसे उम्मीदवारों के विरुद्ध अनुचित साधन (अनफेयर मीन्स) का मामला भी दर्ज कर सकता है।

Candidates are advised not to canvass with NBEMS for eligibility to appear in FMGE or issuance of admit card or declaration of result or award of grace marks or issuance of FMGE Pass Certificate. Queries, if any, within the applicable terms of the information bulletin can be submitted by bona fide applicants at NBEMS's **Communication Web Portal (CWP)** only through their registered email ID. Canvassing in any form shall not only invite rejection of the application but NBEMS may also register an unfair means case against such candidates.

2.41. **अदालती मामलों/विवादों का क्षेत्राधिकार केवल नई दिल्ली में होगा।**

The jurisdiction for court cases / disputes shall be at New Delhi only.

3.परीक्षा शुल्क / Examination Fee

3.1. परीक्षा शुल्क / Examination Fee:

परीक्षा शुल्क Examination Fee	जीएसटी GST @ 18%	कुल देय राशि* TOTAL AMOUNT PAYABLE*
₹ 3,940.68/-	₹ 709.32/-	₹ 4,650/-

*विभिन्न भुगतान गेटवे द्वारा लागू शुल्क को छोड़कर / Excluding charges as may be applicable by various payment gateways.

3.2. भुगतान कैसे करें: निर्धारित परीक्षा शुल्क भारत में बैंकों द्वारा जारी यूपीआई / क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या अन्य उपलब्ध तरीकों का उपयोग करके भुगतान गेटवे के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए जो वेब पेज पर उपलब्ध कराए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय उपलब्ध भुगतान गेटवे के अलावा किसी अन्य माध्यम से शुल्क जमा नहीं किया जा सकता है।

How to pay: The prescribed exam fee should be remitted through payment gateway provided using a UPI / Credit Card or a Debit Card issued by banks in India or other modes as may be made available and have been provided on the web page. Fee cannot be deposited through any mode other than the payment gateway available while submitting online application form submission.

3.3. एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। किसी भी परिस्थिति में शुल्क को न तो भविष्य की तिथि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और न ही वापस किया जाएगा। आवेदन शुल्क की वापसी, समायोजन या आगे ले जाने के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

Applications forms once submitted cannot be withdrawn. Fee shall neither be carried forward to a future date nor refunded under any circumstances. Any claim for refund, adjustment or carrying forward of Application fee will not be entertained.

3.4. कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा शुल्क के लिए किया गया भुगतान सफल रहा है और इसकी पुष्टि आवेदन पत्र में भुगतान की स्थिति (पेमेंट स्टेटस) के अंतर्गत **"S"** (सफल के लिए) के रूप में देखी जा सकती है। यदि भुगतान की स्थिति लंबित (पेंडिंग) दिखाई देती है, तो संभव है कि भुगतान आपके बैंक के स्तर पर अटका हुआ हो और बाद की किसी तिथि में स्पष्ट/स्वीकृत हो। जब तक आवेदन पत्र में भुगतान की स्थिति **"S"** के रूप में प्रदर्शित नहीं होती है, तब तक आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं माना जाएगा।

आपके बैंक द्वारा एनबीईएमएस को भुगतान के निपटान में होने वाले विलंब के कारण आपका आवेदन अस्वीकृत होने पर एनबीईएमएस उत्तरदायी नहीं होगा।

Kindly ensure that the payment made for examination fee is successful and confirmation of the same can be seen in the application form under payment status reflected as **"S"** (for successful). In case the status is shown as pending, the payment might be stuck with your bank and might be cleared at a later date. The application submission process is not completed till such time the status of payment is reflected as **"S"** in application form. NBEMS shall not be responsible for rejection of your application due to delay in settlement of the payment by your bank to NBEMS.

3.5. अनुपस्थित रहने वाले या किसी कारणवश अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों के संबंध में परीक्षा शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमों और एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए सूचना बुलेटिन को ध्यान से पढ़ें और शुल्क का भुगतान करने से पहले पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए नियमों और शर्तों को पूरा करें।

Examination fees in respect of candidates who are absent or have been declared ineligible due to any reason shall be forfeited. Candidates are advised to read the screening test regulations and the information bulletin for FMGE October 2026 carefully and satisfy the terms and conditions for fulfilment of eligibility criteria before proceeding for payment of fees.

3.6. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक और भुगतान करना आवेदक के विवेक पर निर्भर है। अगर एक ही एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर के लिए परीक्षा शुल्क एक से ज़्यादा बार (डुप्लिकेट) जमा हो जाता है, तो एनबीईएमएस एप्लीकेशन विंडो बंद होने के बाद, तय परीक्षा शुल्क को छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फीस वापस कर देगा। *एनबीईएमएस जल्द से जल्द रिफंड करने की कोशिश करता है; हालांकि, कुछ अनचाहे हालात में रिफंड की प्रक्रिया में लगभग दो से तीन महीने लग सकते हैं।*

It is at the discretion of the applicant to make another payment for completing the application submission process. In an event of receipt of duplicate / multiple examination fees towards the same **Application Sequence Number**, NBEMS shall refund the excess fees received for an application retaining the prescribed examination fee, after closure of application window. *NBEMS attempts to make the refund at the earliest; however, the refund process may take about two to three months in unforeseen circumstances.*

उम्मीदवारों को दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र जमा करने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुरू होने (लाइव होने) के अधिमानतः पहले पांच दिनों के भीतर परीक्षा शुल्क के भुगतान सहित आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी संभावित तकनीकी समस्या, भुगतान विफलता या लेनदेन के विलंबित मिलान (रिकॉन्सिलिएशन) को समय रहते

सुलझाया जा सके। **अंतिम समय में होने वाली तकनीकी दिक्कतों के कारण समय-सीमा में किसी भी प्रकार के विस्तार या ढील के अनुरोध पर एनबीईएमएस द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।**

Candidates are strongly advised not to wait until the last date for the submission of the application form and to complete the application process, including the payment of the examination fee, preferably within the first five days from the launch of the online application registration. This will ensure that any potential technical issues, payment failures, or delayed reconciliation of transactions can be resolved well in time. **NBEMS shall not entertain any extensions or relaxations in deadlines due to last-minute technical glitches.**

3.7. एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए आवेदन जमा करने का एकमात्र मान्य तरीका एनबीईएमएस की वेबसाइट के ज़रिए तय समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म जमा करना होगा। किसी भी अन्य तरीके से या आवेदन जमा करने की तय समय-सीमा खत्म होने के बाद जमा किए गए आवेदनों को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन जमा करने की समय-सीमा खत्म होने के बाद, किसी भी कारण से आवेदन स्वीकार करने के किसी भी अनुरोध पर एनबीईएमएस विचार नहीं करेगा।

The online submission of application form through the NBEMS website within the prescribed timeline shall be the only valid mode of application submission for FMGE October 2026. Applications submitted through any other mode and / or after closure of the prescribed application submission window shall not be accepted under any circumstances. No request for acceptance of application after closure of the application submission window, for any reason whatsoever, shall be entertained by NBEMS.

3.8. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरते समय उनके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो और वे कम्पैटिबल डिवाइस / ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। उम्मीदवार की तरफ़ से हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर, इंटरनेट कनेक्शन, ब्राउज़र कम्पैटिबिलिटी या बिजली से जुड़ी समस्याओं के कारण एप्लीकेशन में रुकावट, अधूरा सबमिशन या सबमिशन न होने के लिए एनबीईएमएस ज़िम्मेदार नहीं होगा।

Candidates shall ensure availability of stable internet connectivity and use of compatible device / browser while filling the application form. NBEMS shall not be responsible for interruption, incomplete submission or non-submission of application caused due to candidate-side hardware, software, internet connectivity, browser compatibility or power-related issues.

4. पात्रता मापदंड / Eligibility Criteria

उम्मीदवार को निम्नलिखित मानदंड पूरा करना होगा / The candidate must meet / fulfil the following criteria:

4.1. वह भारत का नागरिक या भारत का विदेशी नागरिक हो।
He / She is a citizen of India or Overseas Citizen of India.

4.2. उम्मीदवार के पास प्राथमिक चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा की गई हो, तथा जो उस देश में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता हो, जिसमें उक्त योग्यता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित हो।

The candidate should possess a primary medical qualification, which is confirmed by the Indian Embassy concerned, to be a recognized qualification for enrolment as medical practitioner in the country in which the institution awarding the said qualification is situated.

4.3. उक्त प्राथमिक चिकित्सा योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा का परिणाम **31-08-2026** को **या** उससे पहले घोषित किया जाना चाहिए।

The result of final examination for the said primary medical qualification should have been declared on **or** before **31-08-2026.**

4.4. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके लिए यह प्रमाण / दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि ऐसी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि **अर्थात्** **31-08-2026** को **या** उससे पहले घोषित किया गया था। **प्रस्तुत दस्तावेज से यह पुष्टि होनी चाहिए कि उम्मीदवार ने संबंधित संस्थान की आवश्यकता के अनुसार पात्र परिणामों के साथ प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के सभी आवश्यक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।**

Candidates must note that it is mandatory for them to submit proof / documentary evidence that clearly establishes that the result of the final examination for such a primary medical qualification was declared on **or** before the cut-off date **i.e.** **31-08-2026**. **The document submitted must confirm that the candidate has successfully completed all required courses of the primary medical courses with eligible results as per requirement of the institution concerned.**

4.5. यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण / दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं होता है कि उसकी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता की अंतिम परीक्षा का परिणाम **31-08-2026 को या उससे पहले** घोषित किया गया था **और** / **या** यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं होता है कि उम्मीदवार को सभी अनिवार्य आवश्यक पाठ्यक्रमों में अंतिम परीक्षाओं में उत्तीर्ण / योग्य घोषित किया गया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उम्मीदवार को **अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।**

In the event that the proof / documentary evidence submitted by the candidate does not clearly establish that the result of the final examination of his primary medical qualification was declared **on or before 31-08-2026 and / or** does not clearly specify that the candidate has been declared PASS / QUALIFIED in the final examinations in all mandatory required courses, the candidature shall be cancelled and the candidate **shall be declared as INELIGIBLE.**

4.6. विदेशी चिकित्सा संस्थान विनियमन, 2002 में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्रता आवश्यकता के अनुसार **/** As per Eligibility Requirement for Taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulation, 2002:

4.6.1. उम्मीदवार को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (या तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद) से 'पात्रता प्रमाण पत्र' प्राप्त करना चाहिए। यह आवश्यकता उन भारतीय नागरिकों या भारत के विदेशी नागरिकों के लिए आवश्यक नहीं होगी जिन्होंने 15.03.2002 से पहले विदेशी चिकित्सा संस्थानों से चिकित्सा योग्यता प्राप्त की है **या** 15.03.2002 से पहले **या** 15.05.2013 से 03.01.2014 (दोनों तिथियाँ शामिल) के दौरान विदेशी चिकित्सा संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया है।

The candidate should have obtained 'Eligibility Certificate' from the National Medical Commission (or the erstwhile Medical Council of India). This requirement shall not be necessary in respect of Indian citizens or Overseas Citizens of India who have acquired the medical qualifications from foreign medical institutions before 15.03.2002 **or** have obtained admission in foreign medical institution either before 15.03.2002 **or** during 15.05.2013 to 03.01.2014 (both dates included).

4.6.2. भारत के राजपत्र में 01.03.2018 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, "भारत के बाहर किसी भी चिकित्सा संस्थान से ***मई 2018 को या उसके बाद*** प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने का इरादा रखने वाले भारतीय नागरिक / विदेशी भारतीय नागरिकों को अनिवार्य रूप से 'एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा' उत्तीर्ण करनी होगी। **'एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा'** का परिणाम ऐसे व्यक्तियों के

लिए पात्रता प्रमाण पत्र माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमन, 1997 में निर्धारित एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।"

In terms of notification published on 01.03.2018 in the Gazette of India, "Indian Citizens / Overseas Citizen of India intending to obtain primary medical qualification from any medical institution outside India, ***on or after May 2018***, shall have to mandatorily qualify the 'National-Eligibility-cum- Entrance Test for Admission to MBBS course'. The result of the **'National- Eligibility-cum-Entrance Test for Admission to MBBS course'** shall deem to be treated as the Eligibility Certificate for such persons, provided that such persons fulfils the Eligibility Criteria for admission to the MBBS course prescribed in the Regulations on Graduate Medical Education, 1997."

4.6.3. भारत के राजपत्र में 14.03.2019 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, "नीट का परिणाम, परिणाम की घोषणा की तिथि से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जिससे उम्मीदवार एमबीबीएस या समकक्ष चिकित्सा पाठ्यक्रम जिसमें प्री-मेडिकल / भाषा पाठ्यक्रम, यदि कोई हो, शामिल है, उसके बाद एमबीबीएस या समकक्ष चिकित्सा पाठ्यक्रम करने का हकदार होगा।"

In terms of notification published on 14.03.2019 in the Gazette of India, "the result of NEET shall be valid for a period of Three (03) years from the date of declaration of result, entitling a candidate to pursue MBBS or equivalent medical course including pre-medical/language course, if any, followed by MBBS or equivalent medical course."

4.6.4. जो आवेदक एफएमजीई के लिए आवेदन कर रहे हैं और उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसार पात्रता प्रमाण पत्र के बदले में अपना नीट-यूजी परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें तदनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जाती है कि वे स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमन, 1997 में निर्धारित एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। यदि एफएमजीई उत्तीर्ण करने वाला आवेदक बाद में, किसी मेडिकल काउंसिल के साथ पंजीकरण प्राप्त करने के समय, स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमन, 1997 में निर्धारित एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता पाया जाता है, तो उक्त एफएमजीई के लिए उसकी उम्मीदवारी और परिणाम रद्द कर दिया जाएगा।

Applicants who are applying for FMGE producing their NEET-UG result in lieu of the Eligibility Certificate in terms of aforesaid notifications are accordingly advised to ensure that they fulfil the Eligibility Criteria for admission to the MBBS course prescribed in the Regulations on Graduate Medical Education, 1997. In an event an applicant qualifying FMGE is later found, at the time of seeking

registration with a medical council, not to be fulfilling the Eligibility Criteria for admission to the MBBS course as prescribed in the Regulations on Graduate Medical Education, 1997, his /her candidature and result for said FMGE shall deemed to be cancelled.

4.7. **यह उम्मीदवार की एकमात्र जिम्मेदारी है कि** उसने स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम (जीएमईआर), 1997 में निर्धारित शर्तों / मापदंडों को पूरा किया है और विदेशी चिकित्सा संस्थान विनियम, 2002 में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पहले पात्रता की आवश्यकता है, जो नीचे उल्लिखित है, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं है **/** **It is the sole responsibility of the candidate that** he / she has fulfilled the stipulations/criteria prescribed in Graduate Medical Education Regulations (GMER), 1997 and Eligibility Requirement before taking admission in the undergraduate medical course in Foreign Medical Institution Regulations, 2002, enumerated herein below, but not limited to the following :

4.7.1. *उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा योग्यता में प्रवेश के समय उपरोक्त विनियमों के अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु मानदंड को पूरा किया हो।*

He / she fulfilled the age criterion prescribed for admission to MBBS course in above regulations at the time of joining the Primary Medical Qualification.

4.7.2. *उन्होंने भारत में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा किया है, अर्थात भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी में न्यूनतम योग्यता अंक मानदंड, जिसमें आरक्षित श्रेणी (एससी / एसटी / ओबीसी) या दिव्यांग उम्मीदवार के मामले में छूट वाले मानदंड भी शामिल हैं।*

He/she fulfilled the eligibility criteria for admission to MBBS course in India as prescribed in the Graduate Medical Education Regulations, 1997, i.e., minimum qualifying marks criteria in Physics, Chemistry, Biology and English, including relaxed criteria in case the candidate belongs to a reserved category (SC/ST/OBC) or a PwD.

4.7.3. *यदि उसने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में न्यूनतम अर्हता अंकों के लिए किसी छूट वाले मानदंड का दावा किया है, तो उसके पास प्राथमिक चिकित्सा योग्यता में प्रवेश के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक जाति प्रमाण पत्र (एससी / एसटी / ओबीसी) होना चाहिए।*

He / She is in possession of relevant caste certificate (SC/ST/OBC) from a competent authority issued at the time of his / her admission to Primary Medical Qualification, in case he/she has claimed any relaxed criteria towards minimum qualifying marks in Physics, Chemistry, Biology and English.

4.8. भारत में अनंतिम या स्थायी पंजीकरण चाहने वाले उम्मीदवार को स्क्रीनिंग टेस्ट **उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी** यदि उसके पास ऑस्ट्रेलिया / कनाडा / न्यूजीलैंड / यूनाइटेड किंगडम / संयुक्त राज्य अमेरिका से स्नातक चिकित्सा योग्यता है और उसके धारक को ऑस्ट्रेलिया / कनाडा/ न्यूजीलैंड / यूनाइटेड किंगडम / संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता भी प्रदान की गई है और उसे उस देश में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए मान्यता दी गई है।

Candidate seeking provisional or permanent registration in India **shall not have to qualify** the Screening Test if he/she holds an Under Graduate medical qualification from Australia / Canada / New Zealand / United Kingdom / United States of America and the holder thereof has also been awarded a Post Graduate medical qualification in Australia / Canada / New Zealand / United Kingdom / United States of America and has been recognised for enrolment as medical practitioner in that country.

4.9. पाकिस्तान से अपनी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार से **उनकी सुरक्षा मंजूरी के अधीन होगी।** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या V.11025/376/2022 - MEP दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से निर्देश दिया है कि **/** Eligibility of candidates who have obtained their primary medical qualification from Pakistan shall be **subject to their security clearance** from Ministry of Home Affairs (MHA), Govt of India. The Ministry of Health & Family Welfare, Govt of India vide Letter No V.11025/376/2022 - MEP dated 26.06.2023 has directed that:

4.9.1. राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी भारतीय छात्र को किसी भी क्षेत्र में अध्ययन के लिए पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। अब से, कोई भी छात्र पाकिस्तान में अर्जित शैक्षिक योग्यता (किसी भी विषय में) के आधार पर एफएमजीई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होना चाहिए, सिवाय उन छात्रों के जिन्होंने नवंबर, 2018 से पहले या उसके बाद एमएचए से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के बाद 13.04.2022 तक पाकिस्तान के डिग्री कॉलेजों / संस्थानों में दाखिला लिया हो।

In view of national security considerations, no Indian student should go to Pakistan for study in any field. Henceforth, no student should be eligible for appearing in FMGE on the basis of educational qualification (in any subject) acquired in Pakistan except those who had joined Pakistan degree colleges/institutions before November, 2018 or later after obtaining security clearance from MHA till 13.04.2022.

4.9.2. पाकिस्तान से मेडिकल डिग्री या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रवासियों और उनके बच्चों को भारत द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, उन्हें एफएमजीई में शामिल होने या एनएमसी में

पंजीकरण और भारत में मेडिकल संस्थानों / कॉलेजों सहित किसी भी शैक्षणिक संस्थान / कॉलेज में प्रवेश सहित रोजगार की तलाश करने के लिए गृह मंत्रालय से अतिरिक्त सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। नागरिकता प्रदान करते समय ऐसी सुरक्षा जांच की जाती है।

Migrants and their children who have acquired medical degree or higher education from Pakistan and have been granted Indian citizenship by India would not require additional security clearance from MHA for appearing in FMGE or seeking employment including registration with NMC and admission in any educational institutions/colleges including medical institutions/colleges in India. Such security vetting is carried while granting citizenship.

पाकिस्तान से अपनी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए एफएमजीई का परिणाम केवल तभी घोषित किया जाएगा ***यदि ऐसे उम्मीदवारों को एमएचए, भारत सरकार द्वारा सुरक्षा मंजूरी दी गई हो।*** पाकिस्तान से आए प्रवासियों को एफएमजीई के लिए आवेदन करते समय एमएचए, भारत सरकार द्वारा जारी भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

The result of FMGE for candidates who have obtained their Primary Medical Qualification from Pakistan shall only be declared ***if such candidates have been given security clearance by MHA, Govt of India.*** Migrants from Pakistan are required to submit their Certificates of Registration for Citizenship of India issued by MHA, Govt of India while applying for FMGE.

4.10. उम्मीदवार एफएमजीई के लिए आवेदन करने से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम, 2002 एवं इसके सभी संशोधनों, स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम और पात्रता प्रमाणपत्र विनियम का भी संदर्भ ले सकते हैं तथा भारत में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीकरण के लिए अपनी पात्रता की पुष्टि कर सकते हैं।

Candidates may also refer to Screening Test Regulations, 2002 & all its amendments, Regulations on Graduate Medical Education and Eligibility Certificate Regulations before applying for FMGE and confirm their eligibility for registration as medical practitioner in India.

4.11. एनएमसी के पत्र संख्या NMC/MCI-34(41) (Gen)/2020-21-Med/002815 दिनांक 22.01.2021 की सिफारिशों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार के पत्र संख्या V.11025/02/2021-MEP दिनांक 09.03.2021 के अनुमोदन के अनुसार, केवल उन पात्र उम्मीदवारों

को एफएमजीई में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास पात्रता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और प्राथमिक चिकित्सा योग्यता का अनंतिम पास प्रमाण पत्र / डिग्री प्रमाण पत्र दोनों हैं।

Pursuant to the recommendations of the NMC vide its letter No NMC/MCI-34(41)(Gen)/2020-21-Med/002815 dated 22.01.2021 and approval of the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), Govt of India vide its letter No V.11025/02/2021-MEP dated 09.03.2021, only eligible candidates will be allowed to appear in the FMGE who have both the Eligibility Certificate (if applicable) and the Provisional Pass Certificate / Degree Certificate of Primary Medical Qualification.

4.12. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एफएमजीई के लिए तभी आवेदन करें, जब उनके पास परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक सभी दस्तावेज उपलब्ध हों, जिसमें पात्रता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और उनकी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता का अनंतिम उत्तीर्ण प्रमाण पत्र / डिग्री प्रमाण पत्र शामिल हो, जो संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा अपोस्टाइल्ड / प्रमाणित हो।

Candidates are therefore advised to apply for FMGE only if they possess with them all the documents required to apply for the examination, including the Eligibility Certificate (if applicable) and the Provisional Pass Certificate / Degree Certificate of their Primary Medical Qualification duly apostilled / attested by Indian Embassy concerned.

4.13. जो उम्मीदवार एफएमजीई के लिए सूचना बुलेटिन में निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहेंगे, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

Candidates who fail to submit the documents as prescribed in the Information Bulletin for FMGE will not be allowed to appear in the examination and would be declared ineligible to appear.

4.14. **यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन उम्मीदवारों ने 18-11-2021 को या उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा योग्यता (प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन) में प्रवेश लिया है, उनकी पात्रता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (विदेशी चिकित्सा स्नातक अनुज्ञप्तिधारी) विनियम, 2021 (FMGL), समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार ही कड़ाई से निर्धारित की जाएगी; और यदि कोई भी अभ्यर्थी इसके किसी भी प्रावधान का अनुपालन न करने (गैर-अनुपालन) का दोषी पाया जाता है, तो उसे एफएमजीई में सम्मिलित होने के लिए 'अपात्र' (INELIGIBLE) घोषित कर दिया जाएगा।**

It is clarified that the eligibility of candidates who have taken admission to the primary medical qualification on or after 18-11-2021 shall be determined strictly in accordance with the National Medical Commission (Foreign Medical Graduate Licentiate) Regulations, 2021 (FMGL) as amended from time to time, and any

candidate found to be non-compliant with any provision thereof shall be declared INELIGIBLE for appearing in FMGE.

उन उम्मीदवारों को जारी किया गया एफएमजीई प्रमाणपत्र किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा, जो 18-11-2021 से पहले प्रवेश की तारीख का झूठा दावा करते हैं और परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं।

The FMGE certificate issued to candidates who falsely claim a date of admission prior to 18-11-2021 and pass the examination will be revoked at any time.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एफएमजीएल विनियम, 2021 के प्रावधानों और इससे संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए एनएमसी की वेबसाइट www.nmc.org.in देखें।

Candidates are advised to refer the provisions of the FMGL regulations, 2021 and its related latest updates at NMC website www.nmc.org.in

4.15. **एनबीईएमएस की भूमिका एफएमजीई आयोजित करने और उसका परिणाम नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) तथा भारत की सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स (SMCs) को सौंपने तक ही सीमित है।** एफएमजीई में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार की पात्रता *पूरी तरह से उम्मीदवार द्वारा उसके आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित की जाएगी,* जिसे उम्मीदवार की घोषणा के अनुसार सही और तथ्यात्मक माना जाएगा। *हालांकि, मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में पंजीकरण के लिए पात्रता उम्मीदवार के अस्थायी/स्थायी पंजीकरण के समय एसएमसी द्वारा निर्धारित की जाएगी।*

Role of NBEMS is limited to conduct the FMGE and **to handover the result to National Medical Commission (NMC) and to all State Medical Councils (SMCs) in India.** The eligibility of a candidate to appear in FMGE *shall be solely determined on the basis of information and documents furnished by the candidate in his / her application form* which shall be treated as correct & factual as per declaration of the candidate. *The eligibility for registration as medical practitioner, however, shall be determined by SMCs at the time of provisional / permanent registration of a candidate.*

4.16. परीक्षा प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान और / या बाद में मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय / बाद में गलत जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने के किसी भी मामले में उम्मीदवार को एफएमजीई और किसी भी परिणामी पंजीकरण / रोजगार / शिक्षा के लिए स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि ऐसे मामले किसी सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पता नहीं चलते हैं, लेकिन बाद के वर्षों में पता चलते हैं, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।

Any instances of furnishing incorrect information / documents detected during any stage of the examination process and / or subsequently while / after seeking registration with

a medical council will automatically disqualify the candidate for the FMGE and for any consequential registration/ employment / education. Further, if such instances go undetected during the any verification process but, are detected in subsequent years, such disqualification will take place with retrospective effect.

4.17. जिन उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे उनकी पात्रता पूर्णतया अनंतिम होगी और यदि एफएमजीई के किसी भी चरण में अयोग्यता पाई जाती है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, भले ही परिणाम घोषित कर दिया गया हो और / या उत्तीर्ण प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया हो।

Eligibility of candidates who shall be issued admit cards for the examination shall be purely provisional and if ineligibility is detected at any stage of FMGE, the candidature shall be cancelled even if the result has been declared and/or the Pass Certificate has been issued.

4.18. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एफएमजीई अक्टूबर 2026 में पात्रता या एडमिट कार्ड जारी करने के लिए एनबीईएमएस से कोई पैरवी न करें। अगर कोई सवाल हो, तो उसे सिर्फ़ कम्युनिकेशन वेब पोर्टल के ज़रिए ही भेजा जा सकता है। किसी भी तरह की पैरवी करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

Candidates are advised not to canvass with NBEMS for eligibility in FMGE October 2026 or issuance of admit card. Queries, if any, can be submitted through Communication Web Portal only. Canvassing in any form shall invite rejection of the application.

5. एफएमजी परीक्षा की योजना / Scheme of FMG Examination

5.1. इस परीक्षा में एक प्रश्नपत्र शामिल होगा, जिसमें निर्धारित योजना के अनुसार कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से 300 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल अंग्रेज़ी भाषा में 4 उत्तर विकल्प / विकल्पक (डिस्ट्रैक्टर्स) दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 उत्तर विकल्पों में से सही / सर्वोत्तम / सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना होगा।

The examination consists of one paper, comprising of 300 multiple choice questions and administered using computer network as per prescribed scheme. Each question shall have 4 response options / distractors in English language only. Candidates are required to select the correct / best / most appropriate response / answer out of the 4 response options provided in each question

5.2. पेपर दो भागों में दिया जाएगा, जिसे एक ही दिन में हल किया जाएगा। प्रत्येक भाग में 150 प्रश्न होंगे, जिन्हें 150+3** मिनट में हल करना होगा। दोनों भागों के बीच एक निर्धारित ब्रेक होगा। एफएमजीई के लिए समय का आवंटन इस प्रकार होगा / The paper shall be delivered in two parts to be taken in a single day with each part comprising of 150 questions to be attempted in 150+3** minutes. There is a scheduled break between the two parts. Allocation of time for the FMGE shall be as follows:

गतिविधियाँ Activities	भाग / Part - I (सुबह 09:00 बजे - 11:30 बजे) (09:00 AM – 11:30 AM)	भाग / Part - II (दोपहर 02:00 बजे – शाम 4:30 बजे) (02:00 PM – 04:30 PM)
उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दें और परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू करें / Allow Candidates to enter the examination center and Commence Registration for the test	07:00 पूर्वाह्न / AM	12:00 अपराह्न / PM
परीक्षा केंद्र पर प्रवेश बंद / Entry closes at Examination Center	08:30 पूर्वाह्न / AM	01:30 अपराह्न / PM
उम्मीदवार लॉगिन के लिए पहुँच प्रदान करें / Grant access for Candidate Login	08:45 पूर्वाह्न / AM	01:45 अपराह्न / PM
निर्देश पढ़ने के लिए उम्मीदवार लॉग इन करें / Candidates log in to read instructions	08:50 पूर्वाह्न / AM	01:50 अपराह्न / PM
परीक्षा प्रारंभ समय / Exam Start Time	09:00 पूर्वाह्न / AM	02:00 अपराह्न / PM
परीक्षा समाप्ति समय / Exam End Time	11:33 पूर्वाह्न / AM	04:33 अपराह्न / PM

***परीक्षा के दौरान मैनुअल और डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने—जिसमें फोटोग्राफ मिलान, फेस आईडी सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, तथा हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेना शामिल है—के समय हुए नुकसान की भरपाई के लिए, प्रत्येक अनुभाग में एक मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, लेकिन पेपर के हर हिस्से के लिए यह ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक ही अतिरिक्त समय होगा। तदनुसार, भाग-I और भाग-II में से प्रत्येक को पूरा करने के लिए **153 मिनट** का कुल समय दिया जाएगा।*

***To compensate for any time lost during manual and digital attendance—including photograph matching, Face ID verification, biometric authentication, and signature or thumb impression capture—an additional one minute per section will be provided, subject to a maximum of 3 additional minutes for each part of the paper. Accordingly, total time of **153 minutes** shall be given to complete Part-I and Part-II each.*

5.3. एफएमजीई के प्रत्येक भाग का प्रश्न पत्र कई समय-बद्ध खंडों में विभाजित होगा। उदाहरण के लिए, यदि प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में 3 समय-बद्ध खंड* (खंड ए, बी और सी) हैं, तो ऐसे प्रत्येक खंड में 50 प्रश्न होंगे और उस खंड के लिए 50 मिनट का समय आवंटित किया जाएगा, साथ ही मैनुअल/डिजिटल उपस्थिति एवं सत्यापन के उद्देश्य से 01 मिनट का समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को पिछले खंड का आवंटित समय पूरा होने तक अगले खंड में जाने से प्रतिबंधित किया जाएगा तथा संबंधित खंड का आवंटित समय समाप्त होने के पश्चात अभ्यर्थियों को उस खंड के प्रश्नों की समीक्षा करने अथवा उत्तरों को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। पिछले खंड का आवंटित समय समाप्त होते ही अगले खंड के प्रश्न स्वतः प्रारंभ हो जाएंगे।

The question paper for each part of FMGE will be divided into multiple time bound sections. For example, if there are 3-time bound sections* (Section A, B & C) in each part of the question paper, each such section will have 50 questions and 50 minutes of time allotted for the section alongwith 01 minute for the purpose of manual/digital attendance & verification. Candidates would be restricted to proceed to the next section till completion of the allotted time of the previous section and candidates would not be allowed to review the questions/modify the responses of a section after the completion of the allotted time of that section. Questions of the next section will start automatically after the completion of the allotted time of the previous section.

* ऐसे समय-प्रतिबंधित अनुभागों की वास्तविक संख्या प्रश्न-पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या और ऐसे अनुभागों को बनाने की परिचालन व्यवहार्यता के आधार पर भिन्न हो सकती है। / The actual number of such time-restricted sections may vary based on the total number of questions in the question paper and operational feasibility in making such sections.

5.4. उम्मीदवारों को किसी भी प्रश्न को, चाहे उसने प्रयास किया हो या नहीं, समीक्षा के लिए चिह्नित करने का विकल्प दिया गया है, जिसका अर्थ है कि उम्मीदवार को किसी अनुभाग में आवंटित समय समाप्त होने से पहले इन प्रश्नों को फिर से देखने का विकल्प दिया गया है। **उम्मीदवार ध्यान दें कि ऐसे प्रश्न जिन्हें समीक्षा के लिए चिह्नित किया गया है**, उनका मूल्यांकन ऊपर उल्लिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा।

Candidates are given an option to mark any question, whether attempted or not, for review which means that candidate has been given an option to go through these questions in a section again before the allotted time to a section ends. **Candidates may note that such questions which are marked for review** shall be evaluated as per the marking scheme mentioned above.

5.5. **ऋणात्मक अंकन:** कोई **ऋणात्मक अंकन नहीं** होगा।
Negative Marking: There shall be **no negative marking.**

5.6. उम्मीदवार को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब वह परीक्षा में 300 में से न्यूनतम 150 अंक प्राप्त करता / करती है। पात्र उम्मीदवारों के परीक्षा परिणाम (उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण) एनबीईएमएस की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। किसी उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत भागों (अर्थात भाग-I और भाग-II) में प्राप्त अंक प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। एफएमजीई में अंकों के पुनर्मिलन (re-totaling), पुनर्मूल्यांकन (re-evaluation) या अनुग्रह अंक (grace marks) प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

A candidate shall be declared as having passed only if he / she obtains a minimum of 150 marks out of 300 in the examination. Results (Pass / Fail) for eligible candidates will be displayed on NBEMS website. Marks obtained by a candidate in individual parts i.e. Part I and Part II shall not be published. There is no provision for re-totaling / re-evaluation / award of grace marks in FMGE.

5.7. किसी उम्मीदवार द्वारा लिए जा सकने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालाँकि, **एफएमजीई एक योग्यता परीक्षा है, एक बार जब कोई उम्मीदवार एफएमजीई उत्तीर्ण कर लेता है, तो वह दोबारा एफएमजीई देने के लिए पात्र नहीं होगा।** इस खंड का उल्लंघन करके उम्मीदवार द्वारा ली गई कोई भी परीक्षा शून्य और रद्द मानी जाएगी।

There are no restrictions on number of attempts that can be availed by a candidate. However, **FMGE being a qualifying examination, once a candidate qualifies the FMGE, he or she shall not be eligible to take the FMGE again.** Any examination, taken by a candidate in violation of this clause shall be treated as void and as cancelled.

5.8. कंप्यूटर आधारित परीक्षा का अवलोकन
Overview of Computer Based Test

6. प्रवेश पत्र और परीक्षा दिवस की प्रक्रिया / Admit Card and Test Day Procedures

6.1. **प्रवेश पत्र :**प्रवेश पत्र दिनांक **27-10-2026** को एनबीईएमएस की वेबसाइट **https://natboard.edu.in** पर लाइव कर दिए जाएंगे। **परीक्षा के आयोजन से पहले अपात्र पाए गए उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।**

Admit Card: Admit cards shall be made live on NBEMS website **https://natboard.edu.in** on **27-10-2026**. **Admit cards will not be issued to candidates found INELIGIBLE before the conduct of the examination.**

6.2. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होने के बारे में उम्मीदवारों को ईमेल अलर्ट के ज़रिए जानकारी दी जाएगी। एडमिट कार्ड उम्मीदवारों को डाक से नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को अपने क्रेडेंशियल्स (लॉगिन जानकारी) का इस्तेमाल करके एनबीईएमएस की वेबसाइट **https://natboard.edu.in** से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के लिए एडमिट कार्ड की एक कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि एफएमजीई अक्टूबर 2026 का रिज़ल्ट घोषित होने के बाद यह उपलब्ध नहीं होगा।**

Candidates will be informed through an Email alert regarding the issuance of Admit Card. The Admit card will not be sent to the candidates by Post. Candidates are required to download their admit card from the NBEMS website **https://natboard.edu.in** after login with their credentials. **Candidates are advised to retain a copy of the Admit Card for future reference as this will not be available after the declaration of FMGE October 2026 result.**

6.3. उम्मीदवारों को एनबीईएमएस की वेबसाइट **https://natboard.edu.in** से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा और परीक्षा केंद्र पर उसका **रंगीन** प्रिंटआउट लाना होगा।

Candidates are required to download their admit card from the NBEMS website **https://natboard.edu.in** and bring the **COLOURED** printout of the same at exam centre.

6.4. **परीक्षा दिवस की प्रक्रिया:** एनबीईएमएस एक सुरक्षित माहौल में कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) आयोजित करेगा और जहाँ भी ज़रूरी हो**,** वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेगा। एनबीईएमएस के पास सीबीटी आयोजित करने की परीक्षा-दिवस की प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है।

TEST DAY PROCEDURES: NBEMS shall be conducting Computer Based Test (CBT) in safe and secure environment maintaining social distancing norms wherever needed. NBEMS reserves its rights to review the test day processes of conduct of CBT.

6.5. प्रवेश पत्र में दिए गए समय के अनुसार उम्मीदवारों का प्रवेश: उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र में दर्शाए गए समय के अनुसार परीक्षा स्थल के 'रिपोर्टिंग काउंटर' पर रिपोर्ट करना आवश्यक है। परीक्षा केंद्र (रिपोर्टिंग काउंटर) और परीक्षा स्थल के मुख्य द्वार पर सटीक प्रवेश बिंदु कुछ दूरी पर हो सकते हैं। परीक्षा केंद्र के प्रवेश बिंदु (रिपोर्टिंग काउंटर) तक पहुंचने में अप्रत्याशित देरी से बचने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले पहुंचें और परीक्षा स्थल के परिसर में परीक्षा केंद्र में प्रवेश के सटीक बिंदु से खुद को पहले से ही परिचित कर लें। **परीक्षा शुरू होने के समय से 30 मिनट पहले रिपोर्टिंग काउंटर बंद हो जाएगा।** परीक्षा केंद्र के प्रवेश बिंदु (रिपोर्टिंग काउंटर) पर पहुंचने में किसी भी तरह की देरी होने पर प्रवेश से इनकार कर दिया जाएगा, *भले ही उम्मीदवार परीक्षा स्थल के परिसर में पहुंच गया हो।*

Entry of Candidates as per Timelines given in the Admit Cards: Candidates are required to report at the 'Reporting Counter' of test venue as per time indicated in their admit cards. The exact entry point to the test centre (Reporting Counter) and the main gate of venue might be at a distance. To avoid unforeseen delay in reaching to the test centre entry point (Reporting Counter), candidates are advised to reach well in time and familiarise themselves with the exact point of the entry to test centre in the premises of the venue well in advance. **The reporting counter will close 30 minutes prior to the test start time**. *Any delay in arrival to the test centre entry point (Reporting Counter) shall lead to denial of entry even if the candidate might have arrived to the premises of venue.*

6.6. निर्धारित समय से देरी से या उससे बाद में रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ***किसी भी कारण से केंद्र पर पहुंचने में उम्मीदवार के देरी से पहुंचने के लिए एनबीईएमएस जिम्मेदार नहीं होगा।***

Candidates reporting late or beyond the prescribed time shall not be allowed to appear in the exam under any circumstances. ***NBEMS shall not be responsible for any delayed arrival of the candidate in reaching the centre due to any reason.***

6.7. परीक्षा केंद्र का स्थान: परीक्षा केंद्रों का सटीक पता और स्थान प्रवेश पत्र में दर्शाया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन से कम से कम एक दिन पहले परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग काउंटर के स्थानों से खुद को परिचित कर लें और सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित समय पर ही परीक्षा के लिए रिपोर्ट करें। गूगल मानचित्र स्थान को केवल त्वरित संदर्भ के लिए प्रवेश पत्र में दर्शाया जाएगा। किसी भी देरी से बचने के लिए परीक्षा केंद्र के सटीक स्थान की पुष्टि करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी।

Test Centre Location: Exact address and location of the test centres shall be indicated in the admit card. Candidates are advised to familiarise themselves with the test centre and reporting counter locations at least one day prior to the examination day and ensure that they report for the exam as per scheduled time only. Google map location shall be indicated in the admit card for quick reference only. It shall be the responsibility of the candidate to confirm the exact location of the test centre well in advance to avoid any delay in arrival.

6.8. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय रिपोर्टिंग समय से काफी पहले टेस्ट सेंटर पहुँचें और परीक्षा वाले पूरे दिन के लिए पर्याप्त समय रखें। परीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं—जैसे रजिस्ट्रेशन, ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन, सुरक्षा प्रक्रियाओं और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति को संभालने—में तय परीक्षा समय से ज़्यादा समय लग सकता है। *उम्मीदवारों को अपनी यात्रा और अन्य कामों की योजना उसी हिसाब से बनानी चाहिए और परीक्षा वाले दिन आगे की यात्रा के लिए ऐसे इंतज़ाम करने से बचना चाहिए जिनमें कोई बदलाव न किया जा सके।*

Candidates are advised to reach the Test Centre well before the prescribed reporting time and keep adequate time available for the entire examination day. Examination-related processes, including registration, authentication, verification, security procedures and management of unforeseen contingencies, *may extend beyond the scheduled examination duration. Candidates should plan their travel and other commitments accordingly and avoid making inflexible onward travel arrangements on the day of examination.*

6.9. कृपया ध्यान दें कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें प्रवेश पत्र जारी किया गया है, बशर्ते कि वे दस्तावेजी आवश्यकताएं पूरी कर लें।

Please note that only the candidates who have been issued admit card will be allowed entry inside the examination centre premises subject to fulfilment of documentary requirements.

6.10. **उम्मीदवारों के साथ आने वाले मित्रों या रिश्तेदारों को** किसी भी परिस्थिति में **परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी** तथा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Friends or relatives accompanying the candidates will not be allowed entry in the examination centre premises under any circumstances and will not be allowed to contact the candidate while the examination process is ongoing.

6.11. **प्रवेश द्वार पर बारकोड / क्यूआर कोड रीडर:** उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र और पहचान पत्र सत्यापन के लिए टेबल के दूसरी ओर खड़े परीक्षा अधिकारी को दिखाएगा, जिसके पास बारकोड/क्यूआर कोड

रीडर होगा। उम्मीदवार को निर्धारित लैब नंबर के बारे में सूचित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, रोल नंबर और निर्धारित लैब की सूची परीक्षा स्थल के बाहर प्रदर्शित की जाएगी।

Barcode / QR Code Reader at Entry Points: The candidate will flash the admit card and ID proof for verification to the exam functionary standing across the table with barcode/QR code reader. Candidate shall be informed about the assigned lab number. Alternatively, the list of Roll numbers and assigned labs shall be displayed outside the test venue.

6.12. परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर पहचान की जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अनधिकृत उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हो रहा है।

Identity checks will be made upon arrival at the test centre to ensure that there are no unauthorized candidates appearing for the exam.

6.13. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर **निम्नलिखित दस्तावेज** **अवश्य लाने होंगे** / Candidates **MUST bring** to the test centre the **following documents** : -

6.13.1. बारकोडेड / क्यूआर कोडेड प्रवेश पत्र की **रंगीन** प्रिंटेड कॉपी।

Printed **COLOUR** copy of Barcoded / QR Coded Admit card.

6.13.2. अगर RPwD एक्ट, 2016 के प्रावधानों के तहत स्क्राइब (लिखने में मदद करने वाला) या अतिरिक्त समय की गई है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी यूडीआईडी /विकलांगता प्रमाण-पत्र।

UDID/Disability Certificate issued by the Competent Authority, ***if claiming scribe / extra-time*** as per provisions of the RPwD Act, 2016.

6.13.3. नीचे उल्लिखित सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्रों** में से कोई भी एक **(मूल और वैध एवं समाप्त न हुआ हो) /** Any one of the below mentioned Govt issued photo IDs** (**must be original and valid / non-expired**):

- पैन कार्ड / PAN Card
- ड्राईविंग लाइसेंस/ Driving License
- वोटर आईडी / Voter ID
- पासपोर्ट / Passport
- आधार कार्ड (फोटोग्राफ सहित) **/ Aadhaar Card (With Photograph) **

कृपया ऊपर बताई गई फ़ोटो IDs में से कम से कम एक, और जितनी ज़्यादा हो सकें, उतनी IDs अपने साथ लाएँ—ये वही IDs होनी चाहिए जो आपको जारी की गई हैं और जिनकी जानकारी आपने आवेदन फ़ॉर्म में दी है।
Please bring at least one but as many of the above-mentioned Photo IDs which are issued to you and details of which have been provided in the application form.

** जिन उम्मीदवारों ने आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन के लिए सहमति दी है और आवेदन फ़ॉर्म में अपना आधार नंबर दिया है, उन्हें परीक्षा के दिन अपना आधार कार्ड साथ लाना होगा; साथ ही, उस दिन वेरिफिकेशन के लिए उनका आधार 'अनलाक' होना चाहिए।
** Candidates who have consented to Aadhaar-based authentication and provided their Aadhaar number in the application form must carry their Aadhaar card on the day of the examination; additionally, their Aadhaar must be 'unlocked' for verification purposes on that day.

6.14. यदि कोई उम्मीदवार पहचान के प्रमाण के रूप में आधार नंबर मुद्रित ई-आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करता है, ***तो ई-आधार कार्ड अच्छी गुणवत्ता वाला*** रंगीन ***प्रिंट आउट होना चाहिए, जिस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली फोटो हो।*** फोटो में कोई मोड़, खरोंच या दाग नहीं होना चाहिए, और निश्चित रूप से ई-आधार कार्ड प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार से मेल खाना चाहिए। इस संबंध में एनबीईएमएस का निर्णय अंतिम होगा।

In case, any candidate reports to the test center with e-Aadhaar Card with Aadhaar number printed on it as proof of identity, ***the e-Aadhaar Card should be a good quality COLOUR print out with clearly visible photograph.*** The photograph should not have kinks, scratches and stains, and should definitely match with the candidate presenting the e-Aadhaar Card. Decision of NBEMS in this regard shall be final".

***** फोटो पहचान पत्र पर नाम प्रवेश पत्र पर दिखाए गए नाम से मेल खाना चाहिए।*** यदि विवाह आदि के कारण नाम बदल गया है, तो उम्मीदवार को नाम में परिवर्तन के दावे को प्रमाणित करने के लिए संबंधित दस्तावेज़ दिखाना होगा (विवाह प्रमाणपत्र / तलाक का आदेश / कानूनी नाम परिवर्तन दस्तावेज़ / नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना) । ***प्रवेश पत्र और दिखाए गए फोटो आईडी प्रमाण के बीच नाम में विसंगति होने की स्थिति में, प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।***

The name on the photo identification must match with the name as shown on the Admit Card. *If name has changed due to marriage etc, candidate must show the relevant document to substantiate claim for change in name (Marriage Certificate/Divorcee Decree/ Legal Name Change Document/ Gazette notification for name change).* ***In case of Mismatch in name between admit card and Photo ID proof shown, entry shall not be allowed.***

6.15 आधार-आधारित पहचान सत्यापन (केवल उन मामलों में लागू जहाँ आवेदन फ़ॉर्म में आधार विवरण दिए गए हैं) / Aadhaar Based Identity Verification (Applicable only where Aadhaar details have been provided in the application form):

6.15.1. जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय पहचान की जानकारी में आधार का विवरण दिया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर आधार ऑथेंटिकेशन के ज़रिए पहचान की पुष्टि के लिए अपना ओरिजिनल आधार कार्ड / ई-आधार / ई-आधार की अच्छी क्वालिटी वाली प्रिंटेड **रंगीन** कॉपी / आधार कार्ड की **रंगीन** फोटोकॉपी साथ लाएँ।
Candidates who have furnished Aadhaar details in the identification information at the time of online application submission are advised to carry original Aadhaar Card / e-Aadhaar / good quality printed **COLOUR** copy of e-Aadhaar / **COLOUR** photocopy of Aadhaar Card, for the purpose of identity verification through Aadhaar authentication at the examination centre.

6.15.2. **उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा के दिन आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लॉक या डिसेबल न हो।**
Candidates must ensure that Aadhaar biometric authentication is NOT locked / disabled on the examination day.

6.15.3. जिन उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लॉक है, उन्हें परीक्षा के समय आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन में परेशानी हो सकती है। परीक्षा से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यूआईडीएआई आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर अपना आधार बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट / आइरिस) और डेमोग्राफिक जानकारी अपडेट करवा लें। ऐसा करने से परीक्षा के दिन ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकेगी। अपडेटेड और सही आधार डेटा होने से एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
Candidates with locked biometric authentication may face difficulty in Aadhaar-based authentication at the test. Before the exam, it is advisable for candidates to get their Aadhaar biometric data (fingerprint / iris) and demographic details updated at a UIDAI Aadhaar Enrolment Centre. Taking this step will help ensure a smooth authentication process on the day of your exam. Updated, valid Aadhaar data prevents entry issues.

6.15.4. **आधार बायोमेट्रिक्स (अगर लॉक हैं) को अनलॉक करने के लिए गाइडलाइंस:** उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फ़ॉलो करके आधार ऑथेंटिकेशन को कुछ समय के लिए अनलॉक कर सकते हैं / **Guidelines to Unlock Aadhaar Biometrics (if locked):** Candidates may unlock Aadhaar authentication temporarily by following the steps below:

- Visit UIDAI portal https://myaadhaar.uidai.gov.in
  or
  use the mAadhaar App
- Click on Lock / Unlock Aadhaar

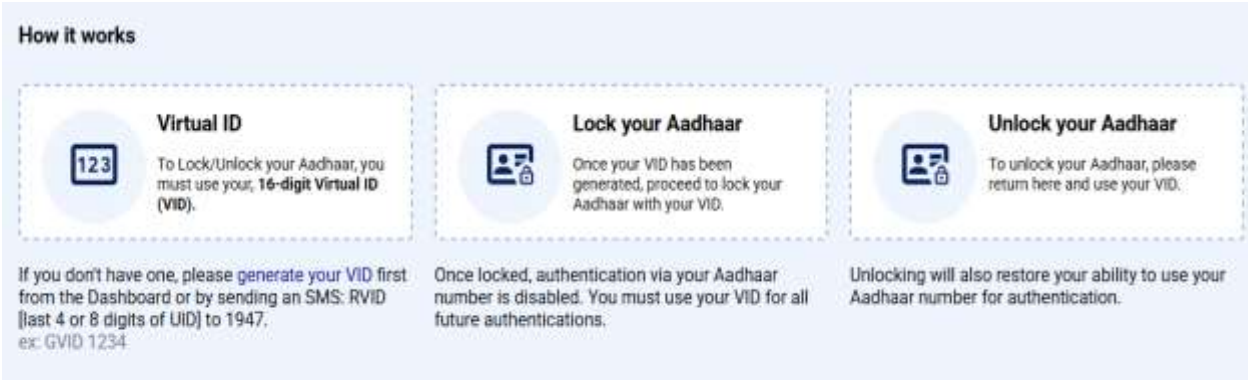

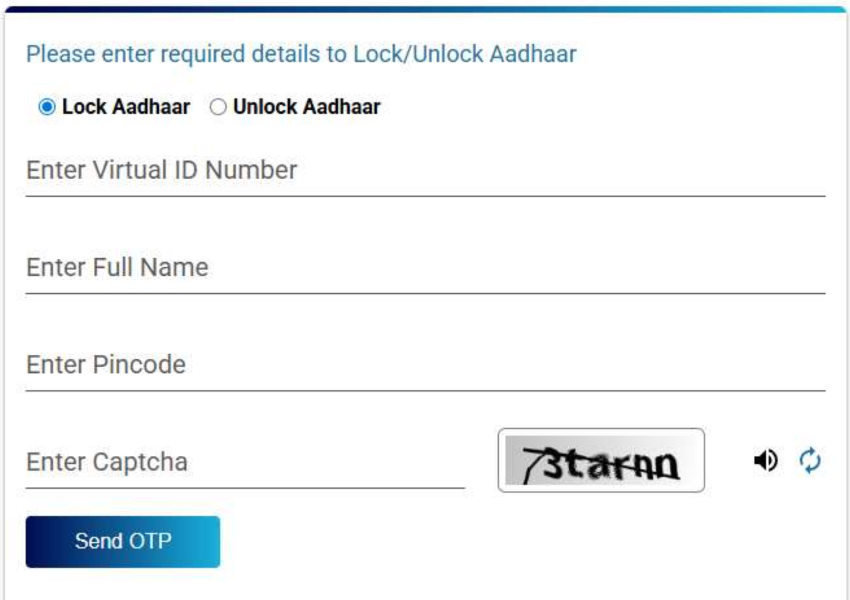

- *रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिला OTP डालें*
  Enter OTP received on registered mobile number
- *आधार अनलॉक/डिसेबल, लॉक और कन्फर्म चुनें।*
  Select Unlock / Disable Aadhaar, Lock and confirm
- *अगर चाहें, तो उम्मीदवार परीक्षा पूरी होने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन को फिर से लॉक कर सकते हैं।*
  Candidates may re-lock Aadhaar authentication after completion of the examination, if desired.
- *यूआईडीएआई आधार नंबर रखने वालों को सलाह देता है कि वे आधार नंबर बनने की तारीख से कम से कम हर 10 साल में एक बार अपनी पहचान के प्रमाण (POI) और पते के प्रमाण (POA) से जुड़े दस्तावेज़ या जानकारी को अपडेट करें*
  UIDAI suggest the Aadhaar number holder to update his or her document or information regarding proof of identity (POI), proof of address (POA) at least once in 10 years from date of generation of Aadhaar number

- *बेहतर सर्विस देने और आधार-आधारित सही ऑथेंटिकेशन के लिए आप अपने आधार डेटाबेस में मौजूद डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। इसलिए, पहचान और पते से जुड़े हाल के डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना आधार नंबर होल्डर के हित में है।*
  You may update the documents in your Aadhaar database for better service delivery and accurate Aadhaar based authentication. Therefore, updating recent identity and address documents is in the interest of the Aadhaar number holder.

नोट :परीक्षा केंद्र पर पहचान सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग केवल एक वैकल्पिक सुधारात्मक उपाय के रूप में किया जा रहा है और इसे एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए उम्मीदवार की पात्रता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।

NOTE: Aadhaar authentication is being utilized only as an optional facilitative measure for identity verification at the examination centre and shall not be treated as proof of eligibility of the candidate for FMGE October 2026 .

6.16. जिन उम्मीदवारों ***के पास ओरिजिनल हार्ड कॉपी वाला वैलिड आईडी प्रूफ नहीं होगा, उन्हें परीक्षा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।*** सरकार द्वारा जारी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। डिजी लॉकर में दिखाया गया आईडी प्रूफ भी स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

Candidates ***without original hard copy valid ID proof shall not be allowed to enter the examination premises.*** Photocopies of Govt. issued ID proofs shall not be accepted. Identity proof shown in DigiLocker shall also not be acceptable as candidates shall not be allowed to carry electronic devices inside the exam centre.

6.17. झूठे / जाली दस्तावेज / आईडी प्रमाण प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ अनुचित साधन का मामला दर्ज किया जाएगा।

Unfair means case shall be registered against the candidates producing false / forged documents / ID Proofs.

6.18. **परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा:** उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा परिसर में **सुरक्षा जांच बिंदु से आगे** निम्नलिखित वस्तुएं ले जाने की **अनुमति नहीं दी जाएगी** **/ SECURITY AT THE TEST CENTRE:** Candidates **will not be allowed to take the following items beyond security check point** in examination premises under any circumstances:

- कोई भी स्टेशनरी वस्तु जैसे पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), नोट्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, लेखन पैड, पेन ड्राइव, रबड़ आदि।
  Any stationery item like textual material (printed or written), notes, Plastic Pouch, Calculator, Pen, Writing Pad, Pen Drives, Eraser, etc.

- कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफ़ोन, माइक्रोफोन, पेजर, कलाई घड़ी / हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, एआई-सक्षम चश्मे, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर आदि।
  Any electronic device like Mobile Phone, Bluetooth, Earphones, Microphone, Pager, wrist watch / Health Band, Smart Watch, AI-enabled glasses, Calculator, Electronic Pen / Scanner etc.

- सभी आभूषण जैसे कंगन, अंगूठी, कान की बाली, नाक की पिन, चेन/हार, पेंडेंट, पेंडेंट के साथ हार, बैज, ब्रोच आदि।
  All ornaments like bracelets, Ring, Earrings, Nose-pin, Chain / Necklace, Pendants, Necklace with pendants, Badge, Brooch etc.

- अन्य वस्तुएं जैसे वॉलेट, चश्मा, मास्क, हैंडबैग, बेल्ट, टोपी आदि।
  Other items like Wallet, Goggles, Mask, Handbags, Belt, Gloves, Cap etc.

- कोई भी खुली या पैक की हुई खाद्य सामग्री, शीतल पेय, पानी की बोतल आदि।
  Any eatable item opened or packed, soft drinks, water bottle etc.

- कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग अनुचित साधनों के लिए, वायरलेस/ब्लूटूथ डिवाइस, जासूसी कैमरा आदि जैसे संचार उपकरणों को छिपाने के लिए किया जा सकता हो।
  Any other item which could be used for unfair means, for hiding communication devices like wireless / Bluetooth device, spy camera etc.

6.19. उम्मीदवारों को परीक्षा प्रयोगशाला में अपने साथ निम्नलिखित वस्तुएं ले जाना अनिवार्य होगा / Candidates will be compulsorily required to carry following items with them to the examination lab:

- प्रवेश पत्र का **रंगीन** प्रिंटआउट।

  COLOUR printout of Admit Card.

- सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण (वोटर आईडी/पैन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस) की मूल हार्ड कॉपी।

  Govt issued photo identification proof (Voter ID / PAN Card / Aadhaar Card / Passport/Driving License) in original hard copy.

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध दिव्यांगजन प्रमाण पत्र विशिष्ट /दिव्यांगजन पहचान पत्र)यूडीआईडी), **यदि** RPwD अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार केवल स्क्राइब स्क्राइब और प्रतिपूरक समय / / केवल प्रतिपूरक समय का **दावा** किया जा रहा हो।

  Valid Disability certificate / Unique Disability ID (UDID) issued by the Competent Authority, **if claiming** Scribe only / Scribe and Compensatory time / Compensatory time only as per provisions of the RPwD Act, 2016.

कृपया परीक्षा केंद्रों के अंदर ले जाने की अनुमति वाली वस्तुओं के लिए प्रवेश पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Please read the admit card carefully for items permitted to carry inside the examination centres.

6.20. **केंद्रों पर उम्मीदवारों से संबंधित किसी भी वस्तु / सामग्री को रखने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।** यदि किसी उम्मीदवार के पास सुरक्षा जांच बिंदु से परे केंद्र के अंदर कोई भी प्रतिबंधित वस्तु पाई जाती है, तो इसे अनुचित साधनों का उपयोग माना जाएगा और संबंधित प्रावधानों के अनुसार उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। **किसी भी कठिनाई से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर अपने साथ प्रतिबंधित वस्तुएँ न लाएँ।**

No arrangement will be made at the centres for keeping any articles/items belonging to the candidates. In case any candidate is found in possession of any of the barred items inside the centre beyond the security check point, it will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate in accordance with the relevant provisions. **To avoid any hardship candidates are advised not to bring prohibited items along with them at the test Centre.**

6.21. परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने पर, सभी उम्मीदवारों को अनिवार्य सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। ऐसी जांचों में हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर (HHMD) के माध्यम से स्क्रीनिंग, सुरक्षा कर्मियों द्वारा शारीरिक तलाशी (फ्रिस्किंग), ब्लूटूथ इयरपीस, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे छिपे हुए संचार उपकरणों या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं का पता लगाने के लिए कानों का निरीक्षण, तथा परीक्षा की शुचिता, सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य सुरक्षा उपाय शामिल हो सकते हैं।

Upon entering the test centre, all candidates shall undergo mandatory security checks. Such checks may include screening through a Hand-Held Metal Detector (HHMD), physical frisking by security personnel, inspection of ears for detection of concealed communication devices such as Bluetooth earpieces, micro electronic gadgets or other

prohibited items, and such other security measures as may be considered necessary to maintain the integrity, security and sanctity of the examination.

महिला उम्मीदवारों की गोपनीयता (निजता) के लिए, कपड़े से ढका हुआ एक अलग संलग्न क्षेत्र (तलाशी बूथ) प्रदान किया जाएगा और महिला उम्मीदवारों की तलाशी केवल महिला सुरक्षा कर्मियों द्वारा ही ली जाएगी।

For the privacy of female candidates, a separate cloth-covered enclosed area (frisking booth) shall be provided and frisking of female candidates shall be conducted only by female security personnel.

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में आसानी से, सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों और परीक्षा अधिकारियों को पूरा सहयोग देना होगा।

Candidates are required to extend full cooperation to the security staff and examination functionaries to ensure smooth, secure and hassle-free entry into the examination centre.

6.22. अगर कोई उम्मीदवार शराब और / या नशीले पदार्थों के असर में पाया जाता है, तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा; और यदि परीक्षा के दौरान या उससे पहले ऐसा पाया जाता है, तो उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा।

Any candidate who is found to be under the influence of alcohol and / or drugs shall be denied entry to the examination premises or expelled from the examination, if detected during exam / before exam.

6.23. परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्र या हथियार रखने वाला कोई भी उम्मीदवार पाया जाता है, तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

Any candidate found to be in possession of firearms or weapons during the examination shall be denied entry.

6.24. परीक्षा स्थल पर परीक्षा के लिए पंजीकरण के समय उम्मीदवारों की **फिंगर बायोमेट्रिक्स कैप्चर की जाएगी।** इसके अलावा**,** उम्मीदवारों की तस्वीर परीक्षा के दिन केंद्र पर पंजीकरण के समय**,** प्रत्येक बायो-ब्रेक पर और परीक्षा के दौरान भी कैप्चर की जाएगी। **फेस आईडी** को परीक्षा के दिन कैप्चर की गई तस्वीर और एप्लिकेशन फॉर्म में अपलोड की गई तस्वीर से **सत्यापित किया जाएगा।** इसलिए**,** फेस आईडी सत्यापन प्रक्रिया में बेमेल से बचने के लिए**,** निर्धारित छवि अपलोड दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन में ***एक नवीनतम फोटोग्राफ अपलोड करना आवश्यक है।*** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे किसी भी

तरह के प्रतिरूपण के मामलों से बचने के लिए इस आवश्यक गतिविधि में सहयोग करें। यह एक सुरक्षा सुविधा है जो सुनिश्चित करेगी कि केवल वास्तविक उम्मीदवार ही परीक्षा के लिए उपस्थित हों। उपरोक्त सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करने वाले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Finger Biometrics of candidates **shall be captured** at the time of registration for the test at test venue. In addition, Photograph of the candidates shall also be captured on the exam day at the centre at the time of registration, at each bio-break and during the exam. **Face ID shall be verified** against the photograph(s) captured on the exam day and photograph(s) uploaded in the application from. ***Therefore, it is essential to upload a RECENT photograph in the application as per image upload guidelines prescribed, in order to avoid mismatch in Face ID verification process*.** Candidates are requested to cooperate with this essential activity to avoid any cases of impersonation. This is a security feature which will ensure that only genuine candidate appear for the exam. Any candidate not adhering to the aforementioned security measures will not be allowed to take the test

6.25. परीक्षा के दौरान मैनुअल और / या डिजिटल अटेंडेंस (हाज़िरी) ली जा सकती है, जिसमें फ़ोटो लेना, फेस आईडी वेरिफ़िकेशन, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लेना शामिल हो सकता है। उम्मीदवारों को इसके लिए परीक्षा से जुड़े अधिकारियों का सहयोग करना होगा।

Manual and / or digital attendance, including photograph capture, Face ID verification, signature and thumb impression, may be undertaken during the examination. Candidates shall be required to cooperate with the examination functionaries for the same.

6.26. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे टेस्ट के लिए फिंगर बायोमेट्रिक आधारित रजिस्ट्रेशन में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए अपनी उंगलियों पर **मेहंदी** या **रंग** से टैटू न बनवाएं।

Candidates are advised to refrain from tattooing their fingers with **henna** / **colours** to avoid difficulties in finger biometric based registration for the test

6.27. उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान अपना प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक है।

Candidates are required to keep their admit card and photo identification with them at all times during the conduct of examination.

6.28. **परीक्षा शुरू करने के लिए उम्मीदवारों को इनविजिलेटर (निरीक्षक) के निर्देश सुनने होंगे।** हर वर्कस्टेशन तीन तरफ से – सामने, बाईं और दाईं ओर से – घिरा होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है

कि वे दूसरे उम्मीदवारों की ओर न देखें, क्योंकि वहां सर्विलांस कैमरे भी होंगे जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। टेस्ट सेंटर पर रफ़ काम के लिए कोई रफ़ पेपर या पेन / पेंसिल नहीं दिया जाएगा। टेस्ट सेंटर के अंदर पेन / पेंसिल और रफ़ पेपर ले जाने की न तो कोई ज़रूरत है और न ही इसकी इजाज़त है।

Candidates are required to listen to the invigilator's instructions to begin the exam. Each workstation will be blocked from three sides – front, left and right. Candidates are advised not to look around at other candidates as there will be surveillance cameras also that will record video. No rough paper for rough work or pen / pencil shall be provided at the test centre. There is no requirement and no permission to carry a pen / pencil and rough paper inside the test centre.

6.29. उम्मीदवार की ओर से कोई भी संदिग्ध या व्यवधानकारी व्यवहार उम्मीदवारी रद्द करने का कारण बन सकता है। परीक्षा के दौरान किसी भी समस्या के लिए, उम्मीदवार निरीक्षक को सूचित करने के लिए अपना हाथ उठा सकता है। **किसी भी हालत में,** उन्हें दूसरे उम्मीदवार से बात नहीं करनी चाहिए या दूसरे उम्मीदवार के कंप्यूटर सिस्टम में झांकना नहीं चाहिए।

Any suspicious or disruptive behaviour on part of the candidate may lead to cancellation of candidature. For any issues during the exam, candidate may raise his or her hand to notify Invigilator. **Under no circumstance,** they should talk to the fellow candidate or peep into the computer systems of the fellow candidate.

6.30. **टेस्ट सेंटर से उम्मीदवारों का बारी-बारी से बाहर निकलना:** परीक्षा खत्म होने के बाद, उम्मीदवारों को टेस्ट सेंटर से बारी-बारी से बाहर निकलने के लिए कहा जाएगा। सेंटर इंचार्ज इस बारे में जानकारी देंगे ताकि सेंटर से बाहर निकलने की जगह पर भीड़ न हो।

Staggered exit of candidates from test centres: Upon completion of the examination, candidates will be directed to leave the test venue in a staggered manner which will be communicated by the respective centre in-charges in order to avoid crowding at the test venue exit.

6.31. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में घबराएं नहीं। ऐसी स्थितियों से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए गए हैं कि परीक्षा के लिए निर्धारित समय का कोई नुकसान न हो। विभिन्न स्थितियों में उठाए जाने वाले मानक कदमों का विवरण नीचे दिया गया है **/** Candidates are advised not to panic in the event of any technical disruption during the examination. Appropriate measures are in place to address such

contingencies and ensure that there is no loss of the allotted examination time. The standard actions to be taken under various scenarios are detailed below:

मामला Case	विफलता का विवरण Description of failure	मानक कार्रवाई Standard actions taken
1	परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के लॉग-इन करने के बाद व्यवधान उत्पन्न होना (जैसे बिजली चली जाना) (एक या अधिक उम्मीदवारों के लिए)। Disruption happens (e.g Power Failure) during the exam time after the candidates have logged in (either for one or more candidates).	कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं। विफलता होने पर टाइमर रुक जाएगा और विफलता ठीक होने पर टाइमर फिर से शुरू हो जाएगा। व्यवधान / विफलता के कारण आवंटित परीक्षा समय में कोई समय हानि नहीं होगी। No action necessary. The timer will stop when the failure occurs and will resume when the failure is rectified. There will be no time loss in allocated examination time due disruption/failure.
2	परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की मशीन लॉक होना (उदाहरणार्थ प्राथमिक सर्वर से कनेक्टिविटी का टूट जाना)। Candidate machine is locked during the exam. (e.g Loss of connectivity with the Primary Server).	प्रत्येक परीक्षा कक्ष में आईटी प्रबंधक उम्मीदवार के एकाउंट का सत्यापन और अनलॉक करता है और टाइमर उसी स्थान से शुरू होता है जहाँ से उम्मीदवार ने छोड़ा था। IT Manager in each exam room verifies and unlocks the candidates account and the timer starts from the same point where the candidate had left. इस लॉकिंग के कारण आवंटित परीक्षा समय में कोई समय की हानि नहीं होगी। There will be no time loss in allocated examination time due to this locking.
3	उम्मीदवार को मशीन में किसी विशिष्ट समस्या की शिकायत होना (जैसे स्क्रीन का झिलमिलाना, माउस की समस्या, सिस्टम का बार-बार लॉक/हैंग हो जाना आदि)। Candidate complains of any specific issues in the machine (e.g screen flickering, mouse issue, system getting locked / hanged repeatedly etc).	समस्या की सूचना मिलने पर, आईटी प्रबंधक/निरीक्षक परीक्षार्थी की मशीन की जाँच करके उसे लॉक कर देते हैं। यदि आवश्यक हो, तो परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को उनकी आवंटित सीट से उसी या किसी अन्य लैब में बफर सीट पर स्थानांतरित किया जा सकता है। On reporting of the issue, IT Manager / Invigilator verifies and locks the candidate machine. The candidate may be shifted from their allotted seat to buffer seat in same or other lab during the examination, if required. इस स्थानांतरण से आवंटित परीक्षा समय में कोई हानि नहीं होगी। There will be no time loss in allocated examination time due to this shifting

ऐसे व्यवधान के दौरान उम्मीदवारों से अपनी आवंटित सीटों पर बैठे रहने और अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। उम्मीदवार अपनी आवंटित सीटें नहीं छोड़ेंगे, परीक्षा कक्ष में इधर-उधर नहीं घूमेंगे, अन्य उम्मीदवारों से बातचीत या चर्चा नहीं करेंगे, नारे नहीं लगाएंगे, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे या किसी ऐसे कृत्य में संलिप्त नहीं होंगे जिससे परीक्षा के सुरक्षित, सुदृढ़ और सुचारू संचालन पर प्रभाव पड़ सकता हो।

Candidates are required to remain seated at their allotted seats and maintain discipline during such disruption. Candidates shall not leave their allotted seats, move around the examination hall, communicate or discuss with other candidates, raise slogans, create any disturbance or engage in any act that may affect the safe, secure and smooth conduct of the examination.

जब तक रुकावट ठीक नहीं हो जाती, तब तक उम्मीदवारों को धैर्य रखना होगा और परीक्षा केंद्र/परीक्षा स्टाफ के निर्देशों का पालन करना होगा। सिस्टम ठीक होने के बाद, लागू परीक्षा नियमों के अनुसार परीक्षा फिर से शुरू होगी।

Candidates shall remain patient and follow the instructions of the Examination Centre/Examination Staff until the disruption is rectified. The examination shall resume as per the applicable examination protocol after restoration of the system.

जो भी उम्मीदवार हंगामा करता है, नारे लगाता है, परीक्षा केंद्र या परीक्षा स्टाफ के निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है, परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने में बाधा डालता है, या कोई ऐसा काम करता है जिससे परीक्षा सुरक्षित और सुचारू रूप से आयोजित करने में दिक्कत आए, तो उसके खिलाफ एनबीईएमएस के 'अनुचित साधनों / दुर्व्यवहार' से जुड़े नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
Any candidate who creates a disturbance, raises slogans, refuses to follow the instructions of the Examination Centre/Examination Staff, obstructs the smooth conduct of the examination or otherwise indulges in any act detrimental to the safe, secure and smooth conduct of the examination may be dealt with under the applicable Unfair Means/Misconduct Guidelines of NBEMS.

परीक्षा के दौरान, जिसमें किसी भी तरह की बाधा के समय भी शामिल है, उम्मीदवारों के व्यवहार पर सीसीटीवी सर्विलांस और परीक्षा-सुरक्षा के अन्य तरीकों से नज़र रखी जा सकती है।
The conduct of candidates during the examination, including during any such disruption, may be monitored through CCTV surveillance and other examination-security mechanisms.

6.32. यदि आपको परीक्षा केंद्र पर कोई दवा या चिकित्सा सहायता उपकरण ले जाने की आवश्यकता है, तो कृपया सहायक चिकित्सा दस्तावेज साथ लेकर जाएँ। ऐसे दस्तावेजों के अभाव में, आपको ऐसे उपकरण / कृत्रिम अंग / दवा आदि ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आपको स्क्राइब की किसी सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया RPwD अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ एनबीईएमएस संचार वेब पोर्टल पर एक प्रश्न प्रस्तुत करके एनबीईएमएस की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करें। स्क्राइब और / या प्रतिपूरक समय की आवश्यकता के बारे में जानकारी आवेदन पत्र में भी उल्लेखित की जानी चाहिए। एनबीईएमएस की पूर्व स्वीकृति के अभाव में, आपको परीक्षा केंद्र के अंदर अपने साथ स्क्राइब ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Should you need to carry any medicine or a medical assistance device at the exam centre, please carry supportive medical documents. In absence of such documents, you shall not be permitted to carry such devices / prosthesis / medicine etc. Should you require any assistance of scribe, please seek prior approval of NBEMS by way of submitting a query at NBEMS Communication Web Portal along with documents in support as per provisions of RPwD Act, 2016. Information about requirement of Scribe and/or Compensatory time needs to be mentioned in application form also. In absence of prior approval of NBEMS, you shall not be allowed to accompany a scribe with you inside the exam centre.

6.33. एनबीईएमएस के पास परीक्षा प्रक्रिया, टेस्ट सिटी / टेस्ट सेंटर के आवंटन या परीक्षा से जुड़ी किसी भी गतिविधि को टालने, उसका समय बदलने, उसे रद्द करने, उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने या उसमें बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसा किसी अप्रत्याशित घटना (force majeure), प्राकृतिक आपदा, कानून-व्यवस्था की स्थिति, सरकार/माननीय न्यायालय के निर्देशों, तकनीकी खराबी, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या ऐसे किसी भी अन्य हालात के कारण किया जा सकता है जो उसके नियंत्रण से बाहर हों। ऐसे मामलों में एनबीईएमएस का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों को उसे मानना होगा।

NBEMS reserves its right to defer, reschedule, cancel, shift or modify the examination process, allotment of Test City / Test Centre or any examination-related activity due to force majeure events, natural calamities, law and order situations, Government / Hon’ble Court directions, technical failures, public health emergencies or any other circumstances beyond its reasonable control. The decision of NBEMS in such matters shall be final and binding upon the candidates.

7.एफएमजी परीक्षा के लिए केंद्र / Centre for FMG Examination

7.1. जिन शहरों में एफएमजीई अक्टूबर 2026 आयोजित किया जाएगा उनकी संभावित सूची इस प्रकार है:
The tentative list of cities where FMGE October 2026 shall be conducted is as follows:

Sr. No.	State	City
1	Andhra Pradesh	Guntur
2	Andhra Pradesh	Kurnool
3	Andhra Pradesh	Nellore
4	Andhra Pradesh	Tirupathi
5	Andhra Pradesh	Vijayawada
6	Andhra Pradesh	Visakhapatnam
7	Andhra Pradesh	Vizianagaram
8	**Arunachal Pradesh**	**Itanagar / Naharlagun**
9	Assam	Guwahati
10	**Bihar**	**Muzaffarpur**
11	**Bihar**	**Patna**
12	Chhattisgarh	Bhilai
13	**Delhi**	**New Delhi**
14	Goa	Madgaon
15	**Gujarat**	**Ahmedabad**
16	**Gujarat**	**Gandhinagar**
17	**Gujarat**	**Mehsana**
18	**Gujarat**	**Rajkot**
19	**Gujarat**	**Surat**
20	Haryana	Faridabad
21	**Himachal Pradesh**	**Hamirpur**
22	Jammu And Kashmir	Jammu
23	Jammu And Kashmir	Srinagar
24	**Karnataka**	**Bengaluru**
25	**Karnataka**	**Mangaluru (Mangalore)**
26	**Karnataka**	**Mysuru(Mysore)**
27	**Karnataka**	**Shivamogga (Shimoga)**
28	**Karnataka**	**Udupi**
29	Keralam	Ernakulam

30	Keralam	Kannur
31	Keralam	Kollam
32	Keralam	Kottayam
33	Keralam	Kozhikode
34	Keralam	Thiruvananthapuram
35	**Madhya Pradesh**	**Bhopal**
36	Maharashtra	Amravati
37	Maharashtra	Kolhapur
38	Maharashtra	Mumbai
39	Maharashtra	Nagpur
40	Maharashtra	Nanded
41	Maharashtra	Nashik
42	Maharashtra	Pune
43	**Manipur**	**Imphal**
44	Meghalaya	Shillong
45	**Mizoram**	**Aizawl**
46	Nagaland	Kohima
47	**Odisha**	**Bhubaneswar**
48	Puducherry	Puducherry
49	**Punjab**	**Patiala**
50	**Punjab**	**Phagwara**
51	Rajasthan	Ajmer
52	Rajasthan	Bikaner
53	Rajasthan	Jaipur
54	Rajasthan	Jodhpur
55	Rajasthan	Sikar
56	Rajasthan	Udaipur
57	**Sikkim**	**Gangtok**
58	Tamil Nadu	Chennai
59	Tamil Nadu	Coimbatore
60	Tamil Nadu	Madurai
61	Tamil Nadu	Salem
62	Tamil Nadu	Tiruchirappalli
63	Tamil Nadu	Tirunelveli
64	Tamil Nadu	Vellore
65	**Telangana**	**Hyderabad**
66	Tripura	Agartala

67	**Uttar Pradesh**	**Agra**
68	**Uttar Pradesh**	**Aligarh**
69	**Uttar Pradesh**	**Ghaziabad**
70	**Uttar Pradesh**	**Kanpur**
71	**Uttar Pradesh**	**Moradabad**
72	**Uttar Pradesh**	**Noida**
73	**Uttar Pradesh**	**Prayagraj**
74	**Uttar Pradesh**	**Varanasi**
75	Uttarakhand	Haldwani
76	**West Bengal**	**Kolkata**

7.2. सटीक परीक्षा केंद्र स्थल (वेन्यू) की जानकारी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) के माध्यम से दी जाएगी। उम्मीदवारों को यात्रा / आवास (बोर्डिंग) आदि के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

The exact test centre venue will be informed to the candidates through admit cards. The Candidates shall make their own arrangement for travel / boarding etc.

7.3. आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करते समय, उम्मीदवार को उपलब्ध कराए गए परीक्षा शहरों में से अपनी पसंद के चार अलग-अलग परीक्षा शहरों का उल्लेख करना होगा, जहाँ वह एफएमजीई में शामिल होना चाहता / चाहती है। उम्मीदवार को उसके द्वारा चुने गए इन चार परीक्षा शहरों में से किसी भी एक शहर में रैंडम आवंटन प्रक्रिया (यादृच्छिक आवंटन प्रक्रिया) के माध्यम से परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। इन चार विकल्पों के बीच प्राथमिकता (वरीयता क्रम) दर्शाने के लिए नहीं कहा जाएगा। इन परीक्षा शहरों में से किसी एक में परीक्षा केंद्र के आवंटन का निर्णय एनबीईएमएस द्वारा प्रशासनिक, लॉजिस्टिक और सुरक्षा मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। ***किसी परीक्षा शहर का विकल्प दर्शाने मात्र से उस परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन की गारंटी नहीं मिलती है। उम्मीदवार द्वारा चुने गए चारों विकल्पों में से किसी में भी परीक्षा सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में, एनबीईएमएस देश में कहीं भी परीक्षा केंद्र आवंटित कर सकता है।***

At the time of online submission of application form, the candidate will be required to indicate his / her choices of Four different test cities amongst the test cities offered where he / she would like to appear in FMGE. The candidate shall be allocated the test centre for FMGE in any one of these Four test cities chosen by him/her using random allocation process. No preference shall be asked to be indicated amongst these Four choices. Allocation of the test centre in One of these test cities shall be decided by NBEMS on the basis of administrative, logistic and security parameters. ***Indicating a test city choice does not guarantee allocation of a test centre in One of these test cities. In an event of unavailability of a testing seat in any of the Four choices of the candidate, NBEMS may allocate a test centre anywhere in the country.***

7.4. **परीक्षा केंद्र/शहर बदलने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसके लिए प्रचार न करें।

Requests for change of testing centre / city shall not be entertained under any circumstances. Candidates are advised not to canvass for the same

7.5. परीक्षा के लिए तय किए गए टेस्ट शहर की जानकारी उम्मीदवारों को **20-10-2026** को ईमेल के ज़रिए दी जाएगी और उम्मीदवार एनबीईएमएस की वेबसाइट **https://natboard.edu.in** पर अपने क्रेडेंशियल्स से लॉग इन करके टेस्ट शहर की जानकारी देख सकते हैं।

The test city allotted for the examination will be intimated to the candidates through email on **20-10-2026** and candidate can view the Test City details by Login with their credentials at NBEMS website : **https://natboard.edu.in**

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे टेस्ट सिटी के आवंटन से जुड़ी जानकारी के लिए अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी (स्पैम/जंक फोल्डर सहित) और एप्लीकेंट लॉगिन डैशबोर्ड को नियमित रूप से चेक करते रहें।

Candidates are advised to regularly monitor their registered Email ID, including Spam / Junk folders, and applicant login dashboard for updates regarding allotment of Test City.

7.6. परीक्षा शहर में आवंटित परीक्षा केंद्र का पूरा पता प्रवेश पत्र में दर्शाया जाएगा, जो **27-10-2026** को पात्र उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार एनबीईएमएस की वेबसाइट **https://natboard.edu.in** से अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

The complete address of the test centre allotted in the test city shall be indicated in the admit card which shall be issued on **27-10-2026** to the Eligible Candidates**.** Candidates can download their Admit Card from the NBEMS website **https://natboard.edu.in** using their login credentials.

7.7. टेस्ट शहरों की लिस्ट सिर्फ़ अस्थायी है। किसी खास स्थिति में, अगर उम्मीदवारों द्वारा चुने गए शहर में टेस्ट सेंटर पर सिक्योरिटी ऑडिट की दिक्कतों, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याओं या किसी अनचाही वजह से परीक्षा नहीं हो पाती है, या अगर किसी टेस्ट शहर को चुनने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है, तो ऐसे उम्मीदवारों को उपलब्ध टेस्ट शहरों या नए टेस्ट शहरों में जगह दी जाएगी। टेस्ट शहरों में अगर ऐसा कोई बदलाव होता है, तो संबंधित उम्मीदवारों को पहले ही ईमेल के ज़रिए इसकी जानकारी दी जाएगी। एनबीईएमएस ज़रूरत पड़ने पर उम्मीदवारों को जगह देने के लिए बुलेटिन में न बताए गए नए टेस्ट शहर जोड़ सकता है या ऑपरेशनल चुनौतियों की वजह से पब्लिश किए गए टेस्ट शहरों की लिस्ट से कोई शहर हटा सकता है।

The list of test cities is purely tentative. In an extraordinary situation where the particular city chosen by the candidates could not be considered for conduct of examination due to security audit issues at test centers or other logistics issues / unforeseen reasons or

in case, there are very few candidates who opted for a test City. Candidates who would have opted for such test cities shall be accommodated at test cities available/at new test cities. Such change of test cities, if any, shall be intimated through email in advance to concerned candidates. NBEMS may add a new test city(s) which is not indicated in the bulletin if so required to accommodate the candidates or remove a test city(s) from the published test cities due to operational challenges.

7.8. परीक्षा शहर / परीक्षा केंद्र के आवंटन की प्रक्रिया के दौरान, दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों को लागू नियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार उचित सुविधा (उचित समायोजन) प्रदान की जाएगी।

During the process of allotment of Test City / Test Centre, reasonable accommodation shall be provided to PwBD candidates in accordance with applicable rules / guidelines.

7.9. ***एनबीईएमएस के पास परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए या परिचालन संबंधी व्यवहार्यता के कारण, उम्मीदवार द्वारा चुने गए परीक्षा शहरों के विकल्पों के बावजूद, देश में कहीं भी परीक्षा केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित है।***

NBEMS reserves its right to allocate test centre anywhere in the country irrespective of the test city choices selected by the candidate to maintain the sanctity of examination / due to operational feasibility.

7.10. **एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए परीक्षा शहर / केंद्र के आवंटन के संबंध में एनबीईएमएस का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी आधार पर परीक्षा केंद्र / शहर में बदलाव के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसके लिए कोई दबाव या अनुचित प्रभाव (कैनवासिंग) न डालें।**

The decision of the NBEMS regarding the allotment of the Test City / Centre for FMGE October 2026 shall be final. Requests for change of testing centre / city shall not be entertained on any ground. Candidates are advised not to canvass for the same.

8. ऑनलाइन एफएमजीई आवेदन पत्र भरने के निर्देश / Instructions to Fill Online FMGE Application Form

8.1. **नया उपयोगकर्ता पंजीकरण:** एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए आवेदन करने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को एनबीईएमएस की वेबसाइट **https://natboard.edu.in** पर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए अपना ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना होगा।

New User Registration: All candidates desirous of applying for FMGE October 2026 shall be required to create an online profile of themselves to generate a UserID and Password at NBEMS website **https://natboard.edu.in**

8.1.1. **ध्यान दें:** एफएमजीई अक्टूबर 2026 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान, कैंडिडेट्स को अपना नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर बहुत सावधानी से भरना चाहिए; साथ ही, रजिस्ट्रेशन के समय अपनी नेशनैलिटी (राष्ट्रीयता) भी बहुत ध्यान से चुननी चाहिए, क्योंकि बाद में इन डिटेल्स में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

NOTE : During the FMGE October 2026 registration process, candidates must enter their Name, Email id^^, Aadhaar number, and Mobile number with extreme care; furthermore, they must select their Nationality with utmost vigilance at the time of registration, as no changes to these details can be made at any subsequent stage.

रजिस्ट्रेशन के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म में ज़रूरी जानकारी/दस्तावेज़ भरकर और परीक्षा शुल्क का भुगतान करके अपना एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं।

After registration, candidates can submit their applications by filling in the required details / documents in the online application form and paying the examination fee.

उम्मीदवारों को एक 'एडिट विंडो' (बदलाव करने का मौका) दी जाएगी, जिसके ज़रिए वे अपनी जानकारी या दस्तावेज़ों में बदलाव कर सकेंगे (नाम, ईमेल, आधार नंबर, राष्ट्रीयता, परीक्षा शहर और मोबाइल नंबर को छोड़कर)।

Candidates will be provided with an 'Edit Window' (opportunity for modification), through which they can make changes to their information / documents (except Name, Email, Aadhaar Number, Nationality, Exam City, and Mobile Number).

एक बार एडिट विंडो बंद हो जाने के बाद, एप्लीकेशन फ़ॉर्म में दी गई जानकारी में कोई और बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

Once the Edit Window closes, no further changes to the information provided in the application form will be permitted.

^^	**पंजीकृत ईमेल आईडी के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह / Important Advisory regarding Registered Email ID:**
	उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में अपनी स्वयं की वैध, सक्रिय और सुलभ ईमेल आईडी प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान वह कार्यशील (फंक्शनल) रहे। उम्मीदवारों को अधिमानतः सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले और विश्वसनीय ईमेल सेवा प्रदाताओं का उपयोग करना चाहिए और अस्थायी या डिस्पोजेबल ईमेल पतों के साथ-साथ ऐसे ईमेल खातों के उपयोग से बचना चाहिए जो निष्क्रिय या पहुंच से बाहर हो सकते हैं। Candidates are advised to provide their own valid, active, and accessible email ID in the application form and ensure that the same remains functional throughout the examination process. Candidates should preferably use commonly used and reliable email service providers and avoid the use of temporary or disposable email addresses, as well as email accounts that may become inactive or inaccessible. **उम्मीदवारों को आगे यह सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि अकाउंट को रिकवर करने के उचित विकल्प, जैसे कि पंजीकृत ईमेल खाते से जुड़े वैकल्पिक ईमेल आईडी और / या मोबाइल नंबर, अपडेटेड और चालू (फंक्शनल) हों ताकि पासवर्ड से संबंधित या लॉगिन / पहुंच (एक्सेस) संबंधी समस्याओं के मामले में ईमेल खाते को आसानी से रिकवर या एक्सेस किया जा सके।** **Candidates are further advised to ensure that appropriate account recovery options, such as alternate Email ID and/or mobile number linked with the registered Email account, are updated and functional so as to facilitate recovery / access to the Email account in case of password-related or login / access issues.** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया के पूरा होने तक एनबीईएमएस से होने वाले सभी संवादों के लिए अपने पंजीकृत ईमेल आईडी के इनबॉक्स, स्पैम/जंक फ़ोल्डर्स और अन्य फ़िल्टर किए गए फ़ोल्डर्स की नियमित रूप से जांच करते रहें। उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके मेलबॉक्स की भंडारण क्षमता (स्टोरेज कैपेसिटी) **भरी हुई न हो** और एनबीईएमएस से आने वाले ईमेल को ईमेल सेवा प्रदाता या उसकी सेटिंग्स द्वारा **ब्लॉक न किया गया हो।**

	Candidates are advised to **regularly check** their registered Email ID, including Inbox, Spam / Junk folders and other filtered folders, for all communications from NBEMS till completion of the examination process. Candidates should also ensure that the mailbox storage capacity **is not full** and that emails from NBEMS **are not blocked** by the Email service provider / settings. उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा/परिणाम घोषित होने के दिन तथा प्रवेश प्रक्रिया के पूरा होने तक नवीनतम अपडेट, नोटिस, अलर्ट, शुद्धिपत्र और किसी भी प्रकार के संवाद के लिए नियमित रूप से एनबीईएमएस की वेबसाइट देखते रहें। अभ्य उम्मीदवार र्थी द्वारा गलत ईमेल आईडी देने, निष्क्रिय या पहुंच से बाहर ईमेल खातों, स्पैम / जंक फ़ोल्डर्स में ईमेल चले जाने, मेलबॉक्स की भंडारण क्षमता भरी होने, पंजीकृत ईमेल खाते तक पहुँचने या उसे पुनर्प्राप्त (रिकवर) करने में उम्मीदवार की असमर्थता, उम्मीदवार के स्तर पर तकनीकी समस्याओं, या उम्मीदवार द्वारा नियमित रूप से पंजीकृत ईमेल आईडी और एनबीईएमएस की वेबसाइट की जांच करने में विफलता के कारण ईमेल प्राप्त न होने या वितरित न होने (नॉन-डिलीवरी) के लिए एनबीईएमएस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। Candidates are further advised to regularly visit the NBEMS website for the latest updates, notices, alerts, corrigenda, and communications, if any, until the day of the examination/result declaration and the completion of the admission process. NBEMS shall not be held responsible for the non-receipt or non-delivery of emails due to an incorrect email ID furnished by the candidate, inactive or inaccessible email accounts, diversion of emails to Spam/Junk folders, full mailbox storage, the inability of the candidate to access or recover the registered email account, technical issues at the candidate's end, or the failure of the candidate to regularly check their registered email ID and the NBEMS website.

8.1.2. उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई कुछ जानकारी—जैसे कि नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार संख्या (यदि प्रदान की गई हो)—में पंजीकरण के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार, आवेदन पत्र जमा करने के बाद परीक्षा राज्य/शहर के विकल्पों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परीक्षा की शुचिता, उम्मीदवार की विशिष्ट पहचान (यूनिक आइडेंटिटी) प्रबंधन, संचार रिकॉर्ड, भुगतान मिलान (रिकॉन्सिलिएशन), परीक्षा शहर आवंटन, ऑडिट ट्रेल, परीक्षा सुरक्षा और परीक्षा के संचालन से जुड़ी अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए ऐसे प्रतिबंध आवश्यक हैं।

Certain information provided by the candidate—such as name, nationality, mobile number, email ID, and Aadhaar number (if provided)—cannot be changed after registration. Similarly, preferences for the examination state/city cannot be changed after the submission of the application form. Such restrictions are necessary to maintain examination integrity, unique candidate identity management, communication records, payment reconciliation, test city allocation,

audit trails, examination security, and other administrative requirements connected with the conduct of the examination.

8.1.3. आवेदन पत्र जमा करके, उम्मीदवार यह स्वीकार करता / करती है कि उसने इस सूचना बुलेटिन के प्रावधानों को पढ़ और समझ लिया है, तथा वह एफएमजीई अक्टूबर 2026 के संचालन, पहचान सत्यापन, संचार, परिणाम प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), दस्तावेज़ सत्यापन, ऑडिट, रिकॉर्ड रख-रखाव और परीक्षा से जुड़ी अन्य वैध गतिविधियों के उद्देश्यों के लिए आवेदन पत्र में दी गई व्यक्तिगत जानकारी (डेटा) के संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, उपयोग और साझाकरण के लिए स्पष्ट रूप से अपनी सहमति देता/देती है।

By submitting the application form, the candidate acknowledges having read and understood the provisions of this Information Bulletin and expressly consents to the collection, storage, processing, use and sharing of personal data furnished in the application form for purposes connected with the conduct of FMGE October 2026, identity verification, communication, result processing, document verification, audit, record maintenance and other lawful examination-related activities.

8.2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरने के लिए लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल करें; साथ ही, इस ऑनलाइन प्रोसेस के लिए मोबाइल फ़ोन या दूसरे हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल न करें। टेक्निकल गड़बड़ियों से बचने के लिए ऑनलाइन सबमिशन शुरू करने से पहले अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री और कैश (cache) को क्लियर करने की सलाह दी जाती है। शुरू करने से पहले, कृपया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छी तरह पढ़ लें और ध्यान दें कि एस्टरिस्क (*) वाले सभी फ़ील्ड भरना ज़रूरी है और एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक सबमिट करने के लिए उन्हें पूरा करना होगा। उम्मीदवार की तरफ़ से हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर, इंटरनेट या बिजली से जुड़ी समस्याओं के कारण होने वाली रुकावट या सबमिशन न हो पाने के लिए एनबीईएमएस ज़िम्मेदार नहीं होगा।

Candidates are advised to use latest internet browser to fill the application form; and also advised not to use mobile phones or other handheld devices for this online process. It is highly recommended to clear your browser history and cache before starting the online submission to avoid technical errors. Before beginning, please read the Information Bulletin thoroughly and note that all fields marked with an asterisk (*) are mandatory and must be completed for a successful application submission. NBEMS shall not be responsible for interruption / non-submission caused due to candidate-side hardware, software, internet or power-related issues.

8.3. **आवेदक लॉगिन:** इस तरह बनाया गया यह यूजर आईडी और पासवर्ड उम्मीदवार को एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए आवेदक के रूप में लॉगिन करने और ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करने की अनुमति देगा। **"Go To Application"** लिंक आवेदक को उपयोगकर्ता निर्माण के तुरंत बाद आवेदन जमा करने की अनुमति देगा।

Applicant Login: This User ID and Password so created will allow the candidate to login as an applicant for FMGE October 2026 and register an online application. The **"Go To Application"** link will allow the applicant to continue with the application submission immediately after user creation.

8.4. यदि लॉगिन पासवर्ड खो गया है, तो इसे ***"Forgot Your Password"*** पर क्लिक करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

If the Login password is lost, it can be retrieved by clicking ***"Forgot Your Password".***

8.5. **उम्मीदवार का नाम:** कृपया अपना **पूरा नाम प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र** के अनुसार ही लिखें। उम्मीदवार द्वारा अपना यूजर आईडी बनाते समय दर्ज किया गया नाम उसके परीक्षा आवेदन पत्र में गैर-संपादन योग्य प्रारूप में दिखाई देगा। आवेदन जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में नाम में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। **<u>उम्मीदवार को प्रवेश पाने के लिए परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर उसी नाम वाला अपना सरकार द्वारा जारी आईडी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।</u> दिखाए गए प्रवेश पत्र और फोटो आईडी प्रमाण के बीच नाम में विसंगति होने की स्थिति में, परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार के नाम में त्रुटि के साथ आवेदन जमा न करें *क्योंकि आवेदन जमा करने के बाद इसे संपादित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।*** यदि उपयोगकर्ता ने उपयोगकर्ता को पंजीकृत करते समय अपना नाम गलत दर्ज किया है, तो कृपया सही नाम के साथ एक और उपयोगकर्ता बनाएं।

Name of Candidate: Please mention your **full name as in Primary Medical Qualification Certificate.** Name as entered by the candidate while creating his/her User ID shall be reflected in a noneditable format in his / her examination application form. No change in the name shall be permissible under any circumstances after submission of an application. **<u>The candidate shall be required to produce his/her Govt issued ID proof bearing same name at the test centre on the test day to seek entry.</u> In case of Mismatch in name between admit card and Photo ID proof shown, entry to the test centre shall not be allowed. It is strongly advised not to submit an application with an ERROR in the candidate's name *as it shall not be allowed to be edited after application submission.*** If the user has entered his/her name wrongly while registering the user, please create another user with correct name.

8.6. **लिंग और जन्म तिथि:** अपना लिंग और जन्म का दिन, महीना और वर्ष बताएं। कृपया उपयोगकर्ता को पंजीकृत करते समय सही जन्म तिथि सावधानी से दर्ज करें।

Gender and Date of Birth: Indicate your gender and Day, Month & Year of your birth. Please enter the correct date of birth carefully while registering the user.

8.7. **राष्ट्रीयता:** कृपया दिए गए विकल्पों में से अपनी राष्ट्रीयता चुनें: **भारतीय**, **अनिवासी भारतीय (एनआरआई)**, **भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) और विदेशी नागरिक।** भारतीय नागरिक जो एनआरआई नहीं हैं उन्हें भारतीय चुनना चाहिए। एक भारतीय नागरिक को अनिवासी भारतीय चुनना चाहिए, अगर वह एनआरआई है। **यदि आप एक विदेशी नागरिक हैं**, **लेकिन भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) भी हैं**, **तो कृपया ओसीआई चुनें।** स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमों के अनुसार, एक भारतीय नागरिक / एनआरआई या भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) अकेले एफएमजीई (स्क्रीनिंग टेस्ट) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। विदेशी नागरिक (नेपाली के अलावा) जो ओसीआई नहीं हैं वे एफएमजीई के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। **यदि आप भारत या नेपाल के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं और ओसीआई नहीं हैं**, **तो आप एफएमजीई के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**

Nationality: Please choose your nationality amongst the options given: **Indian, Non-Resident Indian (NRI), Overseas Citizen of India (OCI) and Foreign Nationals.** Indian Citizens who are not NRI should choose Indian. An Indian Citizen should choose Non- Resident Indian, if he/she is an NRI**. If you are a Foreign National but also an Overseas Citizen of India (OCI), please choose OCI**. As per Screening Test Regulations, an Indian Citizen/NRI or an Overseas Citizen of India (OCI) alone are eligible to apply for FMGE (Screening Test). Foreign Nationals (other than Nepalese) who are not an OCI are not eligible to apply for FMGE. **If you are citizen of any country other than India or Nepal and not an OCI, you are NOT eligible to apply for FMGE.**

8.8. **ईमेल आईडी:** यूज़र बनाने के लिए, कैंडिडेट द्वारा चुनी गई ईमेल आईडी को सिस्टम से जेनरेट हुए ओ.टी.पी के ज़रिए वेरिफ़ाई किया जाएगा। एक ही ईमेल आईडी का इस्तेमाल एक ही समय पर किसी दूसरे यूज़र के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि कैंडिडेट के साथ सभी ईमेल बातचीत इसी ईमेल आईडी पर की जाएगी। परीक्षा से जुड़ी बातचीत के लिए कैंडिडेट द्वारा चुना गया ईमेल ही मुख्य ज़रिया होगा। परीक्षा से जुड़ी जानकारी इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। कैंडिडेट भी इसी रजिस्टर्ड ईमेल के ज़रिए एनबीईएमएस से बातचीत कर सकेंगे। कैंडिडेट की किसी दूसरी ईमेल आईडी से मिली बातचीत पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे ईमेल आईडी सावधानी से चुनें। कैंडिडेट ईमेल आईडी के बारे में **पॉइंट 8.1.1** में दी गई ज़रूरी सलाह भी देख सकते हैं।

Email ID: Email ID chosen by the applicant candidate shall be verified through a system generated OTP for user creation. **Same email ID can not be used for registration of any other user concurrently.** Please note that all email correspondence with the applicant candidate shall be done at this email ID only. ***Email chosen by the applicant candidate shall be the primary means to communicate with the candidate for examination purposes.*** Information related to examinations shall be sent at this email ID. Candidates shall also be able to communicate with NBEMS through this registered email only. ***Correspondence received from any other email ID of the candidate shall not be entertained. Therefore, candidates are advised to choose the email ID carefully.*** **Candidate can also refer to the Important Advisory regarding Email ID at Point 8.1.1.**

8.9. **मोबाइल नं.:** कृपया परीक्षा से संबंधित एसएमएस के माध्यम से भेजे गए संचार प्राप्त करने के लिए एक मोबाइल नंबर प्रदान करें। उम्मीदवार द्वारा चुना गया मोबाइल नंबर परीक्षा के प्रयोजनों के लिए उम्मीदवार के साथ संवाद करने का प्राथमिक साधन नहीं होगा।

Mobile No. : Please provide a unique mobile number for receiving Examinations related communications sent through SMS. Mobile number chosen by the candidate shall NOT be the primary means to communicate with the candidate for examination purposes.

8.10. इस प्रकार उत्पन्न यूजर आईडी / आवेदन आईडी और पासवर्ड भविष्य के रिकार्ड के लिए उम्मीदवार की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

The UserID / Application ID and password so generated shall be sent to the registered email ID of the candidate for future records.

8.11. एनबीईएमएस वेबसाइट **https://natboard.edu.in** पर एफएमजीई अक्टूबर 2026 का इंडेक्स पेज एक त्वरित लिंक प्रदान करता है, "**Already Registered? To login"**। एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र को उपयोगकर्ता आईडी के सफल निर्माण के बाद इस त्वरित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

The index page of FMGE October 2026 at NBEMS website **https://natboard.edu.in** provides a quick link, "**Already Registered? To login"**. The online application form for FMGE October 2026 can be accessed through this quick link after successful creation of User ID.

8.12. उम्मीदवार अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग-इन कर सकते हैं।
The candidate can login using his/her User ID and Password.

8.13. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को एक बार में या कई बार में पूरा किया जा सकता है, यह उम्मीदवार की पसंद पर निर्भर करता है। आवेदन जमा करने की विंडो के दौरान। हालाँकि, एक बार आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाने और जमा हो जाने के बाद, यह केवल "edit window" के दौरान कुछ फ़ील्ड को एडिट करने के लिए उपलब्ध होगा।

The application submission process can be completed either in a single sitting or in multiple sittings, as per the candidate's choice, during the application submission window. However, once an application is successfully completed & submitted, it shall be available for editing certain field only during the "edit window".

8.14. **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जानकारी भरने में किसी भी गलती से बचने के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन जल्दबाजी में पूरा न करें और न ही जमा करें।** उम्मीदवारों के पास एडिट विंडो

के दौरान नाम, राष्ट्रीयता, टेस्ट शहर, मोबाइल नंबर, आधार और ईमेल आईडी को छोड़कर किसी भी जानकारी में सुधार करने का विकल्प होगा। जन्म तिथि, नाम, श्रेणी, राष्ट्रीयता या आवेदन में दी गई किसी अन्य जानकारी में बदलाव के अनुरोध को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

Candidates are advised not to complete & submit their online application in a haste so as to avoid any errors in providing information. **Candidates has the option to make corrections in any information *except name, nationality, test city, mobile number, Aadhaar and email ID* during the edit window.** Request for making any changes in date of birth, name, category, nationality or any other information provided in the application shall be summarily rejected.

8.15. उम्मीदवार को विभिन्न शीर्षकों के तहत मांगी गई जानकारी प्रदान करनी होगी। आवेदन दाखिल करने से पहले आवश्यक जानकारी को संभाल कर रखने की दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है। आवेदन पत्र में कुछ मुख्य शीर्षक इस प्रकार हैं **/** The candidate shall be required to provide information as asked under various heads. It is strongly recommended to keep the required information handy before start filing the application. Some of the salient heads in the application form are as under:

8.15.1. पहचान का विवरण / Details of Identification:

- **पासपोर्ट संख्या और वैधता:** यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट का विवरण दें। यदि आप ओसीआई हैं तो अपने नागरिकता वाले देश के पासपोर्ट का विवरण दें; ओसीआई से ओसीआई कार्ड संख्या भी मांगी जाएगी।

  Passport Number and Validity: Mention details of Passport issued by Govt of India if you are an Indian Citizen. Mention details of passport of your country of citizenship if you are an OCI; An OCI shall be asked to provide OCI Card Number also.

- **भारत सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान प्रमाण:** नेपाली नागरिक तथा ऐसे भारतीय नागरिक जिसके पास वैध भारतीय पासपोर्ट नहीं है, के लिए विवरण प्रदान करना अनिवार्य होगा।

  Any Other Govt of India issued ID Proof: Providing details shall be mandatory for Nepalese Citizen, and for an Indian Citizen who does not have a valid Indian Passport.

8.15.2. भारत में पत्राचार और स्थायी पता
Correspondence and Permanent Address in India

8.15.3. 10+2 में पढे गए विषय और प्राप्त प्रतिशत/ग्रेड Subjects studied in 10+2 and Percentage / Grades obtained

8.15.4. प्राथमिक चिकित्सा योग्यता का विवरण Details of Primary Medical Qualification

संस्थान का नाम: आवेदन पत्र में ड्रॉप डाउन सूची में अपने मेडिकल स्कूल का पता लगाने के लिए, कृपया देश, शहर और मेडिकल स्कूल के नाम की आसान पहचान के लिए www.wdoms.org पर उपलब्ध **वर्ल्ड डाइरेक्ट्री ऑफ मेडिकल स्कूल** को पहले से देखें।

Name of Institute: To locate your medical school in application form in the drop-down list, please refer **World Directory of Medical Schools** available at www.wdoms.org beforehand for easy identification of the name of Country, City and medical school.

8.15.5. पात्रता प्रमाण पत्र (EC): आपसे एमसीआई / एनएमसी द्वारा आपको EC जारी करने की स्थिति बताने के लिए कहा जाएगा। यदि आपके मामले में EC लागू है, तो आपको दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग के अंतर्गत इसे अपलोड करना होगा। यदि आपने उस अवधि के दौरान प्रवेश लिया था जब एमसीआई से EC प्राप्त करना आवश्यक नहीं था / भारत सरकार द्वारा छूट दी गई थी, तो आपको EC के बदले प्राथमिक चिकित्सा योग्यता में **प्रवेश की सही तिथि** की पुष्टि करने वाले प्रवेश पत्र की एक प्रति अपलोड करनी होगी। यदि प्राथमिक चिकित्सा योग्यता में प्रवेश मई 2018 को या उसके बाद प्राप्त किया गया है, तो आपको EC के बदले नीट-यूजी उत्तीर्ण करने के लिए स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा।

Eligibility Certificate (EC): You shall be asked to provide status of issuance of EC to you by MCI/ NMC. If EC is applicable in your case, you shall be required to upload the same under document upload section. If you took admission during the period when obtaining EC from MCI was not required / was exempted by the Govt of India, you shall be required to upload a copy of admission letter confirming the **exact date of admission** to the primary medical qualification in lieu of EC. You shall be required to upload Score Card for qualifying NEET-UG in lieu of EC if admission in Primary Medical Qualification has been obtained on or after May 2018.

8.16. निर्धारित दस्तावेज़ और चित्र अपलोड करना (फोटोग्राफ, स्कैन किए गए हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान): उम्मीदवार को **निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां** संकेतित स्थानों पर अपलोड करनी होंगी / **Upload of Prescribed Documents & Images (Photograph,**

Scanned Signatures and Thumb Impression): The candidate shall be required to upload **scanned copies of following original documents** at indicated places :

प्राथमिक चिकित्सा योग्यता डिग्री प्रमाणपत्र (प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट) / अनंतिम उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट), जो उस देश में स्थित भारतीय दूतावास (एम्बेसी) द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित (अटेस्टेड) हो जहाँ से योग्यता प्राप्त की गई है, या विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों के लिए वैधीकरण की आवश्यकता को समाप्त करने वाले 05 अक्टूबर 1961 के हेग कन्वेंशन (अपोस्टिल कन्वेंशन) की आवश्यकताओं के अनुसार अपोस्टिल (Apostilled) किया गया होना चाहिए। **अपलोड किया गया अपोस्टिल / दूतावास अनुप्रमाणन (एम्बेसी अटेस्टेशन) अनिवार्य रूप से उसी दस्तावेज़ का होना चाहिए जिसे प्राथमिक चिकित्सा योग्यता उत्तीर्ण करने के प्रमाण के रूप में अपलोड किया गया है।** यदि यह पाया जाता है कि अपलोड किया गया अपोस्टिल / दूतावास अनुप्रमाणन प्राथमिक चिकित्सा योग्यता उत्तीर्ण करने के उक्त प्रमाण से संबंधित नहीं है, तो इसे अनुचित साधनों (अनफेयर मीन्स) का उपयोग माना जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अपलोड किए गए दस्तावेज़ को अनुप्रमाणित / अप्रमाणित माना जाएगा और उम्मीदवार को प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी होने, परीक्षा में बैठने और / या परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने के बावजूद, एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए उसकी अभ्यर्थिता (कैंडिडेटर) निरस्त कर दी जाएगी।

Primary Medical Qualification Degree certificate/ Provisional Pass Certificate duly attested by embassy of India in the country from where the qualification has been obtained/apostilled in accordance with the requirements of Hague Convention of 05th October 1961 abolishing the requirement of legalisation for Foreign Public Document (Apostille Convention). **Apostille / Embassy Attestation uploaded MUST belong to the document which has been uploaded as a proof of qualifying Primary Medical Qualification.** If it is detected that the uploaded Apostille/Embassy attestation does not pertain to the said proof of qualifying Primary Medical Qualification, this shall be treated as resorting to use of an Unfair Means and dealt with accordingly. The uploaded document shall be treated as unattested/uncertified and candidature of candidate shall be cancelled for FMGE October 2026 irrespective of issuance of admit card, appearance in examination and/ or being declared qualified the examination.

- प्राथमिक चिकित्सा योग्यता के डिग्री प्रमाण पत्र/अनंतिम उत्तीर्ण प्रमाण पत्र से यह पुष्टि होनी चाहिए कि उक्त प्राथमिक चिकित्सा योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा का परिणाम **31-08-2026** को **या** उससे पहले घोषित किया गया था।

  The Degree Certificate / Provisional Pass Certificate of Primary Medical Qualification must confirm that the result of final examination for the said primary medical qualification was declared on **or** before **31-08-2026.**

- **नागरिकता का प्रमाण:** *<u>निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक</u>* अपलोड किया जाना चाहिए।
  Proof of Citizenship: *<u>One of the following documents</u>* must be uploaded

- **भारतीय नागरिक/एनआरआई:** भारत सरकार द्वारा जारी वैध पासपोर्ट (वैध पासपोर्ट का प्रथम पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ)।
  Indian Citizen/NRI: *Valid Passport* issued by Govt of India (Front Page and Last Page of valid passport).

- **भारत के विदेशी नागरिक:** ओसीआई कार्ड + नागरिकता के देश का वैध पासपोर्ट (वैध पासपोर्ट का पहला और अंतिम पृष्ठ)
  Overseas Citizen of India: OCI Card + Valid Passport of country of Citizenship (Front Page and Last Page of valid passport)

- **नेपाली नागरिक:** भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। भारतीय नागरिक जिन्होंने नेपाल से अपनी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त की है और जिन्हें भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट जारी नहीं किया गया है, वे भी इसे अपलोड कर सकते हैं।
  Nepalese Citizen: One of the Govt of India Issued Photo ID such as PAN Card, Driving License. Indian Citizens who have obtained their Primary Medical Qualification from Nepal and have not been issued passport by Govt of India can also upload this.

- अन्य देशों से भारत आने वाले प्रवासियों को *गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करना आवश्यक होगा।*
  Migrants from other countries to India *shall be required to upload a Certificate of Registration for Citizenship of India issued by MHA, Govt of India*

- **पात्रता प्रमाण पत्र (ईसी):** एमसीआई/एनएमसी द्वारा जारी ईसी अपलोड करें। यदि आपने उस अवधि के दौरान प्रवेश लिया था जब एमसीआई से ईसी प्राप्त करना आवश्यक नहीं था/भारत सरकार द्वारा छूट दी गई थी, तो आपको ईसी के स्थान पर **प्राथमिक चिकित्सा योग्यता में प्रवेश की सटीक तिथि की पुष्टि करते हुए प्रवेश पत्र की एक प्रति अपलोड करनी होगी।** यदि प्राथमिक चिकित्सा योग्यता में प्रवेश मई 2018 को या उसके बाद प्राप्त किया गया है, तो आपको ईसी के स्थान पर नीट-यूजी उत्तीर्ण करने के लिए स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा।

  Eligibility Certificate (EC): Upload EC issued by MCI/NMC. If you took admission during the period when obtaining EC from MCI was not required/ was exempted by the Govt of India, you shall be required to upload a copy of admission letter **categorically confirming the exact date of admission to the primary medical qualification** in place of EC. You shall be required to upload Score Card for qualifying NEET-UG in lieu of EC if admission in Primary Medical Qualification has been obtained on or after May 2018.

- **फोटोग्राफ, स्कैन किए गए हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान:** फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अपलोड करने के विनिर्देशों के विवरण के लिए कृपया एनबीईएमएस वेबसाइट **https://natboard.edu.in** पर उपलब्ध छवि अपलोड निर्देश देखें और इस सूचना बुलेटिन के अंत में देखें। जो चित्र निर्धारित विनिर्देश के अनुसार नहीं हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। **कृपया सुनिश्चित करें कि अपलोड की गई तस्वीर *नवीनतम* तस्वीर है और किसी भी स्थिति में *आवेदन जमा करने की तारीख से तीन (03) महीने से अधिक पहले नहीं ली गई होनी चाहिए।* ऐसी तस्वीर अपलोड करना जो नवीनतम नहीं है या जो इस सूचना बुलेटिन में विस्तृत रूप से निर्धारित छवि अपलोड दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं है और / या अंतिम एडिट विंडो में इसे ठीक करने में विफलता आवेदन को अस्वीकार कर देगी।**

  Photograph, Scanned Signatures and Thumb Impression: Please refer Image Upload Instructions available at NBEMS website **https://natboard.edu.in** and at the end of this information bulletin for details of specifications for uploading photograph, signatures and thumb impression. Images which are not as per prescribed specification shall not be considered and may lead to rejection of the application. **Please ensure that *uploaded photograph is a RECENT photograph* and *in any case should have not been taken more than THREE (03) months* before the date of application submission. Uploading a photograph which is not a recent one or which is not as per prescribed image upload guidelines as detailed in this information bulletin and / or failure to rectify the same in the final edit window shall invite rejection of the application.**

- **दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) / Disability Certificate (if applicable) :**

  - सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र / (यूडीआईडी) अपलोड करें।
    Upload Valid Disability certificate / Unique Disability ID (UDID) issued by the Competent Authority

  - भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार लागू परिशिष्ट** अपलोड करें।
    Upload applicable Appendix** as per OM issued by Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Govt of India.

    ** (केवल लेखक (स्क्रैब) / लेखक और प्रतिपूरक समय / केवल प्रतिपूरक समय के लिए दावा करने की स्थिति में)
    ** (if claiming for Scribe only / Scribe and Compensatory time / Compensatory time only)

8.17. जो उम्मीदवार पहले भी विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा में शामिल हुए हैं और असफल घोषित किए गए हैं और उन्होंने पहले भी अपने दस्तावेज एनबीईएमएस को जमा किए हैं, उन्हें भी एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए आवेदन करते समय ऊपर बताए अनुसार अपने स्कैन किए गए **दस्तावेज जमा करने होंगे।** **एफएमजीई के पिछले सत्र में दस्तावेज जमा करना, या एफएमजीई के किसी भी पिछले सत्र में प्रवेश पत्र जारी करना और/या किसी भी पिछले सत्र में परिणाम घोषित करना इस एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए पात्रता के लिए कोई अधिकार नहीं देता है।** जो उम्मीदवार सूचना बुलेटिन में निर्धारित दस्तावेज जमा करने में विफल रहते हैं या एनबीईएमएस द्वारा बताए गए दस्तावेजों में कमियों को ठीक करने में विफल रहते हैं, उनके आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।

Candidates who have appeared in Foreign Medical Graduate Examination in the past and have been declared unsuccessful and have submitted their documents to NBEMS on an earlier occasion **are also required to submit** their scanned documents as detailed above while applying for FMGE October 2026 . **Submission of documents in previous session(s) of FMGE, or issuance of admit card in any previous session of FMGE and / or declaration of result in any previous session(s) does not confer any rights for eligibility towards FMGE October 2026 .** Applications of candidates who fail to submit the documents prescribed in the information bulletin or fail to rectify the deficiencies in the document as communicated by NBEMS shall be rejected.

8.18. अपनी पसंद के उन चार परीक्षा शहरों के नाम इंगित करें जहाँ आप एफएमजीई परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। आपको इन चार पसंदीदा शहरों में से किसी भी शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। आपके द्वारा दर्शाए गए विकल्पों के क्रम को आपकी प्राथमिकता के क्रम के रूप में नहीं माना जाएगा।

Indicate names of Four test cities of your choice amongst the test cities offered where you would like to appear in FMGE. You may be allotted the test centre for FMGE in any of these Four test cities indicated as preferred choices. The order in which these choices are indicated shall not be treated as your preference order.

परीक्षा की गरिमा बनाए रखने या परिचालन संबंधी व्यवहार्यता के कारण, उम्मीदवारों द्वारा चुने गए शहरों के बावजूद, एनबीईएमएस के पास देश में कहीं भी परीक्षा केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित है।

NBEMS reserves its right to allocate test centre anywhere in the country irrespective of the test city choices selected by the candidate to maintain the sanctity of examination / due to operational feasibility.

8.19. परीक्षा शहर के चयन के बाद, उम्मीदवार को निर्धारित परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध भुगतान गेटवे के अलावा किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

After selection of test city, the candidate shall be required to pay the prescribed examination fee online. The fee cannot be paid through any mode other than the payment gateway available in online application form.

8.20. उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने से पहले पूरे आवेदन का पूर्वावलोकन करने के लिए कहा जाएगा ताकि यदि आवश्यक हो तो कोई सुधार किया जा सके। उन्हें "declaration" से सहमत होने के बाद आवेदन जमा करना होगा। इससे आवेदन जमा करने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

Candidates shall be prompted to preview the entire application before submission in order to make any corrections, if so required. They shall be required to submit the application after agreeing to the "declaration". This shall complete the entire process of application submission.

8.21. **आवेदन जमा करने की पावती:** उम्मीदवार द्वारा आवेदन जमा करने की पुष्टि करने के लिए पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक पावती ईमेल भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के सफल भुगतान के बाद ही आवेदन जमा करना पूरा होगा। उम्मीदवार को आवेदन पत्र पीडीएफ में भुगतान की स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए जहां **'S'** का अर्थ **"Successful"** और **"F"** का अर्थ **"Failed"** होगा।

Acknowledgement of Application Submission: An acknowledgement email shall be sent to the registered email ID confirming submission of an application by the candidate. Submission of application shall be completed only after successful payment of examination fee. Candidate should confirm the status of payment in the application form PDF where **"S"** would stand for "Successful" and **"F"** would stand for "Failed".

8.22. कृपया पक्का करें कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का पेमेंट सफल हो गया है और एप्लीकेशन फ़ॉर्म में पेमेंट स्टेटस के तौर पर **"S"** (सफल के लिए) दिखाई दे रहा है। अगर स्टेटस 'पेंडिंग' (pending) दिखाता है, तो हो सकता है कि पेमेंट आपके बैंक के पास फंसा हो और बाद में क्लियर हो जाए। जब तक एप्लीकेशन फ़ॉर्म में पेमेंट का स्टेटस**"S"** नहीं दिखता, तब तक एप्लीकेशन जमा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। **अगर आपके बैंक से एनबीईएमएस को पेमेंट सेटल होने में देरी की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, तो इसके लिए एनबीईएमएस ज़िम्मेदार नहीं होगा।**

Kindly ensure that the payment made for examination fee is successful and confirmation of the same can be seen in the application form under payment status reflected as **"S"** (for successful). In case the status is shown as pending, the payment might be stuck with your bank and might be cleared at a later date. The application submission process in not completed till such time the status of payment is reflected as **"S"** in application form. **NBEMS shall not be responsible for rejection of your application due to delay in settlement of the payment by your bank to NBEMS.**

8.23. एप्लीकेशन जमा करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दोबारा पेमेंट करना आवेदक की मर्ज़ी पर है। अगर एक ही एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर के लिए एक से ज़्यादा बार परीक्षा फ़ीस मिल जाती है, तो एनबीईएमएस

एप्लीकेशन विंडो बंद होने के बाद, तय परीक्षा फ़ीस काटकर बाकी ज़्यादा फ़ीस वापस कर देगा। एनबीईएमएस जल्द से जल्द रिफ़ंड करने की कोशिश करता है; हालाँकि, कुछ अप्रत्याशित स्थितियों में रिफ़ंड की प्रक्रिया में लगभग दो से तीन महीने लग सकते हैं।

It is at the discretion of the applicant to make another payment for completing the application submission process. In an event of receipt of duplicate / multiple examination fees towards the same application sequence number, NBEMS shall refund the excess fees received for an application retaining the prescribed examination fee, after closure of application window. NBEMS attempts to make the refund at the earliest; however, the refund process may take about two to three months in unforeseen circumstances.

8.24. **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सफलतापूर्वक जमा किए गए आवेदन पत्र की एक कॉपी भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि एफएमजीई अक्टूबर 2026 का परिणाम घोषित होने के बाद यह उपलब्ध नहीं होगी।**

Candidates are advised to retain a copy of the successfully submitted application form for future reference as this will not be available after the declaration of FMGE October 2026 result.

8.25. उम्मीदवारों को दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से काफी पहले परीक्षा शुल्क के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूरा करके जमा कर दें और आवेदन प्रस्तुतीकरण विंडो के अंतिम दिन या अंतिम घंटों की प्रतीक्षा न करें—अधिमानतः ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुरू होने के पहले पांच दिनों के भीतर ऐसा कर लें। आवेदन पत्र जल्दी जमा करने से भुगतान से संबंधित समस्याओं (यदि कोई हो), जैसे कि असफल लेनदेन, लंबित भुगतान मिलान (रिकॉन्सिलिएशन), विलंबित सेटलमेंट स्थिति, या बैंक / भुगतान गेटवे द्वारा विफल लेनदेन के रिफंड के समाधान के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे उम्मीदवार, आवश्यकता पड़ने पर, निर्धारित आवेदन प्रस्तुतीकरण विंडो के भीतर पुनः नया भुगतान करने में सक्षम हो सकेंगे।

Candidates are strongly advised to complete and submit the online application form, including the payment of the examination fee, well before the closing date and not to wait until the final day or closing hours of the application submission window—preferably doing so within the first five days from the launch of the online application registration. Early submission of the application form provides sufficient time to resolve payment-related issues, if any, such as unsuccessful transactions, pending payment reconciliations, delayed settlement statuses, or refunds of failed transactions by the bank or payment gateway. This ultimately enables candidates to make a fresh payment, if required, within the prescribed application submission window.

आवेदन जमा करने के अंतिम दिनों / अंतिम घंटों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी तकनीकी समस्या जैसे कि वेबसाइट पर अत्यधिक दबाव (वेबसाइट कंजेशन), भुगतान की विफलता, विलंबित भुगतान निपटान / मिलान (रिकॉन्सिलिएशन), सर्वर से संबंधित समस्याओं या किसी अन्य कठिनाइयों के लिए **एनबीईएमएस जिम्मेदार नहीं होगा।** उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरते समय स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता और संगत डिवाइस / ब्राउज़र का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। उम्मीदवार की ओर से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्राउज़र अनुकूलता (कम्पैटिबिलिटी)

या बिजली से संबंधित समस्याओं के कारण आवेदन के बाधित होने, अपूर्ण जमा होने या जमा न होने के लिए एनबीईएमएस जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवारों को आगे यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र कार्य दिवसों के दौरान और निर्धारित समय के भीतर जमा करें ताकि कोई विसंगति या त्रुटि ध्यान में आने पर उसका समय पर निवारण किया जा सके। किसी भी कारण से आवेदन पत्र जमा करने में होने वाले विलंब की पूरी जिम्मेदारी केवल उम्मीदवार की होगी और समय विस्तार (समय बढ़ाने) के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

NBEMS shall not be responsible for any technical issues such as website congestion, payment failure, delayed payment settlement / reconciliation, server-related problems or any other difficulties faced by candidates **during the last days / closing hours of submission.** Candidates shall ensure availability of stable internet connectivity and use of compatible device / browser while filling the application form. NBEMS shall not be responsible for interruption, incomplete submission or non-submission of application caused due to candidate-side hardware, software, internet connectivity, browser compatibility or power-related issues. Candidates are further advised to submit their application forms during working days and within the stipulated time so that any discrepancy or error, if noticed, may be resolved in a timely manner. Delay in submission of the application form due to any reason whatsoever shall be solely the responsibility of the candidate and no request for extension of time shall be entertained.

8.26. **एडिट विंडो**: केवल उन्हीं उम्मीदवारों को **29-09-2026 से 30-09-2026** के दौरान अपने आवेदनों को संपादित (एडिट) करने की अनुमति दी जाएगी**,** जिन्होंने "ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुतीकरण विंडो" के दौरान अपने आवेदन शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है। **एडिट विंडो के दौरान न तो कोई नया आवेदन पंजीकृत किया जा सकता है और न ही शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। संपादन विंडो के दौरान** ***नाम, राष्ट्रीयता, ईमेल आईडी, आधार, मोबाइल नंबर और परीक्षा शहर को छोड़कर*** **किसी भी अन्य जानकारी / दस्तावेज़ को बदला या सुधारा जा सकता है।** इस विंडो के बंद होने से पहले जानकारी को कितनी भी बार संपादित किया जा सकता है। अंत में (आखिरी बार) सबमिट की गई जानकारी ही रिकॉर्ड में सुरक्षित की जाएगी।

Edit Window: Candidates who have successfully submitted their payment for the application during “Online Application Submission window” shall only be allowed to edit their applications during **29-09-2026 to 30-09-2026**. **No new application can be registered or payment can be made during edit window.** Any information / document can be changed / corrected during the edit window ***except for Name, Nationality, Email ID, Aadhaar, Mobile Number and Test City.*** Information can be edited any number of times before the closure of the window. The last submitted information will be saved in records.

अगर कोई उम्मीदवार 'एडिट विंडो' का इस्तेमाल नहीं करता है, तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म जमा करते समय उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी या विवरण को ही अंतिम माना जाएगा।
In case a candidate does not access / utilize the Edit Window, the information / details furnished by the candidate at the time of initial submission of the application form shall be treated as final.

8.27. एनबीईएमएस उम्मीदवार द्वारा एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरने में की गई किसी भी गलती के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और न ही 'एडिट विंडो' बंद होने के बाद ऐसी गलतियों को ठीक करने की अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। एप्लीकेशन स्वीकार होने, एडमिट कार्ड जारी होने, परीक्षा में शामिल होने, रिज़ल्ट घोषित होने से उम्मीदवार को कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा, यदि उसका एप्लीकेशन अधूरा, गलत, अयोग्य या तय मानदंडों के अनुसार नहीं पाया जाता है।

NBEMS shall neither be responsible for any error committed by the candidate while filling the application form nor be under any obligation to permit rectification of such errors after closure of the Edit Window. Mere acceptance of application, issuance of admit card, appearance in examination, declaration of result shall not confer any right upon the candidate whose application is found to be incomplete, incorrect, ineligible or otherwise not in accordance with the prescribed criteria.

8.28. **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जानकारी भरने में किसी भी गलती से बचने के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन जल्दबाजी में पूरा न करें और न ही जमा करें।** उम्मीदवारों के पास **एडिट विंडो के दौरान** ***नाम, राष्ट्रीयता, टेस्ट शहर, मोबाइल नंबर, आधार और ईमेल आईडी को छोड़कर*** किसी भी जानकारी में सुधार करने का विकल्प होगा। जन्म तिथि, नाम, श्रेणी, राष्ट्रीयता या आवेदन में दी गई किसी अन्य जानकारी में बदलाव के अनुरोध को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।
Candidates are advised not to complete & submit their online application in a haste so as to avoid any errors in providing information. **Candidates has the option to make corrections in any information** ***except name, nationality, test city, mobile number, Aadhaar and email ID*** **during the edit window.** Request for making any changes in date of birth, name, category, nationality or any other information provided in the application shall be summarily rejected.

8.29. एनबीईएमएस उम्मीदवारों द्वारा अपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म में दी गई किसी भी जानकारी में खुद से या किसी और तरह से कोई बदलाव या सुधार नहीं करता है। परीक्षा में शामिल होने या रिज़ल्ट घोषित होने से उम्मीदवार को एप्लीकेशन फ़ॉर्म में दी गई जानकारी में बाद में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। **एप्लीकेशन फ़ॉर्म में दी गई जानकारी की सटीकता और प्रमाणिकता के लिए उम्मीदवार पूरी तरह से ज़िम्मेदार होंगे।** एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरते समय उम्मीदवार द्वारा की गई किसी भी गलती के लिए एनबीईएमएस ज़िम्मेदार नहीं होगा और न ही 'एडिट विंडो' बंद होने के बाद ऐसी गलतियों को ठीक करने की अनुमति देने के लिए बाध्य होगा।

NBEMS does not edit / modify / change any information furnished by the candidates in their application forms suo-motu or otherwise. Appearance in the examination and / or declaration of result shall not confer any right upon the candidate to seek subsequent modification of particulars furnished in the application form. **Candidates shall be solely responsible for the correctness and authenticity of the information furnished in the application form.** NBEMS shall neither be responsible for any error committed by the candidate while filling the application form nor be under any obligation to permit rectification of such errors after closure of the Edit Window.

8.30. **सेलेक्टिव एडिट विंडो:** एडिट विंडो बंद होने के बाद, उम्मीदवारों द्वारा अपलोड की गई छवियों (फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान) की जांच एनबीईएमएस द्वारा इमेज स्क्रूटनी पोर्टल के माध्यम

से की जाएगी। जिन उम्मीदवारों की अपलोड की गई छवियां त्रुटिपूर्ण पाई जाती हैं या निर्धारित इमेज अपलोड दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं होती हैं, उन्हें ईमेल और / या उनके आवेदक लॉगिन डैशबोर्ड के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इन उम्मीदवारों को **03-10-2026 से 19-10-2026** तक **सेलेक्टिव एडिट विंडो** के दौरान अपनी त्रुटिपूर्ण छवियों को अपडेट करने की अनुमति दी जाएगी। **इसके बाद सुधार करने का कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा।** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन में छवियां कड़ाई से निर्धारित इमेज अपलोड दिशानिर्देशों के अनुसार ही जमा करें। **दिशानिर्देशों के अनुरूप छवियां जमा न करने और/या त्रुटिपूर्ण छवियों को ठीक न करने की स्थिति में आवेदन निरस्त (रिजेक्ट) कर दिया जाएगा।**

Selective Edit Window: Subsequent to the closure of the Edit Window, uploaded images (photograph, signature, and thumb impression) of the candidates shall be scrutinized by NBEMS through the **Image Scrutiny Portal.** Candidates whose uploaded images are found to be deficient or non-compliant with the prescribed Image Upload Guidelines shall be informed via email and/or their applicant login dashboard. These candidates will be allowed to update their deficient images during the selective edit window from **03-10-2026 to 19-10-2026**. **No further opportunity shall be given to make corrections.** Candidates are advised to submit the images in their application strictly as per the prescribed image upload guidelines. **Failure to submit images in accordance with the guidelines and/or failure to rectify the incorrect images shall lead to the rejection of the application.**

8.30.1. ऐसे उम्मीदवारों को 'सिलेक्टिव एडिट विंडो' के दौरान अपनी कमियों वाली इमेज को ठीक करना होगा। इसके लिए उन्हें एनबीईएमएस की वेबसाइट **https://natboard.edu.in** पर अपने क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन फ़ॉर्म में लॉग-इन करना होगा, **"इमेज स्क्रूटनी" टैब** पर जाना होगा और तय **'इमेज अपलोड निर्देशों'** के अनुसार सही इमेज अपलोड करनी होंगी।

Such candidates shall be required to rectify the deficient images during the Selective Edit Window by logging into the application form on NBEMS website **https://natboard.edu.in** using their credentials, accessing the **"IMAGE SCRUTINY" tab** and uploading compliant images as per the **prescribed Image Upload Instructions.**

8.30.2. 'सेलेक्टिव एडिट विंडो' के दौरान उम्मीदवारों द्वारा अपलोड की गई इमेज की एनबीईएमएस दोबारा जांच कर सकता है। अगर उनमें कोई कमी या नियमों का पालन न होने जैसी बात पाई जाती है, तो उन्हें फिर से रिजेक्ट किया जा सकता है। इसकी जानकारी उम्मीदवार को ईमेल और/या उनके लॉगिन डैशबोर्ड ("इमेज स्क्रूटनी" टैब) के ज़रिए दी जाएगी, ताकि वे तय 'सेलेक्टिव एडिट विंडो' के समय में उन्हें दोबारा अपलोड कर सकें। जांच, रिजेक्शन और दोबारा अपलोड करने की यह प्रक्रिया तय 'सेलेक्टिव एडिट विंडो' के दौरान कई बार हो सकती है।

Images uploaded by the candidates during the Selective Edit Window may again be scrutinized by NBEMS and, if found deficient/non-compliant, the same may again be rejected and communicated to the candidate through email and / or applicant login dashboard ("IMAGE SCRUTINY" tab) for re-upload within the prescribed Selective Edit Window period. This process of scrutiny, rejection

and re-upload may continue multiple times during the notified Selective Edit Window period.

8.30.3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 'सिलेक्टिव एडिट विंडो' के दौरान अपलोड की गई तस्वीरों में किसी कमी के बारे में जानकारी पाने के लिए अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी (स्पैम/जंक फ़ोल्डर सहित) और 'एप्लिकेंट लॉगिन डैशबोर्ड' को नियमित रूप से चेक करते रहें। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे 'एप्लिकेंट लॉगिन डैशबोर्ड' ("इमेज स्क्रूटनी" टैब) पर अपलोड की गई तस्वीरों के स्टेटस को नियमित रूप से देखते रहें।

Candidates are advised to regularly monitor their registered email ID, including Spam/Junk folders, and applicant login dashboard during the Selective Edit Window period for communication regarding deficiency in uploaded images. Candidates are further advised to regularly monitor the status of uploaded images on the applicant login dashboard ("IMAGE SCRUTINY" tab).

8.30.4. अपलोड की गई हर इमेज का स्टेटस डैशबोर्ड पर अलग-अलग "Accepted" (स्वीकार किया गया) या "Rejected" (अस्वीकार किया गया) के तौर पर दिखेगा। उम्मीदवारों को सिर्फ़ उन्हीं इमेज को दोबारा अपलोड करना होगा जो "Rejected" के तौर पर दिख रही हैं। डैशबोर्ड पर "Accepted" के तौर पर दिख रही इमेज के लिए उम्मीदवार को आगे कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं होगी।

The status of each uploaded image shall be reflected individually as "Accepted" or "Rejected" on the dashboard. Candidates shall be required to re-upload only those images which are reflected as "Rejected". No further action shall be required from the candidate for images reflected as "Accepted" on the dashboard.

8.30.5. उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि 'सिलेक्टिव एडिट विंडो' के दौरान दोबारा अपलोड की गई तस्वीरों की एनबीईएमएस फिर से जांच करेगा। अगर तस्वीरें तय 'इमेज अपलोड गाइडलाइंस' के मुताबिक नहीं पाई गईं या उनमें कोई कमी हुई, तो उन्हें फिर से रिजेक्ट किया जा सकता है और तय 'सिलेक्टिव एडिट विंडो' की अवधि के भीतर उन्हें दोबारा अपलोड करना पड़ सकता है।

Candidates may further note that images re-uploaded during the Selective Edit Window shall again be subject to scrutiny by NBEMS and, if found deficient / non-compliant with the prescribed Image Upload Guidelines, may again be rejected and required to be re-uploaded within the notified Selective Edit Window period.

8.30.6. एनबीईएमएस की ओर से एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान और तब तक, जब तक कि अपलोड की गई सभी इमेज एप्लीकेशन लॉगिन डैशबोर्ड ("इमेज स्क्रूटनी" टैब) पर "Accepted" के तौर पर न दिखने लगें, भेजे जाने वाले सभी कम्युनिकेशन/अपडेट्स के लिए कैंडिडेट्स खुद ही अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी (जिसमें स्पैम/जंक फोल्डर भी शामिल हैं) और एप्लीकेशन लॉगिन डैशबोर्ड को रेगुलर तौर पर चेक करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

Candidates shall remain solely responsible for regularly monitoring their registered email ID, including Spam / Junk folders, and applicant login dashboard for all communications/updates issued by NBEMS during the application process and till all uploaded images are reflected as "Accepted" on the applicant login dashboard ("IMAGE SCRUTINY" tab).

8.30.7. एनबीईएमएस की ओर से किसी कमी की जानकारी देना केवल एक सुविधा देने वाला कदम होगा। किसी कमी, विसंगति या दोष की जानकारी न देने से उम्मीदवार को कोई अधिकार, न्यायसंगत हक या पक्का दावा नहीं मिलेगा।

Communication of deficiency by NBEMS shall be merely a facilitative measure. Non-communication of any deficiency, discrepancy or defect shall not confer any right, equity or vested claim upon the candidate.

8.30.8. एनबीईएमएस के पास किसी भी ऐसी अपलोड की गई इमेज को अस्वीकार करने का अधिकार है जो धुंधली, पढ़ने में मुश्किल, खराब, गलत तरीके से अपलोड की गई हो, तय निर्देशों के अनुसार न हो, या पहचान / सत्यापन के मकसद से अनुपयुक्त मानी जाए। अपलोड की गई इमेज की स्वीकार्यता / उपयुक्तता के बारे में एनबीईएमएस का फ़ैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा।

NBEMS reserves its right to reject any uploaded image which is blurred, illegible, distorted, improperly uploaded, non-compliant with the prescribed instructions or otherwise considered unsuitable for identification/verification purposes. The decision of NBEMS regarding acceptability/suitability of uploaded images shall be final and binding.

8.30.9. **अगर तय समय के अंदर कमियों वाली या नियमों के अनुसार न होने वाली तस्वीरों को ठीक नहीं किया गया, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।** 'सिलेक्टिव एडिट विंडो' बंद होने के बाद सुधार का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा।

Failure to rectify deficient / non-compliant images within the prescribed period shall result in rejection of the application. No further opportunity for correction shall be granted after closure of the Selective Edit Window.

8.31. **अपलोड किए गए दस्तावेजों से संबंधित त्रुटियों** (जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा योग्यता होने का प्रमाण, संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्रमाणपत्र का अनुप्रमाणन/अपोस्टिल, पात्रता प्रमाणपत्र/प्रवेश पत्र, नागरिकता का पहचान प्रमाण आदि) को **21-10-2026 तक** सुधारा जा सकता है। ***इसके बाद सुधार का कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा।***

Deficiency related to documents uploaded (Proof of possessing Primary Medical Qualification, attestation of Primary Medical Qualification certificate by Indian Embassy concerned / apostille, Eligibility Certificate / Admission Letter, Identity Proof of Citizenship etc) can be rectified **by 21-10-2026**. ***No further opportunity will be given.***

8.31.1. **जो उम्मीदवार एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत पूर्ण आवेदन जमा करने में विफल रहते हैं और/या सुधार के लिए निर्धारित अंतिम तिथि (यानी 21-10-2026) तक अपने आवेदनों की त्रुटियों को ठीक करने में विफल रहते हैं, उन्हें अपात्र (INELIGIBLE) घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा के आयोजन से पहले अपात्र घोषित किए गए उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी नहीं किया जाएगा।** ऐसे मामलों में, पूरा शुल्क जब्त (फॉरफीट) कर लिया जाएगा। एफएमजीई के किसी भी पिछले सत्र (सत्रों) में प्रवेश पत्र जारी होना, ऐसे उम्मीदवारों के लिए एफएमजीई अक्टूबर 2026 का प्रवेश पत्र जारी करने का आधार नहीं होगा, जिन्हें अपूर्ण आवेदनों के कारण एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए अपात्र घोषित किया गया है।

Candidates who fail to submit duly completed applications for FMGE October 2026 with requisite documents and / or fail to rectify the deficiencies in their applications by the last date prescribed (i.e. 21-10-2026) for rectification shall be declared INELIGIBLE. Admit Card shall not be issued to candidates who are declared INELIGIBLE before conduct of examination. In such cases, the entire fees will be forfeited. Issuance of admit card in any previous session(s) of FMGE shall not be a ground to issue an admit card for FMGE October 2026 as well for such candidates who are declared ineligible for FMGE October 2026 due to incomplete applications.

8.32. **ऑनलाइन डेफिसिएंट डॉक्यूमेंट सबमिशन पोर्टल:** उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में अपलोड किए गए दस्तावेजों (जैसे कि ईसी, पासपोर्ट, उत्तीर्ण होने का प्रमाण आदि) में यदि कोई त्रुटि (डेफिशिएंसी) होती है, तो उसकी जानकारी एक ऑनलाइन त्रुटिपूर्ण दस्तावेज़ सबमिशन पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। दस्तावेजों को किसी अन्य माध्यम से जमा नहीं किया जा सकता है, जैसे कि एनबीईएमएस कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आकर या कम्युनिकेशन वेब पोर्टल या ईमेल के माध्यम से। "ऑनलाइन त्रुटिपूर्ण दस्तावेज़ सबमिशन पोर्टल" के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से जमा किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Online Deficient Document Submission Portal: The deficiency, if any, in document(s) uploaded by the candidates in application form (such as EC, Passport, Proof of Passing etc) shall be communicated through an Online Deficient Document Submission Portal. Documents CAN NOT be submitted through any other mode such as in-person to NBEMS office or through Communication Web Portal or email. Documents submitted through any mode other than the “Online Deficient Document Submission Portal” shall not be entertained.

8.33. उम्मीदवार पोर्टल पर मांगी गई जानकारी दर्ज करके एनबीईएमएस द्वारा सूचित की गई कमियों को देख सकते हैं। यह पोर्टल आपको पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने और आवश्यकतानुसार दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान करेगा।

Candidates can access the deficiencies communicated by NBEMS by entering the information asked on the portal. The portal would allow to respond to queries as well as to upload documents, if so asked.

8.34. उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि पात्रता के निर्धारण के दौरान यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो एनबीईएमएस द्वारा किसी भी समय निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करने के लिए कहा जा सकता है / Candidate may kindly note that the following documents may also be asked by NBEMS to be submitted at any time, if any doubt arises during the determination of eligibility of the candidates :

- पते का प्रमाण: पैन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार कार्ड की प्रति।
  Copy of Address Proof (PAN Card / Voter ID / Passport / Driving License / Aadhar Card).
- नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।
  Latest Passport size Photographs
- जन्म तिथि का प्रमाण: मैट्रिक (10वीं) के प्रमाण पत्र की प्रति।
  Copy of Date of Birth Proof (Certificate of Matriculation).
- 10+2 (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण प्रमाणपत्र की प्रति।
  Copy of 10+2 passing certificate.
- 10+2 (इंटरमीडिएट) की मार्कशीट की प्रति।
  Copy of 10+2 mark sheet.
- इंटर्नशिप प्रमाणपत्र की प्रति (यदि विदेश से की गई हो)।
  Copy of internship certificate (if done abroad).
- फेल प्रमाणपत्र/परिणाम की प्रति (केवल पूर्व-उम्मीदवारों के लिए)।
  Copy of fail certificate/ result for Ex-candidates.
- श्रेणी का प्रमाण: (SC, ST, OBC आदि जाति प्रमाणपत्र)।
  Proof of Category (SC, ST, OBC etc)
- **समकक्षता प्रमाणपत्र:** भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा जारी (उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने अपनी 10+2 की पढ़ाई विदेश से की है)।
  Equivalence Certificate: From Association of Indian Universities (for candidates who have done 10+2 abroad).

8.35. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय निम्नलिखित क्रम का पालन किया जाना चाहिए / The following sequence shall be observed while filing the online application form:

- यूजर आईडी/एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
  Fill the user registration form to generate User ID/Application ID and Password.
- यूजर आईडी और पासवर्ड SMS और ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे।
  User ID and Password will be sent through SMS and Email.
- आवेदन पत्र को पूरा भरें और अपनी फोटो, स्कैन किए गए हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और निर्धारित दस्तावेज अपलोड करें।
  Complete the application form and upload your Photograph, Scanned signature, Thumb impression & Prescribed documents.
- अपने परीक्षा शहर का चयन करें और परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
  Choose your Test City and pay Examination Fee
- घोषणा से सहमत हों और आवेदन पत्र जमा करें।
  Agree to the declaration and Submit Application
- भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें, जिस पर ट्रांजैक्शन आईडी छपी हो और भुगतान की स्थिति "S" (Successful) अंकित हो।
  Take a print out of the filled Application form with Transaction ID printed on it and payment status mentioned as "S" (Successful) for records

9. सावधानी नोटिस, गैर-प्रकटीकरण समझौता और अनुचित साधन / Caution Notice, Non- Disclosure Agreement and Unfair Means

A. सावधानी सूचना / Caution Notice

9.1. एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट **https://natboard.edu.in** है।

The official website of NBEMS are **https://natboard.edu.in**

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एनबीईएमएस और एनबीईएमएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के बारे में किसी भी जानकारी के लिए केवल इन वेबसाइट लिंक का ही संदर्भ लें। कृपया एफएमजीई के बारे में प्रामाणिक जानकारी और समय समय पर होने वाले अपडेट के लिए-एनबीईएमएस की वेबसाइट **https://natboard.edu.in** पर एफएमजीई इंडेक्स पेज और वहां अपलोड किए गए सूचना बुलेटिन को देखें।

Candidates are advised to refer for any information about NBEMS and Examinations conducted by NBEMS only through these websites links. Please refer FMGE index page on NBEMS website **https://natboard.edu.in** and Information Bulletin uploaded therein for authentic information and periodic updates about the FMGE.

9.2. उम्मीदवारों को एतद्द्वारा (इसके द्वारा) सलाह दी जाती है कि वे ऐसे स्पूफ़्ड (फर्जी) ईमेल/एसएमएस या जाली दस्तावेजों के माध्यम से किसी भी तरह से मदद करने का झूठा और फर्जी दावा करने वाले बेईमान एजेंटों/दलालों के बहकावे या झांसे में न आएं।

Candidates are hereby advised not to be allured or mislead by unscrupulous agents / touts making false and bogus claims of helping any candidate in any means by such spoofed emails / SMS or forged documents.

9.3. एनबीईएमएस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक / मेधा सूची (मेरिट) में स्थान सुरक्षित करने के संबंध में एनबीईएमएस उम्मीदवारों को कोई भी ईमेल या एसएमएस नहीं भेजता है।

NBEMS does not send any email or SMS to candidates regarding securing good marks / merit position in any of the exams conducted by NBEMS.

9.4. एनबीईएमएस के नाम पर कोई भी ईमेल या एसएमएस प्राप्त होने पर सतर्क रहें; कृपया एनबीईएमएस के नाम पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त किसी भी जानकारी का मिलान (क्रॉस-वेरिफिकेशन) उससे संबंधित ईमेल या एनबीईएमएस की वेबसाइट पर आए अपडेट से अवश्य कर लें।

Be aware when getting any email or SMS in the name of NBEMS, please cross verify information received through SMS in name of NBEMS with a corresponding Email / NBEMS Website update.

9.5. उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे एनबीईएमएस के साथ संवाद (पत्राचार) के लिए केवल उन्हीं ईमेल आईडी / संपर्क नंबरों का उपयोग करें जो समय-समय पर एनबीईएमएस की वेबसाइटों पर प्रदान किए जाते हैं।

Candidates are also advised to use the email IDs / contact numbers for communication with NBEMS which are provided on the NBEMS websites time to time.

9.6. यदि किसी उम्मीदवार से ऐसे किसी असामाजिक तत्वों/दलालों (unscrupulous agents/touts) द्वारा किसी छद्म (spoofed) ईमेल/एसएमएस या टेलीफोन कॉल अथवा जाली दस्तावेजों (forged documents) के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई अनुचित लाभ देने का वादा करते हुए संपर्क किया जाता है, तो इसकी रिपोर्ट एनबीईएमएस की वेबसाइट पर 'कांटेक्ट अस' (Contact us) टैब के अंतर्गत उपलब्ध कम्यूनिकेशन वेब पोर्टल के माध्यम से एनबीईएमएस को अथवा आगे की जांच के लिए स्थानीय पुलिस को दी जा सकती है।

In case candidates are approached by any unscrupulous agents / touts promising any such undue favour through any spoofed emails / SMS or telephone call or forged documents or personally the same may be reported to NBEMS through its Communication Web Portal available under Contact us tab on NBEMS website or to the local police for further investigation.

B. गैरप्रकटीकरण समझौता- / Non-Disclosure Agreement

9.7. एफएमजीई एक सांपत्तिक/स्वामित्व वाली (proprietary) परीक्षा है और यह केवल एनबीईएमएस द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा की विषय-वस्तु (contents) गोपनीय, सांपत्तिक हैं और उन पर एनबीईएमएस का मालिकाना हक है। एनबीईएमएस किसी भी उद्देश्य के लिए इस परीक्षा की किसी भी या कुछ विषय-वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से—चाहे वह मौखिक हो या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक हो या यांत्रिक—पुनरुत्पादित (reproducing), प्रसारित या प्रकाशित करने से उम्मीदवार को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। एनबीईएमएस परीक्षा से जुड़ी किसी भी सामग्री (जैसे प्रश्न-पत्र और/या प्रश्नों के उत्तर) को साझा करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। उत्तर-कुंजियों का प्रकाशन इस सूचना बुलेटिन के **क्लॉज़ 10.3** के अनुसार किया जाएगा।

FMGE is a proprietary examination and is conducted only by NBEMS. The contents of this exam are confidential, proprietary and are owned by NBEMS. NBEMS explicitly prohibits the candidate, from reproducing, transmitting or publishing any or some contents of this exam, in whole or in part, in any form or by any means verbal or written, electronic or mechanical for any purpose whatsoever. NBEMS shall not entertain any request for sharing any content of the examination including question paper and/ or answers to the questions. The publication of answer keys shall be governed by the **clause 10.3** of this information bulletin.

9.8. इस परीक्षा की किसी भी विषय-वस्तु को मित्रों, परिचितों या तीसरे पक्षों (third parties) के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें ऑनलाइन माध्यमों या सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करना भी शामिल है। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप (WhatsApp), फेसबुक (Facebook), एक्स (X), यूट्यूब (YouTube),

इंस्टाग्राम (Instagram), अरात्तई (Arattai), ब्लॉग (Blogs) आदि शामिल हैं, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है, चाहे इसके लिए स्वयं के खाते (account) का उपयोग किया गया हो या प्रॉक्सी खाते/खातों (proxy accounts) का।

No content of this exam must be shared with friends, acquaintances or third parties including sharing through online means or via social media. Social media includes but not limited to WhatsApp, Facebook, X, YouTube, Instagram, Arattai, Blogs etc. using either one's own account or proxy account(s).

9.9. किसी भी परीक्षा तैयारी सेवा, कोचिंग संस्थान, या व्यक्ति के लिए हाल के एफएमजीई परीक्षार्थियों से सामग्री का उपयोग करना, उसे प्रकट करना, वितरित करना या उनसे सामग्री मांगना, अथवा किसी भी रूप में एफएमजीई के वास्तविक प्रश्नों या उत्तरों तक पहुँच प्रदान करना सख्त प्रतिबंधित है।

It is strictly prohibited for any exam preparation service, coaching institute, or individual to use, disclose, distribute, or solicit content from recent FMGE examinees, or to otherwise provide access to actual questions or answers from the FMGE in any form.

इसी प्रकार, उम्मीदवारों को एफएमजीई प्रश्न पत्र या परीक्षा सामग्री के किसी भी हिस्से को किसी भी व्यक्ति, परीक्षा तैयारी सेवा, कोचिंग संस्थान, या किसी भी सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करने, पुनरुत्पादित करने या प्रकट करने की सख्त मनाही है।

Similarly, candidates are strictly prohibited from sharing, reproducing, or disclosing any part of the FMGE question paper or examination content with any person, test preparation service, coaching institute, or through any social media or online platform.

यदि इस बात के साक्ष्य (evidence) मिलते हैं कि कोई उम्मीदवार किसी ऐसे परीक्षा तैयारी कार्यक्रम (exam preparation program), सेवा, या ऑनलाइन फ़ोरम में नामांकित हुआ है, उसने भाग लिया है, या उसका उपयोग किया है जो एफएमजीई की विषय-वस्तु (प्रश्नों या उत्तरों) को वितरित करता है, उसकी पहुँच प्रदान करता है, या उसका उपयोग करता है, अथवा उसने ऐसी विषय-वस्तु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझा किया है, तो एफएमजी परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी (candidature) रद्द कर दी जाएगी तथा एफएमजीई में उसकी उपस्थिति के साथ-साथ उसके परिणाम को भी शून्य/अमान्य (nullified) घोषित कर दिया जाएगा। गैर-प्रकटीकरण समझौते (Non-Disclosure Agreement) के उल्लंघन के लिए ऐसे उम्मीदवारों के विरुद्ध आगे दंडात्मक शैक्षणिक और / या कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

If there is evidence that a candidate has enrolled in, participated in, or used any exam preparation program, service, or online forum that distributes, provides access to, or uses FMGE content (questions or answers), or has shared such content directly or indirectly, their candidature for FMG examination shall be cancelled and their appearance as well as result in FMGE shall be nullified. Such candidates shall be subject to further punitive academic and/or legal action for violation of non-disclosure agreement.

9.10. एफएमजीई के लिए पंजीकरण करके और / या परीक्षा में शामिल होकर, अभ्यर्थी इस सूचना बुलेटिन तथा एफएमजीई की वेबसाइट पर दिए गए उपरोक्त गैर-प्रकटीकरण समझौते (नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट) और एफएमजीई के उपयोग की सामान्य शर्तों से स्पष्ट रूप से अपनी सहमति व्यक्त करता / करती है।

By registering for and / or appearing in FMGE the candidate explicitly agrees to the above Non-Disclosure Agreement and general terms of use for FMGE as contained in this Information Bulletin, FMGE website.

9.11. किसी भी अधिनियम का उल्लंघन या उसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

Violation of any act or breach of the same shall be liable for penal action and cancellation of the candidature.

C. अनुचित साधन / Unfair Means

यदि प्रशिक्षण परीक्षा के दौरान /, कोई उम्मीदवार निम्नलिखित में से किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो उसे अनुचित साधनों का उपयोग करने वाला माना जाएगा / If during the course of training / examination, a candidate is found indulging in any of the following, he/she shall be deemed to have used unfair means:-

9.12. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षाओं में सम्मिलित होने / काउंसलिंग / प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए अपने आवेदन पत्र में गलत विवरण प्रस्तुत करते हुए पाया जाता है, अथवा गलत विवरण देकर या किसी असत्य / जाली दस्तावेज़ (forged document) को प्रस्तुत करके एनबीईएमएस की किसी भी परीक्षा / पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने का प्रयास करता है या प्रवेश प्राप्त कर लेता है, अथवा किसी भी चिकित्सा परिषद में पंजीकरण प्राप्त कर लेता है ।

If a candidate is found to have made a wrong statement in his/her application form for appearance in the examinations / counseling / admission to the training or has attempted to secure or has secured admission to any of the examinations / courses of NBEMS or has obtained registration with any medical council, by making a false statement or by production of a false / forged document.

9.13. यदि किसी भी चरण (stage) पर कोई उम्मीदवार प्रमाणपत्र या अंकतालिका (statement of marks) में किसी प्रविष्टि (entry) के साथ, अथवा किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी निकाय द्वारा जारी किए गए किसी प्रमाणपत्र या एनबीईएमएस द्वारा उसे जारी किए गए किसी अन्य दस्तावेज़ के साथ छेड़छाड़ (tamper) करता है ।

If at any stage a candidate has tampered with any entry in the certificate or statement of marks or any certificate issued by any governmental or non-governmental body or any other document that has been issued to him/ her by NBEMS.

9.14. परीक्षा प्रयोगशाला (testing lab) के भीतर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (electronic gadgets), जिसमें इंटरनेट युक्त अथवा इंटरनेट रहित मोबाइल फोन शामिल हैं (चाहे उन उपकरणों का वास्तव में उपयोग किया गया हो या नहीं), अथवा अन्यथा प्रतिबंधित किसी भी वस्तु का उपयोग करना या उसे अपने पास रखना ।

Use / possession of any kind of electronic gadgets including mobile phones with or without internet (whether the gadgets are actually used or not) or any items otherwise prohibited inside the testing lab.

9.15. कोई भी उम्मीदवार जो अपने वस्त्रों, शरीर, डेस्क, मेज या ज्यामितीय उपकरणों (जैसे कि सेट-स्क्वायर, चांदा, पैमाना आदि) पर लिखे गए नोटों से नकल करते हुए पाया जाता है; या जो अपने पास पाए गए किसी भी नोट, कागज या सामग्री को छिपाने, विकृत करने, अपठनीय बनाने, निगलने या नष्ट करने का दोषी पाया जाता है; अथवा जो परीक्षा कक्ष के बाहर, शौचालय जाते समय या शौचालय में किसी व्यक्ति से बात करते हुए, नोटों या पुस्तकों से परामर्श करते हुए, या हल किए गए प्रश्न-पत्र अथवा उत्तर-पुस्तिका का आदान-प्रदान करते हुए पाया जाता है।"

A candidate found copying from notes written on any part of his / her clothing, body, desk or table or instrument like setsquares, protractors, scales etc. or who is found guilty of concealing, disfiguring, rendering illegible, swallowing or destroying any notes or papers or material found with him/her or found exchanging answer book or question paper with solution or talking to a person or consulting notes or books outside the Examination Hall, while going to the toilet or in the toilet.

9.16. किसी भी प्रकार की सहायता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देना या प्राप्त करना, अथवा ऐसा करने का प्रयास करना।

Giving or receiving assistance directly or indirectly of any kind or attempting to do so.

9.17. परीक्षा प्रश्नपत्र से संबंधित विषय से जुड़ी कोई भी नोटबुक, नोट्स, चिट या कोई अन्य अनधिकृत सामग्री अपने पास रखना।

Having in possession of any notebook(s) or notes or chits or any other unauthorized material concerning the subject pertaining to the examination paper.

9.18. परीक्षा अधीक्षक (Examination Superintendent) / कंप्यूटर प्रयोगशाला प्रभारी (In-charge Computer Laboratory) की अनुमति के बिना सीट अथवा सिस्टम (कंप्यूटर) बदलना।

Change of seat / system without the permission of Examination Superintendent / In-charge Computer Laboratory.

9.19. परीक्षा केंद्र / कंप्यूटर प्रयोगशाला में परीक्षा अवधि के दौरान, परीक्षा स्टाफ (कर्मचारियों) के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति से संपर्क करने, संवाद करने या ऐसा करने का प्रयास करने पर।

Contacting or communicating or trying to do so with any person, other than the Examination Staff, during the examination time in the examination center/ Computer Laboratory.

9.20. परीक्षा कक्ष / कंप्यूटर प्रयोगशाला (Computer Laboratory) से बाहर शौचालय अथवा किसी अन्य स्थान पर जाते समय नोटों, पुस्तकों या किसी अन्य सामग्री अथवा बाहरी व्यक्ति से परामर्श करना (चर्चा या संदर्भ देखना)।

Consulting notes, books or any other material or outside person while going out of the examination hall / Computer Laboratory to toilet or to any other place.

9.21. प्रतिरूपण।
Impersonation.

9.22. परीक्षा केंद्र में प्रवेश पाने के लिए प्रस्तुत किए गए फोटो पहचान पत्र में जालसाजी करना या इस उद्देश्य के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना।

Forgery in photo identification produced to seek entry in the test centre / producing false documents for the purpose.

9.23. परीक्षा के संबंध में किसी भी अन्य अवांछनीय पद्धति या साधनों का उपयोग करना या उपयोग करने का प्रयास करना।

Using or attempting to use any other undesirable method or means in connection with the examination.

9.24. प्रश्न-पत्र या उसके किसी भाग को चोरी-छिपे बाहर ले जाना; अथवा उत्तर-पुस्तिका / पूरक उत्तर-पुस्तिका (सप्लीमेंट्री आंसर शीट) या उसके किसी भाग को चोरी-छिपे बाहर ले जाना।

Smuggling out Question Paper or its part; or smuggling out answer book / supplementary answer sheet or part thereof.

9.25. उसके पास पाए गए किसी भी नोट, कागज या सामग्री को लेकर भाग जाना, उसे निगल जाना या उसे नष्ट कर देना।

Running away or swallowing or destroying any note or paper or material found with him / her.

9.26. यदि उत्तर-पुस्तिकाओं से यह प्रकट होता है / पता चलता है कि किसी उम्मीदवार ने नकल के माध्यम से किसी अन्य उम्मीदवार को सहायता दी है या उससे सहायता प्राप्त की है।

If the answer books show that a candidate has received or given help to any other candidate through copying.

9.27. परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी अधिकारी को धमकाना या किसी भी उम्मीदवार को डरानाधमकाना।-

Threatening any of the officials connected with the conduct of the examinations or threatening of any of the candidates.

9.28. दूसरे उम्मीदवार के कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन में झाँकना।

Peeping into the computer monitor screen of the other candidate.

9.29. अपनी पहचान उजागर करना या उस उद्देश्य के लिए उत्तर पुस्तिका में कोई विशिष्ट पहचान चिह्न बनाना, या परीक्षा कक्ष छोड़ने से पहले अपनी उत्तर पुस्तिका / अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका (कंटिन्यूएशन शीट) जमा करने में विफल रहना।

Disclosing his / her identity or making distinctive mark in the answer book for that purpose or fails to deliver his/her answer book / continuation sheet before leaving the examination hall.

9.30. एनबीईएमएस या उसके तकनीकी भागीदार (भागीदारों) की वेबसाइट या उनके सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सिस्टम को हैक करना, हैक करने का प्रयास करना या उसमें व्यवधान उत्पन्न करना।

Hacking or attempting to hack or causing interference with the website of NBEMS or its Technology Partner(s) or their Information Technology systems.

9.31. एनबीईएमएस या टेक्नोलॉजी पार्टनर के सूचना प्रौद्योगिकी (कंप्यूटर लैब) या कंप्यूटर प्रयोगशाला (पार्टनर्स) सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना।

Tampering with Information Technology systems of NBEMS or Technology Partner(s) or Computer Laboratory.

9.32. कंप्यूटर प्रयोगशाला के कंप्यूटर सिस्टमों (प्रणालियों) को क्षति / नुकसान पहुँचाने पर।

Damaging the computer systems of computer Laboratory.

9.33. एफएमजीई में सम्मिलित होने वाला उम्मीदवार तब तक एनबीईएमएस की किसी भी अन्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह एफएमजीई उत्तीर्ण नहीं कर लेता और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (MCI) / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) या राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत नहीं हो जाता; कोई भी उम्मीदवार जो गलत जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करके एक ही सत्र में एफएमजीई और अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होता है, उसे अनुचित साधन (UFM) का मामला माना जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

Candidate appearing in FMGE is ineligible to appear in any other NBEMS exams till such time the candidate qualifies FMGE and is registered by Medical Council of India (MCI) / National Medical Commission or State Medical Council , a candidate appearing in FMGE and other exams in the same session by producing false information / documents is an unfair means case and is to be dealt accordingly.

9.34. कोई भी उम्मीदवार जो व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, परीक्षा से संबंधित किसी भी मामले में एनबीईएमएस या उसके टेक्नोलॉजी पार्टनर के किसी परीक्षक, अधिकारी या कर्मचारी को, चाहे वह एनबीईएमएस में हो, टेक्नोलॉजी पार्टनर के कार्यालय में हो या उनके संबंधित निवास पर हो (स्थानों), प्रभावित करने या दबाव डालने का प्रयास करता हुआ पाया जाता है।

Candidate found to have attempted or trying to attempt personally or through another person to influence or pressurize an examiner, or any officer or official connected with the examinations of the NBEMS or its technology partner, either at NBEMS or at the

office of technology partner or their respective residence(s), in any matter concerned with the examinations.

9.35. ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार एनडीए का उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध अनुचित साधन के रूप में कार्रवाई की जाएगी।

Any candidate violating the NDA as detailed above will be treated as UMC.

9.36. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार एक ही परीक्षा सत्र में कई बार उपस्थित हुआ है या अलग अलग नामों से-एनबीईएमएस की एक ही या विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हुआ है, तो ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ अनुचित साधन का मामला दर्ज किया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

If at any stage if it is found that the candidate has appeared multiple times in the same session of examination or has appeared in same or different examination of NBEMS with different names, unfair means case shall be registered against such candidate and dealt accordingly.

9.37. उम्मीदवार या किसी भी व्यक्ति का ऐसा कोई भी कृत्य जो परीक्षा के सुरक्षित, सुदृढ़ और सुचारू संचालन के लिए हानिकारक (अहितकर) हो, और इस संबंध में "परीक्षा आचार समिति (ईईसी)" का निर्णय अंतिम होगा।

Any act of candidate / any person which is detrimental to safe, secure and smooth conduct of examination and the decision of "Examination Ethics Committee (EEC)" in this regard shall be final.

9.38. परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के साथ बात करते या झाँकते हुए पाया जाना।

Candidate is found talking / peeping to another candidate during the examination hours in the examination room.

9.39. कोई भी उम्मीदवार जो परीक्षा केंद्र के अधीक्षक (सुपरिटेंडेंट) / कंप्यूटर लैब के प्रभारी के आदेशों का पालन करने से इनकार करता है, किसी अन्य उम्मीदवार के साथ अपनी सीट बदलता है और / या परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है और / या परीक्षा कक्ष में अन्यथा दुर्व्यवहार करता है।

A candidate who refuses to obey the Superintendent of Examination center / Computer Lab and changes his/her seat with another candidate and / or creates disturbance of any kind during the examination and/or otherwise misbehaves in the examination hall.

9.40. उपरोक्त में से एक या अधिक अनुचित साधनों / कदाचार को अपनाने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा नैतिकता समिति द्वारा दंडित किया जा सकता है। यह दंड प्रत्येक मामले पर विचार करने के बाद समिति के निर्णय के अनुसार, परीक्षा रद्द करने अगले /14 प्रयासों या 7 वर्षों तक निष्कासन और / या उम्मीदवारी रद्द करने तक हो सकता है।

Any candidate found guilty of having adopted anyone or more of the above Unfair means / misconduct is liable to be penalized with a penalty by the Examination Ethics Committee, which may vary from cancellation of the examination / expulsion up to next 14 attempts or 7 yrs and / or cancellation of candidature as may be decided by Examinations Ethics Committee after considering each case.

9.41. **अस्वीकरण:** उपरोक्त सूची विशुद्ध रूप से सांकेतिक है। यदि उम्मीदवार का ऐसा कोई भी कृत्य या चूक (ओमिशन या कमीशन) अथवा उम्मीदवार का ऐसा कोई भी इरादा पाया जाता है जिससे परीक्षा की शुचिता दूषित (प्रभावित) होती हो, तो किसी भी व्यक्ति / उम्मीदवार को पूर्वोक्त या ऐसे किसी अपराध का दोषी घोषित करने के लिए एनबीईएमएस का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, और इसे अनुचित साधन (यूएमसी) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

Disclaimer: The above list is purely indicative. If any act of omission or commission attributed to the candidate / intent by the candidate to vitiate the sanctity of the examination, the decision of NBEMS shall be final and binding for declaration of any person/candidate guilty of foregoing or such offence as shall be classified as UMC.

10. परिणाम / Result

10.1. एक उम्मीदवार को एफएमजीई में तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब वह परीक्षा में 300 में से न्यूनतम 150 अंक प्राप्त करता / करती है। परिणाम 'पास' या 'फेल' के रूप में घोषित किया जाता है। एनबीईएमएस द्वारा संबंधित उम्मीदवारों को सूचित किए गए कारणों से किसी उम्मीदवार का परिणाम रोका जा सकता है।

A candidate shall be declared as having passed in FMGE only if he / she obtains a minimum of 150 marks out of 300 in the examination. Result is declared as Pass / Fail. Result of a candidate may be kept withheld for reasons informed to concerned candidates by NBEMS.

10.2. परिणाम घोषित होने से पहले, एफएमजीई परीक्षा में पूछे गए किसी भी प्रश्न को तकनीकी त्रुटियों के लिए परीक्षा आयोजन के बाद अधिकतम **दो (02)** कैलेंडर दिनों के भीतर अर्थात दिनांक **02-11-2026** तक सहायक चिकित्सा साहित्य (supportive medical literature) के साथ चुनौती दी जा सकती है। परीक्षा आयोजन के **दो (02)** दिनों के बाद (अर्थात दिनांक **02-11-2026** के बाद) किए गए किसी भी दावे पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्न के कठिनाई स्तर से संबंधित किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी चुनौती केवल उन्हीं वास्तविक (bonafide) उम्मीदवारों द्वारा उठाई जा सकती है जो परीक्षा में शामिल हुए थे, और इसके लिए उन्हें एनबीईएमएस) के कम्यूनिकेशन वेब पोर्टल पर अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी का उपयोग करना होगा।

Before declaration of the result, any question asked in the FMGE Examination can be challenged for technical errors, if any, with supportive medical literature, in not more than **Two (02)** calendar days after conduct of examination i.e**. till 02-11-2026. No claims made beyond Two (02) days of conduct of examination (i.e. after 02-11-2026) shall be entertained under any circumstances.** No claims pertaining to the difficulty level of a question shall be entertained. Such challenge can only be raised by bonafide candidates who had appeared in the examination through their registered email ID at Communication Web Portal of NBEMS.

10.3. **उत्तर कुंजी जारी करना:** एनबीईएमएस अपनी वेबसाइट पर एफएमजीई अक्टूबर 2026 की उत्तर कुंजी जारी करेगा। उम्मीदवार एनबीईएमएस वेबसाइट पर एफ़एमजीई अक्टूबर 2026 इंडेक्स पेज पर अपने उम्मीदवार लॉगिन के ज़रिए प्रश्न ID नंबर, सवालों की सही उत्तर कुंजी ID और चुने गए जवाबों की ID देख सकेंगे। एफ़एमजीई अक्टूबर 2026 के सूचना बुलेटिन में बताए गए मूल्यांकन के तरीके के अनुसार हर सवाल के लिए दिए गए स्कोर का भी ज़िक्र किया जाएगा।

Publication of Answer Key: NBEMS shall publish the answer key of FMGE October 2026 on its website. The candidates shall be able to access the Question ID Numbers, correct answer key ID to questions and responses ID marked through their applicant login at FMGE October 2026 index page at NBEMS website. The score given for each of the questions as per the scheme of evaluation detailed in the Information Bulletin of FMGE October 2026 shall be mentioned too.

10.4. एफएमजीई में पुनर्मूल्यांकन, पुनर्जांच, दोबारा गणना या ग्रेस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना / ग्रेस अंक प्रदान करने के ऐसे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

There is no provision for re-evaluation or rechecking or re-totaling or award of grace marks in FMGE. Such requests for re-evaluation / re-totaling / award of grace marks shall not be entertained.

10.5. एफएमजीई अक्टूबर 2026 के परिणाम **30-11-2026 तक** घोषित होने की संभावना है। परिणाम वेबसाइट **https://natboard.edu.in** पर देखे जा सकते हैं।

The results for FMGE October 2026 are likely to be declared **by 30-11-2026.** Results can be seen on website **https://natboard.edu.in**

10.6. उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके एनबीईएमएस की वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर कार्ड**,** रिज़ल्ट घोषित होने की तारीख से **छह (06)** महीने की अवधि तक ही एनबीईएमएस की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेंगे। स्कोर कार्ड सिस्टम से जेनरेट होने वाले डॉक्यूमेंट हैं**,** जिन्हें सिर्फ़ असली उम्मीदवार ही अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। ईमेल या कम्युनिकेशन वेब पोर्टल के ज़रिए स्कोर कार्ड देने या इस समय-सीमा के खत्म होने के बाद स्कोर कार्ड देने के अनुरोधों को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लें और एडमिशन सेशन खत्म होने और भविष्य में किसी भी इस्तेमाल के लिए उन्हें संभालकर रखें।

Candidates can download their score card from NBEMS website using their login credentials. The score cards shall be available for download at NBEMS website only for the period of **Six (06)** months from the date of declaration of result. Score cards are system generated documents which can only be accessed by the Bonafide candidates through their login credential. Requests to provide score card over email / through Communication Web Portal or to provide the score cards after expiry of this window shall be summarily rejected. Candidates are advised to download their score cards well in time and preserve the same till conclusion of admission session and any future utilization.

10.7. योग्य उम्मीदवारों को दस्तावेजों और पहचान के **"व्यक्तिगत रूप से"** सत्यापन के बाद उत्तीर्ण प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। यह प्रक्रिया संभावित रूप से परिणाम घोषित होने के चार सप्ताह के भीतर होगी, हालांकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण इस अवधि में बदलाव हो सकता है।

Qualified candidates shall be issued Pass Certificates after **in-person** document and identity verification tentatively within four weeks of declaration of results, however, due to unforeseen circumstances, this period may vary.

10.8. उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए फिंगर बायोमेट्रिक और फेस आईडी (Face ID) सहित क्रेडेंशियल्स (दस्तावेजों और विवरणों) के "व्यक्तिगत रूप से" (इन-पर्सन) सत्यापन में उपस्थित होना अनिवार्य है। एफएमजीई

उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (पास सर्टिफिकेट) के वितरण की समय-सारणी (शेड्यूल) परिणाम घोषित होने के बाद एनबीईएमएस की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। "व्यक्तिगत रूप से" सत्यापन के लिए लाए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण पास प्रमाणपत्र संग्रह के लिए जारी होने वाली एंट्री स्लिप में प्रदान किया जाएगा। एफएमजीई उत्तीर्ण करने मात्र से उम्मीदवार के पक्ष में एनबीईएमएस द्वारा एफएमजीई पास प्रमाणपत्र जारी करने का कोई अधिकार स्वतः उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एफएमजीई पास प्रमाणपत्र जारी किया जाना पहचान और क्रेडेंशियल्स के व्यक्तिगत रूप से सत्यापन के अधीन है। एनबीईएमएस के पास किसी भी एफएमजीई उत्तीर्ण उम्मीदवार के पास प्रमाणपत्र को आगे के सत्यापन के लिए रोकने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा कि वह उचित समझे।

Qualified candidates are required to attend **"in-person"** verification of credentials including finger biometric and Face ID. Schedule for distribution of FMGE PASS certificates shall be published on NBEMS website after declaration of result. Details of documents to be brought for **"in-person"** verification shall be provided in the entry slip for PASS certificate collection. Qualifying FMGE does not give create any right in favour of the candidate for issuance of FMGE Pass Certificate by NBEMS as issuance of FMGE Pass Certificate to qualified candidates is subject to in-person verification of identity and credential. NBEMS reserves its right to withhold the FMGE Pass Certificate of any FMGE qualified candidate for further verification as may deem appropriate to it.

10.9. ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्हें एफएमजीई अक्टूबर 2026 में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और वे पास प्रमाण पत्रवितरण की निर्धारित अनुसूची के अनुसार अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहते हैं, वे परिणाम की घोषणा के ***छह (06) महीने के भीतर*** इसे प्राप्त कर सकेंगे; ऐसा न करने पर एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए उनकी उम्मीदवारी एवं परिणाम को निरस्त/रद्द माना जाएगा और पास प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा।

All such candidates who would be declared qualified in FMGE October 2026 and fail to collect their FMGE Pass Certificates as per assigned schedule of distribution of Pass Certificates shall be able to collect the same **within *Six (06) months* of declaration of result**, ***failing which their candidature & result for FMGE October 2026 WOULD BE DEEMED AS CANCELLED and no further opportunity to collect the Pass Certificate shall be given.***

10.10. एनबीईएमएस द्वारा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को जारी किए गए एफएमजीई पास प्रमाणपत्रों के सत्यापन के उद्देश्य से एफएमजीई परिणाम की एक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कार्यालय प्रति (ऑफिस कॉपी) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) और सभी राज्य चिकित्सा परिषदों (SMCs) को भी भेजी जाती है। किसी राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकरण प्राप्त करने के लिए एफएमजीई पास प्रमाणपत्र के स्थान पर एफएमजीई के स्कोर कार्ड को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशंस, 2002 के लागू होने की तिथि को या उसके बाद, एफएमजीई उत्तीर्ण किए बिना किसी भी चिकित्सा परिषद से पंजीकरण प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना अनुचित साधन (अनफेयर मीन्स) माना जाएगा और उसके साथ तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

A digitally signed office copy of FMGE result is also sent to the National Medical Commission and all State Medical Councils for the purpose of verification of FMGE Pass Certificates issued to qualified candidates by NBEMS. The score card of FMGE cannot be produced in lieu of FMGE Pass Certificate for seeking registration with a State Medical

Council. Seeking registration or an attempt to seek registration with any medical council on / after the Screening Test Regulations, 2002 came in force without qualifying the FMGE shall be treated as an Unfair Means and dealt with accordingly.

10.11. एनबीईएमएस द्वारा केवल एफएमजीई पास प्रमाण पत्र जारी करने मात्र से उम्मीदवार को भारत में किसी चिकित्सा परिषद में पंजीकरण प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। भारत में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में किसी चिकित्सा परिषद में अस्थायी या स्थायी पंजीकरण प्राप्त करने की पात्रता का निर्धारण संबंधित चिकित्सा परिषद द्वारा नीचे दिए गए सांकेतिक दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद किया जाएगा, जो कि केवल निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं **/** Issuance of FMGE Pass Certificate by NBEMS alone does not confer any right in favour of the candidate to seek registration with a medical council in India. The eligibility for seeking provisional / permanent registration with a medical council as a medical practitioner in India shall be determined by the medical council concerned after due verifications of the indicative documents mentioned herein below, but not limited to, the following:

10.11.1. *जीएमईआर (GMER) के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने की पात्रता की पुष्टि करने वाले क्रेडेंशियल्स/दस्तावेज़ (अर्थात 10+2 की अंकतालिका (मार्क्सशीट), जाति प्रमाणपत्र, पात्रता प्रमाणपत्र / नीट-यूजी (NEET-UG) परिणाम आदि);*
Credentials supporting eligibility of the candidate for pursuing Primary Medical Qualification as per provisions of the GMER (i.e. 10+2 marksheet, Caste certificate, Eligibility Certificate / NEET-UG result etc);

10.11.2. *प्राथमिक चिकित्सा योग्यता (PMQ) के पूरा होने की पुष्टि करने वाले क्रेडेंशियल्स/दस्तावेज़, जिन्हें संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा उस देश में चिकित्सा व्यवसायी (मेडिकल प्रैक्टिशनर) के रूप में नामांकन के लिए एक मान्यता प्राप्त योग्यता के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जिस देश में उक्त योग्यता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित है (अर्थात संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित / अपोस्टिल किया गया प्राथमिक चिकित्सा योग्यता (PMQ) प्रमाणपत्र);*
Credentials supporting completion of Primary Medical Qualification (PMQ) which is confirmed by the Indian Embassy concerned, to be a recognized qualification for enrolment as medical practitioner in the country in which the institution awarding the said qualification is situated (i.e. PMQ certificate duly attested by Indian Embassy concerned/ Apostilled);

10.11.3. विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) उत्तीर्ण करने की पुष्टि करने वाले क्रेडेंशियल्स / दस्तावेज़ (अर्थात एनबीईएमएस द्वारा जारी एफएमजीई पास प्रमाणपत्र);
Credentials confirming qualifying the FMG Examination (i. e. FMGE Pass Certificate issued by NBEMS);

10.12. उम्मीदवार द्वारा एफएमजीई उत्तीर्ण करने और / या किसी चिकित्सा परिषद (मेडिकल काउंसिल) में पंजीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से, एनबीईएमएस के अनुचित साधन दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी अनुचित साधन (अनफेयर मीन्स) का उपयोग किया जाना किसी भी चरण में पाए जाने पर, इस एफएमजीई पास प्रमाणपत्र को निरस्त (रद्द) कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी लागू नियमों के अनुसार शैक्षणिक तथा आपराधिक दंड का भागी होगा।

Indulgence by the candidate in any unfair means as per NBEMS unfair means guidelines, in order to qualify FMGE and / or seeking registration with a medical council, detected at any stage will lead to cancellation of this FMGE Pass Certificate and the candidate shall be liable of an academic and a criminal punishment as may be applicable.

10.13. द्वितीयक (डुप्लिकेट) पास प्रमाणपत्र के लिए, कृपया एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत करें जिसमें द्वितीयक प्रमाणपत्र जारी करने के कारणों का उल्लेख हो, मूल प्रमाणपत्र खो जाने के संबंध में पुलिस अधिकारियों के पास दर्ज कराई गई प्राथमिकी (एफआईआर) / पुलिस शिकायत / एनसीआर (गैर-संज्ञेय रिपोर्ट) की प्रति, आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र (पब्लिक नोटरी/ओथ कमिश्नर/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित), पिछले 3 वर्षों तक के दस्तावेज़ के लिए ₹1000/- + 18% जीएसटी शुल्क और तीन वर्ष से अधिक पुराने दस्तावेजों के लिए ₹2000/- + 18% जीएसटी शुल्क जमा करना होगा। इस शुल्क का भुगतान केवल एनबीईएमएस की वेबसाइट **https://natboard.edu.in** के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जा सकता है।

For duplicate pass certificate, please submit a request letter stating reasons to issue a duplicate certificate, copy of FIR / Police Complaint / NCR lodged with police authorities for loss of original certificate, affidavit in support of application (attested by public notary/oath commissioner / judicial magistrate), fee of ₹1000/- + GST @18% for document up to preceding 3 years and ₹2000/- + GST @18% for documents more than Three years old. The fee can only be paid online through NBEMS website **https://natboard.edu.in**

10.14. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तीर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एनबीईएमएस के पास किसी प्रकार का दबाव या अनुनय न करें। प्रमाणपत्र केवल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही पात्र और योग्य उम्मीदवारों को वितरित किए जाएंगे।

Candidates are advised not to canvass with NBEMS for handing over the passing certificate. Certificate shall be distributed to eligible qualified candidates as per prescribed schedule only.

11. संचार प्रोटोकॉल / Communication Protocols

11.1. इस सूचना बुलेटिन और एनबीईएमएस की वेबसाइट https://natboard.edu.in में दी गई जानकारी पूरी प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करेगी और आपके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करेगी।

Information in this information bulletin & NBEMS website https://natboard.edu.in will guide you through the entire process and help answer most of your queries.

11.2. यदि आप अभी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से एनबीईएमएस से संपर्क कर सकते हैं / In case you are still facing issues, then you can contact NBEMS through any of the following modes:

- **एनबीईएमएस उम्मीदवार सहायता हेल्पलाइन (पसंदीदा माध्यम) / NBEMS Candidate Care helpline (Preferred mode) *:**

हेल्पलाइन नंबर / Helpline Number	**+91-7996165333**
हेल्पलाइन पोर्टल / Helpline Portal	**आवेदन पत्र जमा करने विफल /लेनदेन के रिफंड भुगतान गेटवे से संबंधित मुद्दों आदि के लिए / For queries related to application form submission/ Refund of failed transactions/ Payment Gateway related issues etc. :** एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए आवेदन पंजीकृत करने के बाद, आवेदक लॉगिन के माध्यम से पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। Portal can be accessed through applicant login after registering an application for FMGE October 2026
	आवेदन पत्र जमा करने / विफल लेनदेन के रिफंड आदि के अलावा अन्य प्रश्नों के लिए / For queries OTHER THAN application form submission/ Refund of failed transaction etc: एनबीईएमएस संचार वेब पोर्टल एनबीईएमएस वेबसाइट ('Contact Us' टैब) के माध्यम से उपलब्ध लिंक / NBEMS Communication Web Portal accessible through NBEMS Website (Contact Us tab) : **लिंक/ LINK :** **https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main**
अधिकारिक वेबसाइट / Official Website	**https://natboard.edu.in**
आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल / Official Social Media Channel	परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट एनबीईएमएस के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल पर साझा किए जाएंगे। इन्हें नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है / Important updates related to the examination shall be shared on the Official Social Media Channels of NBEMS. Same can be accessed through the link below: **WhatsApp → NBEMS** **X → NBEMS_Official** **Instagram → nbems_official** **YouTube → NBEMS_Official**

- **डाक द्वारा / By Post**:

  कार्यकारी निदेशक / Executive Director
  आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड / National Board of Examinations in Medical Sciences
  मेडिकल एनक्लेव, अंसारी नगर / Medical Enclave, Ansari Nagar
  नई दिल्ली – 110029 / New Delhi -110029

- **इन समयों के दौरान फोन सहायता उपलब्ध रहेगी / Phone support will be available during these times**:**

11-09-2026 से / to 30-10-2026	:	09:30 AM to 06:00 PM
31-10-2026 (परीक्षा दिवस / Examination Day)	:	07:00 AM to 04:30 PM

***कार्य दिवस**	:	**सोमवार से शुक्रवार:** सुबह 09:30 से शाम 06:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर)
***Working Days :**		**Monday to Friday:** 09:30 AM to 06:00 PM (Except gazetted holidays)

* उम्मीदवारों को दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से काफी पहले परीक्षा शुल्क के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूरा करके जमा कर दें और आवेदन प्रस्तुतीकरण विंडो के अंतिम दिन या अंतिम घंटों की प्रतीक्षा न करें—अधिमानतः ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुरू होने के पहले पांच दिनों के भीतर ऐसा कर लें। आवेदन पत्र जल्दी जमा करने से भुगतान से संबंधित समस्याओं (यदि कोई हो), जैसे कि असफल लेनदेन, लंबित भुगतान मिलान (रिकॉन्सिलिएशन), विलंबित सेटलमेंट स्थिति, या बैंक / भुगतान गेटवे द्वारा विफल लेनदेन के रिफंड के समाधान के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे उम्मीदवार, आवश्यकता पड़ने पर, निर्धारित आवेदन प्रस्तुतीकरण विंडो के भीतर पुनः नया भुगतान करने में सक्षम हो सकेंगे।

Candidates are strongly advised to complete and submit the online application form, including the payment of the examination fee, well before the closing date and not to wait until the final day or closing hours of the application submission window—preferably doing so within the first five days from the launch of the online application registration. Early submission of the application form provides sufficient time to resolve payment-related issues, if any, such as unsuccessful transactions, pending payment reconciliations, delayed settlement statuses, or refunds of failed transactions by the bank or payment gateway. This ultimately enables candidates to make a fresh payment, if required, within the prescribed application submission window.

आवेदन जमा करने के अंतिम दिनों / अंतिम घंटों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी तकनीकी समस्या जैसे कि वेबसाइट पर अत्यधिक दबाव (वेबसाइट कंजेशन), भुगतान की विफलता, विलंबित भुगतान निपटान / मिलान (रिकॉन्सिलिएशन), सर्वर से संबंधित समस्याओं या किसी अन्य कठिनाइयों के लिए **एनबीईएमएस जिम्मेदार नहीं होगा।** उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरते समय स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता और संगत डिवाइस / ब्राउज़र का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। उम्मीदवार की ओर से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्राउज़र अनुकूलता (कम्पैटिबिलिटी) या बिजली से संबंधित समस्याओं के कारण आवेदन के बाधित होने, अपूर्ण जमा होने या जमा न होने के लिए एनबीईएमएस जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवारों को आगे यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र कार्य दिवसों के दौरान और निर्धारित समय के भीतर जमा करें ताकि कोई विसंगति या त्रुटि ध्यान में आने पर उसका समय पर निवारण किया जा सके। किसी भी कारण से आवेदन पत्र जमा करने में होने वाले विलंब की पूरी जिम्मेदारी केवल उम्मीदवार की होगी और समय विस्तार (समय बढ़ाने) के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

NBEMS shall not be responsible for any technical issues such as website congestion, payment failure, delayed payment settlement / reconciliation, server-related problems or any other difficulties faced by candidates **during the last days / closing hours of submission.** Candidates shall ensure availability of stable internet connectivity and use of compatible device / browser while filling the application form. NBEMS shall not be responsible for interruption, incomplete submission or non-submission of application caused due to candidate-side hardware, software, internet connectivity, browser compatibility or power-related issues. Candidates are further advised to submit their application forms during working days and within the stipulated time so that any discrepancy or error, if noticed, may be resolved in a timely manner. Delay in submission of the application form due to any reason whatsoever shall be solely the responsibility of the candidate and no request for extension of time shall be entertained.

11.3. एफएमजीई से संबंधित ईमेल, जो एनबीईएमएस की किसी भी ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे, उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

Emails related to FMGE sent at any email ID of NBEMS shall not be processed.

11.4. प्रश्नों पर केवल तभी कार्रवाई की जाएगी जब वे एनबीईएमएस के साथ पंजीकृत उम्मीदवार की ईमेल आईडी के माध्यम से भेजे जाएंगे।

Queries shall only be processed if same are sent through email ID of candidate registered with NBEMS.

11.5. एफएमजीई के संबंध में समर्पित एफएमजीई अक्टूबर 2026 हेल्पडेस्क को भेजे गए संदेशों में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए **/** Following Information must be provided in communications addressed to dedicated FMGE October 2026 helpdesk regarding FMGE:

- उम्मीदवार का नाम / *Name of the Candidate*
- ईमेल आईडी / *Email ID*
- मोबाइल नंबर / *Mobile Number*
- पत्राचार का पता / *Correspondence Address*
- एफएमजीई अक्टूबर *2026* के लिए आवेदन आईडी रोल नंबर / / *Application ID / Roll Number for FMGE October 2026*
- परीक्षा का वर्ष / *Year of Examination*

➢ **उपरोक्त जानकारी के बिना भेजे गए संदेशों पर विचार नहीं किया जा सकता है।**
Communications sent without aforesaid information may not be entertained.

11.6. एक ही संदेश को बारबार न भेजें-, क्योंकि इससे उत्तर देने की प्रक्रिया में देरी होगी।

Do not send the same communication multiple times, as it will delay the response process.

11.7. स्वयं को उम्मीदवार का प्रतिनिधि, सहयोगी या पदाधिकारी बताने वाले व्यक्तियों के किसी भी प्रश्न या पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

Queries shall not be entertained from persons claiming themselves to be representative, associate or officiates of the candidate.

12. पाठ्यक्रम और परीक्षा ब्लू प्रिंट / Syllabus and Exam Blue Print

12.1. टेस्ट का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए प्रकाशित '**Competency Based Undergraduate Curriculum**' के अनुसार विषयों ज्ञान क्षेत्रों पर आधारित होगा।/ (**https://www.nmc.org.in/information-desk/for-colleges/ug-curriculum/**)

The Syllabus for the test shall comprise of subjects / knowledge areas as per the **Competency Based Undergraduate Curriculum published by the National Medical Commission for MBBS Course (https://www.nmc.org.in/information-desk/for-colleges/ug-curriculum/)**

12.2. एफएमजीई में अंकों का विषयवार वितरण नीचे प्रकाशित ब्लूप्रिंट के अनुसार होगा / The subject-wise distribution of marks in FMGE shall be as per the blueprint published herein below:

एफएमजीई (स्क्रीनिंग टेस्ट) ब्लू प्रिंट / FMGE (SCREENING TEST) BLUE PRINT		
A. PRE & PARA CLINICAL SUBJECTS:		**100 MARKS**
S. No.	**SUBJECT**	**DISTRIBUTION OF MARKS**
1	ANATOMY	17
2	PHYSIOLOGY	17
3	BIOCHEMISTRY	17
4	PATHOLOGY	13
5	MICROBIOLOGY	13
6	PHARMACOLOGY	13
7	FORENSIC MEDICINE	10
	TOTAL	**100**
B. CLINICAL SUBJECTS:		**200 MARKS**
S. No.	**SUBJECT**	**DISTRIBUTION OF MARKS**
1	MEDICINE & ALLIED SUBJECTS	
I)	MEDICINE	33
II)	PSYCHIATRY	5
III)	DERMATOLOGY & STD	5
IV)	RADIOTHERAPY	5
2	GENERAL SURGERY & ALLIED SUBJECTS	
I)	GENERAL SURGERY	32
II)	ANESTHESIOLOGY	5
III)	ORTHOPEDICS	5
IV)	RADIODIAGNOSIS	5
3	PEDIATRICS	15
4	OPHTHALMOLOGY	15
5	OTORHINOLARYNGOLOGY	15
6	OBSTETRICS & GYNAECOLOGY	30
7	COMMUNITY MEDICINE	30
	TOTAL	**200**

छवि अपलोड निर्देश

IMAGE UPLOAD INSTRUCTIONS

नोट :कृपया दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवेदन पत्र में अपलोड किए गए चित्र (इमेज) यदि दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, या संपादन विंडो (एडिट विंडो) / अंतिम संपादन विंडो में चित्रों को सुधारने में विफल रहने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

Note: Kindly go through the guidelines carefully. Images uploaded in the application form which are not in accordance with the guidelines or failure to rectify the images in the edit window / final edit window shall invite rejection of application.

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार के पास नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार अपनी फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान की स्कैन की गई (डिजिटल)छवि होनी चाहिए। जब तक आप निर्देशानुसार अपनी फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अपलोड नहीं करते, तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत (रजिस्टर) नहीं माना जाएगा।

Before applying online, a candidate will be required to have a scanned (digital) image of his/her photograph, signature and thumb impression as per the specifications given below. Your online application will not be registered unless you upload your photograph, signature and thumb impression as specified.

A. फोटोग्राफ / PHOTOGRAPH

फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया / Processes for photo upload:

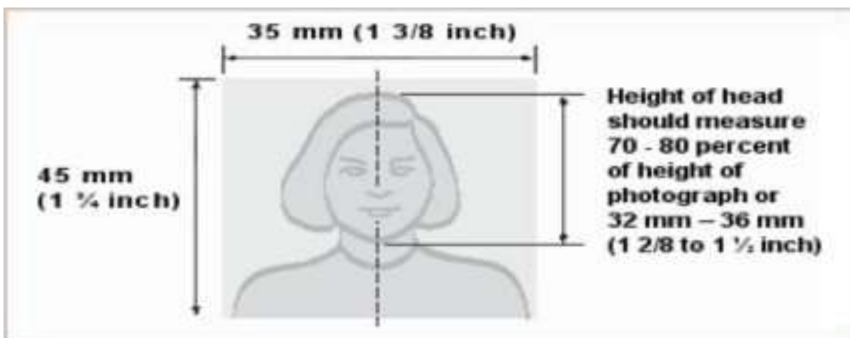

उम्मीदवार को **दो फोटोग्राफ** अपलोड करने की आवश्यकता होगी / The candidate shall be required to upload **TWO photographs:**

1. **ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरते समय कंप्यूटर सिस्टम के वेबकैम/इन-बिल्ट कैमरे से ली गई रियल-टाइम फ़ोटो। / A REAL TIME PHOTOGRAPH taken by the webcam/in-built camera of the computer system while filling the online application form:**
   a. यह पुष्टि करें कि जिस सिस्टम का उपयोग फॉर्म भरने के लिए किया जा रहा है, उसमें इनबिल्ट कैमरा या वेबकैम-उपलब्ध है।
   Confirm that the system used to fill the form has an in-built camera/webcam.

b. औपचारिक पोशाक (फॉर्मल ड्रेस) में व्यवस्थित ढंग से तैयार रहें।
Be properly dressed in a formal attire.

c. **सफ़ेद बैकग्राउंड** के सामने खड़े हों या बैठें (ध्यान भटकाने वाले बैकग्राउंड से बचें)।
Stand/sit against a **white background** (Avoid distracting backgrounds)

d. आपके चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, लेकिन वेबकैम पर सीधी रोशनी नहीं पड़नी चाहिए।
There should be bright light falling on your face but not on the webcam.

e. वेबकैम के माध्यम से फोटो खींचते समय आपके पीछे कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। छवि में **कोई अन्य वस्तु या अतिरिक्त व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए।** सुनिश्चित करें कि छवि में केवल आप ही अकेले हों।
No objects should be behind you while capturing the photograph through web cam). The image **must not include other objects or additional people**. Ensure that you are only one person in picture.

f. तस्वीर में भाग लेने वाले व्यक्ति का पूरा चेहरा, कान, गर्दन और कंधे सामने से दिखने चाहिए; चेहरे के भाव सामान्य होने चाहिए (मुस्कान नहीं होनी चाहिए) और आँखें खुली व कैमरे की ओर होनी चाहिए।
The image must contain the full face, ears, neck, and shoulders of the entrant in frontal view with a neutral, non-smiling expression and with eyes open and directed at the camera.

g. छवि में उम्मीदवार के कंधों के नीचे के शरीर का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं होना चाहिए।
The image must not contain any parts of the body below the entrant's shoulders.

h. आवेदन पत्र में "कॅप्चर फोटोबटन पर क्लिक करें। "
Click on "Capture Photo" button in the application form.

2. **हाल की एक फ़ोटो (3 महीने से ज़्यादा पुरानी न हो)** अपलोड करें, जिसे इस तरह तैयार किया जा सकता है:/ Upload a **RECENT PHOTOGRAPH** **(Not more than 3 months old)** which can be prepared in the following way:

डिजिटल कैमरे का उपयोग करके अपनी नवीनतम फोटो खींचना / CLICKING YOUR RECENT PHOTO USING DIGITAL CAMERA:

- **पहले से सेव की गई 3 महीने से अधिक पुरानी फोटो अपलोड न करें। ऐसी फोटो अपलोड करना जो नवीनतम नहीं है, आपके आवेदन को रद्द करने का कारण बन सकती है।**
  DO NOT UPLOAD MORE THAN 3 MONTH OLD PRE-SAVED PHOTOGRAPH OF YOURS. Uploading a photograph which is not a recent one shall invite rejection of application.

❖ **यदि आपकी वास्तविक समय की फोटो और अपलोड की गई फोटो में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।**
IN CASE OF GROSS DIFFERENCE IN YOUR APPEARANCE IN REAL TIME PHOTOGRAPH AND UPLOADED PHOTOGRAPH, THE APPLICATION WILL BE REJECTED.

a. फोटो में किसी भी संभावित त्रुटि से बचने के लिए, पिछले 3 महीनों के भीतर फोटोस्टूडियो- में खींची गई फोटो अपलोड करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि आप घर पर फोटो खींचने का निर्णय लेते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।
Preference to be given to upload a photograph taken in a photo-studio in last 3 months to avoid any likely error in photograph. If you decide to take the photograph at home, please follow the instructions mentioned below.

b. व्यवस्थित रूप से औपचारिक पोशाक (फॉर्मल ड्रेस) में तैयार रहें।
Be properly dressed in a formal attire.

c. किसी भी हाई रिज़ॉल्यूशन डिजिटल डिवाइस (अधिमानतः-5-मेगापिक्सेल से अधिक रिज़ॉल्यूशन वालेका उप (योग करके **तेज़ रोशनी** में रंगीन फोटो खींचें। फ्लैश का उपयोग करने से बचें क्योंकि इससे सफेद बैकग्राउंड पर छाया बनने की संभावना रहती है। अनुचित रोशनी में ली गई छवियों को खारिज कर दिया जाएगा।
Click colour photograph in **bright light** using any high resolution digital device (preferably with > 5-megapixel resolution). Avoid using flash as it tends to create a shadow on the white background. Images which are taken in with improper light shall be rejected.

d. सेल्फी लेने से बचें; किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी फोटो खींचने के लिए कहें। वे आपको सही निर्देश देने में भी मदद कर सकते हैं, जैसे कि सिर सीधा रखना या बालों को कानों के पीछे करना। सेल्फी वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।
Avoid selfie; ask someone else to take the picture for you. They might also help to direct you a bit, like telling you to straight your head or tuck your hair behind your ears. Selfies shall be rejected.

e. फोटो खिंचवाते समय चश्मा (शीशे में प्रतिबिंब/रिफ्लेक्शन से बचने के लिए), टोपी, धूप का चश्मा (गॉगल्स), गले में स्टेथोस्कोप, मेकअप या गहने न पहनें।
Do not wear spectacles (to avoid reflection in the glass), cap, goggles, stethoscope around neck, makeup, ornaments while getting the photo shot.

f. **सफेद बैकग्राउंड** के सामने खड़े हों या बैठें (ध्यान भटकाने वाले बैकग्राउंड से बचें)।
Stand/sit against a **white background** (Avoid distracting backgrounds)

g. बैकग्राउंड में कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। छवि में कोई अन्य वस्तु या अतिरिक्त व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि छवि में केवल आप ही अकेले हों। बैकग्राउंड में किसी भी वस्तु वाली छवियों को खारिज कर दिया जाएगा।
No object should be in the background. The image must not include other objects or additional people. Ensure that you are only one person in picture. Images having any object in the background shall be rejected.

h. छवि में उम्मीदवार का पूरा चेहरा, कान, गर्दन और कंधे सामने से दिखाई देने चाहिए; चेहरे के हाव भाव सामान्य (न्यूट्रल)- होने चाहिए, मुस्कुराते हुए नहीं, और आँखें खुली व कैमरे की ओर सीधी होनी चाहिए।

The image must contain the full face, ears, neck, and shoulders of the entrant in frontal view with a neutral, non-smiling expression and with eyes open and directed at the camera.

i. छवि में उम्मीदवार के कंधों के नीचे के शरीर का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं होना चाहिए। कंधों के नीचे के शारीरिक अंगों वाली छवियों को खारिज कर दिया जाएगा।
The image must not contain any parts of the body below the entrant's shoulders. Images having parts of body below the shoulder shall be rejected.

डिजिटल फोटो को एडिट और अपलोड करने के लिए चेकलिस्ट / Checklist for editing & uploading the digital photograph:

a. डिजिटल डिवाइस (कैमरे या फोन) से फोटो को कंप्यूटर या लैपटॉप में ट्रांसफर करें।
Transfer the photograph from the digital device to a computer/laptop.

b. फोटो रंगीन होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए।
Photograph is in colour with white background.

c. आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
Your face is clearly visible.

d. छवि का साइज़ 80kb से कम होना चाहिए। छवि का साइज़ चेक करने के लिए उस पर राइट क्लिक- करें और फिर "Properties" लिंक पर जाएं।
The size of image should be less than 80kb. Size of the image can be checked by right click on the image and then go to “Properties” link. (Maintain aspect ratio, i.e. height and width ratio to avoid distortion of image)

e. छवि .jpg या .jpeg फॉर्मेट में होनी चाहिए।
Image is in .jpg/.jpeg format.

f. एडिटिंग (संपादन) की प्रक्रिया के दौरान छवि धुंधली नहीं होनी चाहिए।
Image is not blurred in the process of editing.

g. डिजिटल संवर्धन, अन्य किसी भी प्रकार का बदलाव या रिटचिंग)Retouching) करने की अनुमति नहीं है।
Digital enhancement or other alterations or retouching are not permitted.

h. यह सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा फ्रेम के कम से कम 70-80% हिस्से को कवर करता हो।
Make sure your face takes up at least 70-80% of the frame.

B. हस्ताक्षर / SIGNATURE

आपके हस्ताक्षर की डिजिटल छवि दो तरीकों से बनाई जा सकती है / Digital image of your Signature can be made in two ways:

- डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करके सीधे इमेज कैप्चर करना।
  Using a digital device to directly capture image
- हस्ताक्षर को स्कैन करना
  Scanning the signature

I. डिजिटल डिवाइस (कैमरे) का उपयोग करके हस्ताक्षर की डिजिटल छवि तैयार करना / PREPARING DIGITAL IMAGE OF SIGNATURE USING A DIGITAL DEVICE (CAMERA):

डिजिटल डिवाइस का उपयोग करके हस्ताक्षर की फोटो खींचना / Clicking image of signature using a digital device:

a. 1.5 cm (ऊंचाई) x 3.5 cm (चौड़ाई) साइज़ का एक बॉक्स बनाएं। इस बॉक्स के अंदर साइन करने के लिए काले या गहरे नीले रंग की स्याही वाले पेन का इस्तेमाल करें।
Draw a box of size 1.5 cm (height) x 3.5 cm (width). Use a black or dark blue ink pen to sign within this box.

b. किसी भी डिजिटल डिवाइस अधिमानतः) 5-मेगापिक्सेल से अधिक रिज़ॉल्यूशन वालाका उपयोग करके (, बॉक्स के भीतर किए गए हस्ताक्षर की फोटो खींचें। फोटो तेज रोशनी में लें और फ्लैश का उपयोग करने से बचें।
Click the signature within the box in bright light conditions using any digital device (preferably with > 5-megapixel resolution). Avoid using flash.

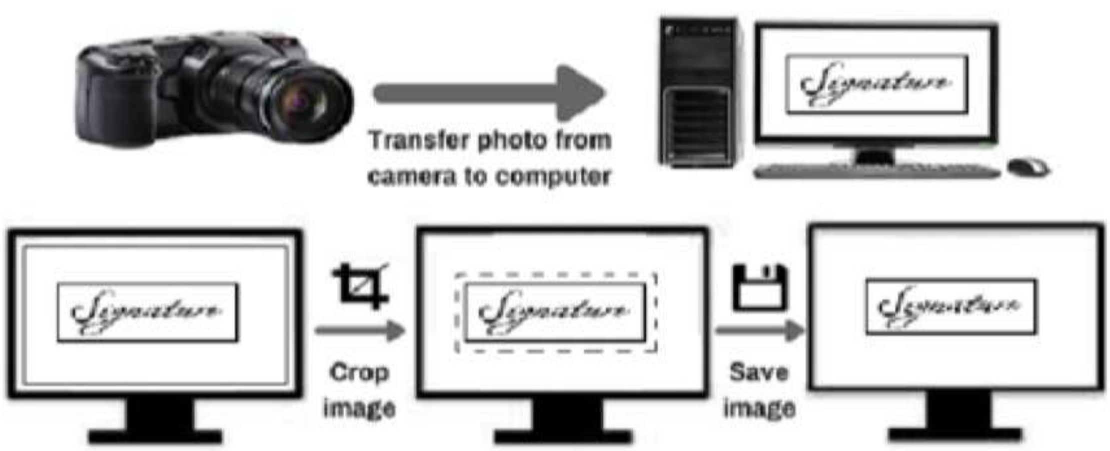

c. यह सुनिश्चित करें कि कागज की शीट पर आपके हाथों, कैमरे या स्मार्टफोन आदि की परछाई न पड़े।
Check the shadow of your hands/camera/smartphone etc. does not fall on the sheet.

हस्ताक्षर की डिजिटल छवि को एडिट करना / Editing digital image of the signature:

a. डिजिटल छवि को कंप्यूटर या लैपटॉप में ट्रांसफर करें।
Transfer the digital image to a computer/laptop.

b. यदि आवश्यक हो, तो छवि एडिटिंग सॉफ्टवेयर के **ऑटोकरेक्शन फीचर-** का उपयोग करें ताकि सफेद बैकग्राउंड पर हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
If required, use **auto-correct feature** of image editing software so that the signature is clear against a white background.

c. छवि को इस तरह **क्रॉप** करें कि बॉक्स के किनारे पूरी तरह से मिल जाएं।
Crop the image such that borders of box are reached.

d. इमेज का साइज़ 80 Kb से कम करें (आस्पेक्ट रेश्यो बनाए रखें, यानी इमेज के बिगड़ने से बचाने के लिए ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात बनाए रखें)।
Resize the image to less than 80 Kb (maintain aspect ratio, i.e. height and width ratio to avoid distortion of image)

II. हस्ताक्षर स्कैन करना / SCANNING THE SIGNATURE:

a. उम्मीदवार को अपने पूर्ण हस्ताक्षर करने चाहिए, न कि केवल नाम के शुरुआती अक्षर।
The candidate should provide his/her complete signatures and not just initials.

b. हस्ताक्षर **केवल उम्मीदवार द्वारा ही किए जाने चाहिए**, क्योंकि इनकी किसी भी समय बारबार जांच की जा सकती है-।
The signatures should be **done by the candidates only** as it may be checked any time frequently.

c. **केवल बिना लाइनों वाले सफेद कागज** पर किए गए हस्ताक्षर ही स्वीकार किए जाएंगे।
Signature done on the blank **white page without lines only** will be accepted

d. सफेद कागज लें और उस पर 3.5 x 1.5 cm (चौड़ाई x लंबाई के आकार का बॉक्स (मार्क करें।
Take the white sheet and mark the box size of 3.5 x 1.5 cm (width x height)

e. **नीले/काले पेन** से बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करें।
Sign inside the box with **blue/black pen**.

f. यदि परीक्षा के समय उत्तर पुस्तिका पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर, उपस्थिति पत्रक पर किए गए हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं, तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
If the Candidate's signature on the answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Attendance Sheet, the candidate will be disqualified.

g. स्कैनर को 200 dpi पर सेट करें।
Set the scanner to 200 dpi

h. स्कैन की गई छवि को .jpeg/.jpg फॉर्मेट में सेव करें।
The scanned image should be saved in .jpeg/.jpg format.

i. केवल बॉक्स वाले हिस्से को क्रॉप करें, पूरे सफेद पेज को नहीं।
Crop only box area and not the complete white page.

j. इमेज का आकार 80kb से कम होना चाहिए।
The size of image should be less than 80kb.

C. अंगूठे का निशान / THUMB IMPRESSION

अंगूठे के निशान की डिजिटल छवि तैयार करने के निर्देश
Instruction for preparing digital image of thumb print

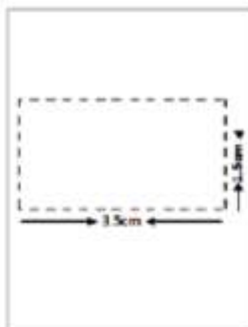

Draw a box of 1.5cm x 3.5cm for Left thumb impresssion

Left thumb impression within the box

अंगूठे का निशान लेना
Taking a thumb-print

a. एक सफेद कागज पर 3.5 cm x 1.5 cm (चौड़ाई x लंबाई का एक बॉक्स बनाएं। (आप कई अंगूठे (के निशान लेने और उनमें से सबसे अच्छा चुनने के लिए एक से अधिक बॉक्स बना सकते हैं।(
Draw a box of 3.5 cm x 1.5 cm (width x height) on a white sheet of paper (you may draw more than 1 box to take multiple thumb print and select the best).

b. एक नए **नीले/काले रंग के इंक पैड** का उपयोग करें।
Use a fresh **blue/black colour ink pad.**

c. अंगूठे का सही निशान प्राप्त करने के लिए एक कागज पर अभ्यास करें, विशेष रूप से रंग की डेंसिटी या डार्कनेस पर। प्रिंट का निशान स्पष्ट और पढ़ने योग्य होना चाहिए; यह न तो बहुत डार्क या धुंधला होना चाहिए और न ही बहुत हल्का।

Practice on a sheet of paper to get the proper thumb-print especially the density or darkness of the colour. The impression of the print should be clear and readable; neither dark nor smudged or light.

d. शुरू करने से पहले अपने हाथों को साफ करें और उन्हें सुखा लें हाथों पर लगी गंदगी या तेल के कारण)प्रिंट धुंधले हो सकते हैं(
Clean your hands and dry them before you begin (oil/dirt can obscure the prints)

e. अपने **बाएं अंगूठे** को धीरे से इंक पैड पर दबाएं और बॉक्स के अंदर अपने बाएं अंगूठे का हॉरिजॉन्टल निशान लें। अंगूठे को बहुत ज़ोर से न दबाएं और न ही हिलाएं, क्योंकि इससे निशान धुंधला हो सकता है।
Gently press your **LEFT THUMB** against the ink pad and take a horizontal print of your left thumb within the box. Do not press too much or wriggle as it may lead to smudging of print.

I.डिजिटल डिवाइस (कैमरा) का उपयोग करके अंगूठे के निशान की डिजिटल छवि तैयार करना / PREPARING DIGITAL IMAGE OF THUMB IMPRESSION USING A DIGITAL DEVICE (CAMERA)

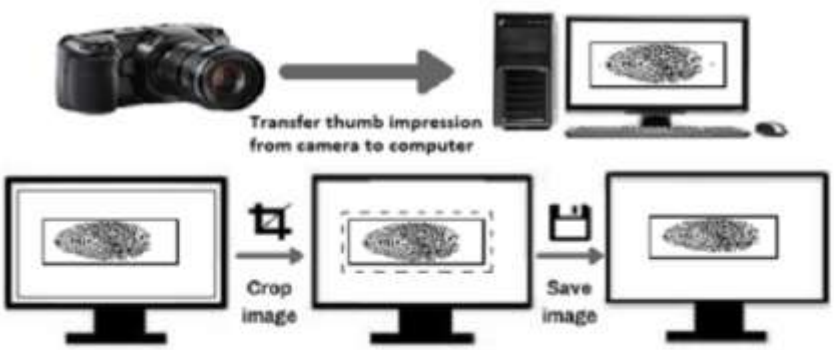

II.अंगूठे के निशान को स्कैन करना / SCANNING THE THUMB IMPRESSION

a. स्कैनर को 200 dpi पर सेट करें।
Set the scanner to 200 dpi.

b. अंगूठे के निशान की स्कैन की गई छवि को .jpg/.jpeg फॉर्मेट में सेव करें।
Save the scanned image of thumb-print as .jpg/.jpeg format.

c. केवल बॉक्स वाले हिस्से को क्रॉप करें।
Crop only box area.

d. छवि का आकार 80kb से कम होना चाहिए। छवि के आकार की जांच करने के लिए उस पर राइट क्लिक करें और फिर "Properties" लिंक पर जाएं।
The size of image should be less than 80kb. Size of the image can be checked by right click on the image and then go to “Properties” link.

स्वीकार्य फ़ोटोग्राफ़ के लिए निर्देश
INSTRUCTIONS FOR ACCEPTABLE PHOTOGRAPHS

अस्वीकार्य NOT ACCEPTABLE	रद्द करने का कारण Reason for Rejection	अस्वीकार्य Acceptable
	कटी हुई फोटो Cropped image	
✗		✓
	कैमरे की ओर सीधा न देखना Not looking straight into camera	
✗		✓
	ब्लैक एंड व्हाइट फोटो Black & White Photographs	
✗		✓

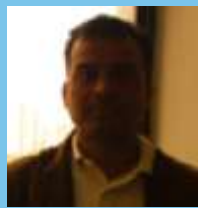	अनुचित फ्लैश या अपर्याप्त रोशनी **Improper flash or improper lighting**	
	मोबाइल से ली गई फोटो ")सेल्फी सहित ("जिसके कारण चेहरा स्पष्ट न दिख रहा हो **Photo taken with mobile phone (including "selfies") resulting in distorted face**	
	मूल छोटी छवि को बड़ा करने के कारण स्पष्ट न दिखने वाली फोटो **Distortion due to enlargement of an original smaller image**	

	अनुचित बैकग्राउंड या चश्मे में फोटो **Improper Background or Sunglasses**	
	चश्मे पर अत्यधिक चमक के कारण अस्पष्ट आँखें **Too much glare on spectacles**	
	आँखों के किनारे चश्मे का फ्रेम **Spectacle rim over eyes**	

स्वीकार्य हस्ताक्षरों के लिए निर्देश
INSTRUCTIONS FOR ACCEPTABLE SIGNATURES

अस्वीकार्य हस्ताक्षर Not Acceptable Signature	रद्द करने का कारण Reason for Rejection	स्वीकार्य Acceptable
	आयताकार बॉक्स के बाहर होने वाला हस्ताक्षर **Signature not in rectangle box**	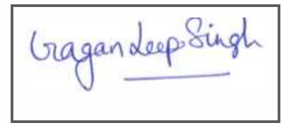
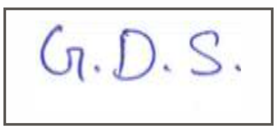	अधूरे हस्ताक्षर **Signature not in full**	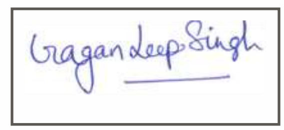
	नाम के शुरुआती अक्षर अस्वीकार्य **Initials are unacceptable**	
		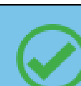
	बड़े अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर **Signature in Capital**	

	बहुत छोटे आकार का हस्ताक्षर। बॉक्स के बजाय पूरा स्कैन और अपलोडेड पेज **Signature is smaller in size. Instead of the box, entire page is scanned and uploaded.**	
		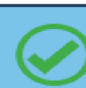
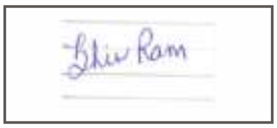	सफेद बैकग्राउंड पर नहीं किया गया हस्ताक्षर **Signature not in plain white background**	
		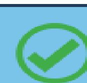
	एक ही बॉक्स में हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान **Signature and thumb impression in same box**	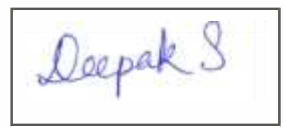
		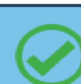
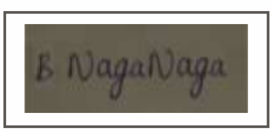	डार्क बैकग्राउंड में हस्ताक्षर **Signatures with dark background**	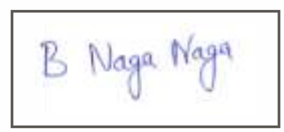
		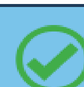
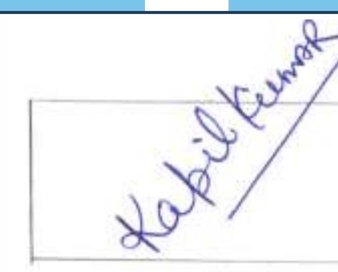	आयताकार बॉक्स के बाहर हस्ताक्षर **Signature outside the rectangle**	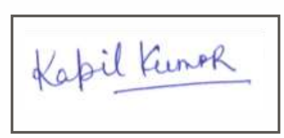

	नीली या काली स्याही के अलावा किसी अन्य रंग में हस्ताक्षर Signature in other than blue or black ink	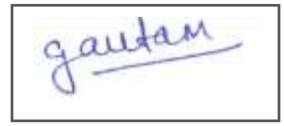
	हस्ताक्षर के स्थान पर अपलोडेड फोटो Photograph uploaded in place of Signatures	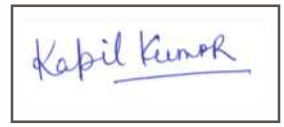
	हस्ताक्षर के स्थान पर अपलोडेड अंगूठे का निशान Thumb Impression Uploaded in place of Signatures	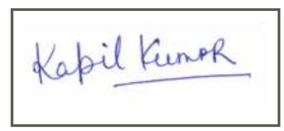

स्वीकार्य अंगूठे के निशान के लिए निर्देश
INSTRUCTIONS FOR ACCEPTABLE THUMB IMPRESSIONS

अस्वीकार्य हस्ताक्षर Not Acceptable thumb impressions	रद्द करने का कारण Reason for Rejection	स्वीकार्य Acceptable
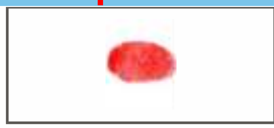	नीली या काली स्याही के अलावा किसी अन्य रंग में अंगूठे का निशान Thumb impression in other than blue or black ink	
✗		✓
	मोबाइल फोन कैमरे से डार्क/ बैकग्राउंड के साथ ली गई अंगूठे के निशान की फोटो Thumb impression taken via mobille phone/camera with dark background	
✗		✓
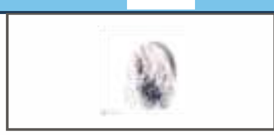	अपूर्ण अंगूठे का निशान Incomplete thumb impression	
✗		✓
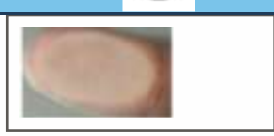	अंगूठे के निशान की तस्वीर Picture of thumb impression	
✗		✓
	आंशिक रूप से कटा हुआ /पूरी तरह से स्कैन नहीं किया गया अपलोडेड अंगूठे का निशान Thumb impression uploaded is partly cropped / not scanned completely.	
✗		✓

	अस्पष्ट अंगूठे का निशान **Thumb impression is not clear**	
	हल्का (कम स्याही)अंगूठे का निशान **Dry thumb impression**	
		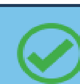
	सफेद बैकग्राउंड (पृष्ठभूमि) पर नहीं किया गया अंगूठे का निशान **Thumb impression not in plain white background**	
	अत्यधिक स्याही के कारण अस्पष्ट अंगूठे का निशान **Thumb Impression obscured by too much ink.**	
	बहुत छोटा अंगूठे का निशान; बॉक्स के बजाय A4 साइज की पूरी शीट में अपलोड **Thumb Impression is too small; upload full A4 size sheet instead of box alone**	
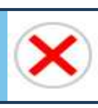		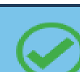

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

No.MCI-203(1)(Gen.)/2013-Regn./59243 Dated: 24.02.2014

To,

The Registrar,
All State Medical Councils of India.

Subject: Enrolment of Medical Practitioners holding recognized medical qualifications under the section 13(4A) of the Indian Medical Council Act, 1956 on State Medical Registers.

Sir/Madam,

This is in continuation of this office circular date 15/9/1981, 02/05/1985, 09/02/1987, 07/1998 and 04/06/2003 on the above subject.

2. Your kind attention is invited to section 13(4A) and 13 (4B) of the Indian Medical Council Act, 1956 that were included in the IMC Act, 1956 by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2001. These provisions permit an Indian citizen/overseas citizen of India to obtain primary medical qualification (MBBS or its equivalent) from any country outside India which is recognized for enrolment as medical practitioner in that country. Such persons are required to conform to the norms for admission in MBBS course in India as laid down in the Graduate Medical Education Regulation, 1997. For the purpose of enrolment on medical register in India such person is required to qualify the Screening Test conducted by the National Board of Examination. Once such person qualifies the Screening Test, the primary medical qualification obtained by such person is deemed to be the recognized medical qualification for the purposes of the IMC Act for that person. Registration to practice medicine as a registered medical practitioner, as postulated under the scheme of the Indian Medical Council Act, 1956, is with the State Medical Council and to be made in the State Medical Register. Consequently, section 15 of the IMC Act confers on such person the right for enrolment on the State Medical Register and by the State Medical Council upon satisfaction of fulfilment of all the requirements by any applicant, for seeking such registration. Similarly, grant of provisional registration by the State Medical Council is provided under section 25 (I) of the Indian Medical Council Act. 1956.

3. Accordingly, this is to bring to the attention of all the concerned that the holders of primary medical qualifications (MBBS or its equivalent) from the any country outside India, which is recognized for enrolment as medical practitioner in that country and who have qualified the Screening Test conduced by the National Board of Examination are required to be mandatorily enrolled on the State Medical Register by the State Medical Council upon satisfaction of fulfilment of all the requirements by any applicant, for seeking such registration. Therefore, State Medical Councils are requested to

enrol such medical practitioners on their Registers and thereafter communicate the information of such enrolment to the Medical Council of India in accordance with the provisions of the Indian Medical Council Act. 1956. In doing so, the State Medical Councils are advised to necessarily ensure following procedural checks before granting provisional/permanent registration:

(1) That the applicant who has gone abroad from 15.03.2002 to 14.05.2013 had obtained an Eligibility Certificate from the Medical Council of India. Further, those going abroad on or after 15 May 2013 conform to / fulfill all the rooms laid down in the Graduate Medical Education Regulations, 1997 for admission in MBBS course.

(2) That the foreign medical qualification obtained by the applicant is recognized for enrolment as medical practitioner in that country and confirmation from the Indian Embassy has been obtained to the effect that the degree awarded by the foreign Medical Institution is recognized for enrolment an medical practitioner is that Country.

(3) That the applicant has qualified the Screening Test conducted by the National Board of Examinations in Medical Sciences.

(4) That the primary medical qualification obtained by the applicant is either apostilled in accordance with the requirements of Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document (Apostille Convention) or are duly attested by the Indian Embassy of the foreign nation from which such qualification has been obtained.

(5) That the authenticity of 10+2 mark sheet and certificate are verified from the concerned Board.

(6) That the caste certificate of Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes is verified in case relaxation of marks, as permitted under the MCI Regulations, is sought.

4. In so far as grant of provisional registration under section 25(1) of the Indian Medical Council Act, 1956 is concerned, provision of Regulation 65 of MCI Regulations 2000, shall also be required to be complied with and which provides as under:

   "............65. Provisional Registration. - The names of provisionally registered medical practitioners should be borne on a separate list maintained for the purpose and they shall not be included in the State Medical Registers, In order to have a uniform procedure by all State Medical Councils with regard to the list of provisionally registered medical practitioners under section 25, the certificate for provisional registration should be issued in the following proforma:-

   Name of Persons :
   Address :
   Qualification :
   Date of year of passing examination :
   Name of College and University :

5. It may also be noted that the practice of granting direct registration by the Medical Council of India to the India citizens who have obtained primary medical qualifications from foreign countries would be stopped with effect from 01.03.2014 and with effect from such date no fresh application would be entertained by the Medical Council of India.

6. All the person, who have obtained primary medical qualifications from foreign country, are also advised to get their names enrolled on the State Medical Register so as to ensure that they are able to avail all the rights and privileges conferred upon by the Indian Medical Council Act, 1956.

7. In case of any clarification/difficulty the Council may be approached by the concerned State Medical Council for advice in the matter.

8. This is issued with the approved of the Competent Authority of the Council.

Yours faithfully,
(Ashok Kumar Harit)
Deputy Secretary (Admn.)

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, New Delhi-110002

PRESS NOTE

It is brought to the notice of Indian (citizens) students who are desirous of joining an Undergraduate Medical Course (equivalent to MBBS in India) in any Foreign Medical Institution on or after the 15th March, 2002, that all such intending candidates shall have to approach the Medical Council of India, Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, New Delhi-110002 for issue of Eligibility Certificate for getting admission to an Undergraduate Medical Course in any Foreign Medical Institution as per the provisions of "Eligibility Requirement for taking admission in an undergraduate medical course in a Foreign Medical Institution Regulations, 2002" which has been notified in Part III Section 4 of the Gazette of India Extra-ordinary issue dated the 18th February, 2002.

The application form for issue of the Eligibility Certificate may be obtained from the Council office. The application form along with the details required therein may be submitted to the Council along with the demand draft in favour of Secretary, Medical Council of India, New Delhi, for the prescribed sum. It may be understood that Eligibility Certificate will be issued by the Council only to such candidates who fulfill the criteria of age of admission to the medical course and passing of qualifying examination (10+2 or equivalent or higher qualification) with the required percentage of marks as prescribed in the Graduate Medical Education Regulations, 1997, copies of which are available in the Council office on payment of Rs.100/-. The relevant extracts from these Regulations are also available on the Council's Website. A candidate belonging to SC/ST/OBC has to produce a caste certificate from the competent authority. Only after necessary verification, if the candidate fulfills the eligibility criteria, the Council shall issue Eligibility Certificate to the candidate certifying that he/she is eligible to join a medical institution outside India to obtain a primary medical qualification. No candidate who has obtained admission in a Foreign Medical Institution on or after 15th March, 2002 shall be permitted to sit for the Screening Test, after obtaining the medical degree from abroad, for the purpose of his registration in India, unless he produces the Eligibility Certificate issued by the Medical Council of India. Further details may be obtained from the office of the Medical Council of India, New Delhi and also may be seen in the website of the Council – www.mciindia.org

Sd/

Dr. M. Sachdeva

Secretary, Medical Council of India

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, New Delhi-110002

PRESS NOTE

It is brought to the notice of all Indian Citizens possessing a primary medical qualification awarded by any medical institution outside India who are desirous to getting Provisional or Permanent Registration with the Medical Council of India or any State Medical Council on or after 15th March, 2002 that they shall have to qualify a Screening Test which will be conducted by the National Board of Examinations in Medical Sciences, Ansari Nagar, New Delhi-110029, as per the provisions of the Indian Medical Council Act, 1956 (as amended) and the Screening Test Regulations, 2002, which has been notified in Part-III Section 4 of the Gazette of +India Extraordinary issue dated the 18th February, 2002. The Amendment Act and the Screening Test Regulations are available for reference in the MCI Website: www.mciindia.org.

The Screening Test will be conducted twice a year as per the Schedule of Examination to be announced by the National Board of Examinations in Medical Sciences, New Delhi. There shall be three papers of Multiple choice questions in pre-clinical, para-clinical and clinical medicine and its allied subjects including Obstetrics. & Gynaecology. The language of the test shall be English. The test for each paper will be of three hours duration. A candidate has to obtain a minimum of 50% marks in each paper separately for passing the Screening Test. A candidate may avail of maximum of 3 chances (actual appearance) and if he does not qualify in the 3rd chance/ appearance in the test, such candidate will not be eligible for registration by the Council. No candidate shall be allowed to appear in the Screening Test unless:

1. he/she is a citizen of India and possesses any primary medical qualification, either whose name and the institution awarding it are included in the World Directory of Medical Schools, published by the World Health Organisation; or which is confirmed by the Indian Embassy concerned to be a recognised qualification for enrolment as medical practitioner in the country in which the institution awarding the said qualification is situated;

2. he/she had obtained 'Eligibility Certificate' from the Medical Council of India as per the Eligibility Requirement for taking admission in an undergraduate medical course in a Foreign Medical Institution Regulations, 2002'. This requirement shall not be necessary in respect of Indian citizens who have acquired the medical qualifications from foreign medical institutions or have obtained admission in foreign medical institution before 15th March, 2002.

This press note is published for general information. Further details may be obtained directly from the office of the Medical Council of India, New Delhi.

Sd/

Dr. M. Sachdeva
Secretary, Medical Council of India

MCI-203(9)/2001-Regn./ **Dated: 26th February, 2002**

The Ambassador, Indian Embassy All countries The High Commissioner, Indian Embassy

Ambassador/High Commissioner of all Foreign Embassies in India Through Ministry of External Affairs, Govt. of India, South Block, New Delhi.

Subject: Intimation regarding holding of Screening Test for Indian Citizens holding Foreign Medical Qualifications and issue of Eligibility Certificate to Indian candidates going abroad for joining undergraduate medical course in a foreign medical institution - Reg.

Sir,

This is to bring to your kind notice that the Indian Medical Council Act,1956 has been amended by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2001 under which Regulations have been approved by the Central Govt. and notified in the Gazette of India which provide broadly for the following:

1. No new primary medical qualification (equivalent to MBBS in India) granted by any medical institution outside India shall be included in the Schedules to the Indian Medical Council Act after coming into force of the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2001 i.e. 3rd December - 2014, 2001.

2. A citizen of India possessing a primary medical qualification as defined in the enclosed Screening Test Regulations, 2002 {para 2(f)} granted by any medical institution in any country outside India and who is desirous of getting provisional or permanent registration with the Medical Council of India or any State Medical Council on or after the 15th March, 2002 shall have to qualify a screening test conducted by the prescribed authority.

3. An Indian citizen seeking admission in a foreign medical institution for obtaining a primary medical qualification as defined in the enclosed Screening Test Regulations, 2002 {para 2(f)} on or after the 15th March, 2002 shall be eligible to appear in the Screening Test only if he possesses the eligibility qualification as per the regulations framed by the MCI (for admission to MBBS course in India) – Extracts of Graduate Medical Education Regulations are enclosed for reference.

4. Any person who is desirous of joining an undergraduate medical course in any foreign medical institution on or after 15th March, 2002 should approach the Medical Council of India, New Delhi for issue of Eligibility Certificate for that purpose as per the Eligibility

Requirement for Taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulations, 2002. All such candidates will be allowed to appear in the screening test only if they

produce the eligibility certificate, after completion of the medical course abroad and if they are eligible to sit for the screening test as prescribed in the Screening Test Regulations, 2002.

A copy each of the following documents are sent herewith for information and necessary action:-

- Indian Medical Council (Amendment) Act, 2001 (published in the Gazette of India Extraordinary issue dated 3rd December - 2014, 2001).

- The Screening Test Regulations, 2002 (published in the Gazette of India Extraordinary issue dated the 18th February, 2002).

- The Eligibility Requirement for Taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulations, 2002.

- Extracts of Graduate Medical Education Regulations – Regarding Eligibility requirement for admission to medical course in India.

It is requested that wide publicity may please be given to all Foreign medical institutions conducting medical courses leading to the award of primary medical qualification as defined in the enclosed Screening Test Regulations, 2002 {para 2(f)} (equivalent to MBBS) in the foreign country concerned as well as the concerned Ministries/departments of the Govt. of the foreign country, the concerned Medical Council or equivalent authority for recognition of medical qualifications/grant of permission to practice medicine in that country so that all Indian students already undergoing training/medical course for obtaining primary medical qualification in any institution in the foreign country are properly apprised of the Regulations so that they may approach the prescribed authority for appearing in the screening test only if they fulfill the requirements prescribed in the Regulations and the scheme for conducting the screening test. It will be appreciated if an acknowledgement is sent to this Council along with a report on action taken, for the information of this Council. The above details are also available in the MCI website: www.mciindia.org.

Yours Faithfully

Sd/

Dr. M. Sachdeva Secretary, Medical Council of India

Medical Council of India

Pocket -14, Sector -8, Dwarka, New Delhi -110077

PUBLIC NOTICE

This is to inform to all concerned that the requirement of obtaining Eligibility Certificate to pursue Primary Medical Qualification (MBBS or its equivalent) by an Indian Citizen/Oversees Citizen of India is mandatory in terms of section 13(4B) of the Indian Medical Council Act, 1956. It is also brought to attention that the requirement of obtaining Eligibility Certificate was dispensed with by the India Medical Council (Amendment) First and Second Ordinance, 2013. However, with the lapse of the Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013, the requirement of obtaining Eligibility Certificate from the Medical Council of India stands revived w.e.f. 04.01.2014.

The Executive Committee of the Council has decided to restart issuance of Eligibility Certificate w.e.f the current Academic Year i.e 2016-2017.

Accordingly, public at large is hereby informed that in terms of Section 13(4B) of the Indian Medical Council Act, 1956 and Clause 4(2) of the Screening Test Regulation, 2002, an Indian National/Overseas Citizen of India who desires to take admission into MBBS or its equivalent course in a Medical University/Institution outside the country, is required to obtain Eligibility Certificate from the Medical Council of India, New Delhi before leaving the country. It is not permissible for holder of a primary medical qualification to appear in the Screening Test without obtaining an Eligibility Certificate from Medical Council of India.

Therefore, all the applicants who have taken and/or desire to take admission into MBBS or its equivalent course in a Medical University/Institution outside the country may apply for Eligibility Certificate to the Medical Council of India, New Delhi on the prescribed application Form No. 1 along with all relevant documents and fee. The said application form may be downloaded from the MCI website www.mciindia.org.

(Dr. Reena Nayyar)
Secretary (I/c)

List of Centres which will issue Disability Certificates as per benchmark Disabilities given under RPwD Act-2016

S. No.	Name of Disability Certification Centre	City / State	Specialties available for which Disability Certificate can be issued as per category of Disabilities mentioned in Disability Certificate
1	Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjang Hospital (VMMC & SJH)	New Delhi	All Disablities as mentioned in Disability Certificate except Visual disabilities category and Intellectual Disabilities & Behavioural disabilities.
2	All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (AIIPMR)	Mumbai	For Locomotor Disability only
3	Institute of Post Graduate Medical Education & Research (IPGMER)	Kolkata	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
4	Madras Medical College (MMC)	Chennai	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
5	Grant Government Medical College, J. J. Hospital Compound	Mumbai, Maharashtra	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
6	Goa Medical College	Goa	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Speech Disability.
7	Government Medical College, Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram, Kerala	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate. Ophthalmology Tests to be conducted at Regional Institute of Ophtalmology, Thiruvananthapuram under GMC Thiruvananthapuram
8	SMS Medical College	Jaipur, Rajasthan	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except: 1. Neurology- Genetic Testing 2. ENT- Speech & Language Disability Testing Orthopaedics / PMR- Gonitometer Adult, Plumb Line, Hand Dynomometer, Laser
9	Govt. Medical College and Hospital, Sector32	Chandigarh	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
10	Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board	Agartala, Tripura	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
11	Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University	Varanasi, Uttar Pradesh	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Intellectual Disability.

12	Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Bandra, Mumbai	Mumbai, Maharashtra	For Hearing Disabilities only
13	AIIMS, Nagpur	Nagpur, Maharashtra	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
14	Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & RML Hospital (ABVIMS & RMLH) , New Delhi	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except ENT For Visual Disability: Candidates who use LVAs may bring their own LVAs which can be checked.
15	Lady Hardinge Medical College (LHMC) & Associated Hospitals	New Delhi	All Disabilities as mentionedin Disability Certificate
16	All India Institute of Speech and Hearing (AIISH), Mysuru	Mysuru, Karnataka	For Speech & Hearing Disabilities only
17	Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah - 206130	Uttar Pradesh	
18	King George Medical University, Lucknow	Uttar Pradesh	
19	Civil Hospital, Ahemdabad	Gujarat	
20	New Civil Hospital, Surat	Gujarat	
21	PDU Hospital, Rajkot	Gujarat	
22	Assam Medical College, Dibrugarh	Assam	
23	Gauhati Medical College, Guwahati	Assam	
24	Silchar Medical College, Silchar	Assam	
25	Madurai Medical College & Govt. Rajaji Hopsital, Madurai	Tamil Nadu	
26	Coimbatore Medical College Hospital	Tamil Nadu	
27	Thanjavur Medical College, Thanjavur	Tamil Nadu	

28	Zoram Medical College & Hospital Falkawn	Mizoram	
29	Dr Sushila Tiwari Memorial Government Hospital (under Government Medical College, Haldwani)	Uttarakhand	
30	Indira Gandhi Medical College & Hospital, Shimla-171001	Himachal Pradesh	
31	Dr. Rajendra Prasad Govt. Medical College & Hospital, Kangra at Tanda	Himachal Pradesh	
32	Government Doon Medical College, Dekhrakhas Patel Nagar, Dehradun-248001	Uttarakhand	
33	Pt. BD Sharma Post Graduate Institute of Medical Sciences, Rohtak	Haryana	

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092025-266044
CG-DL-E-10092025-266044

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3970] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2025/भाद्र 18, 1947
No. 3970] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2025/BHADRA 18, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2025

का.आ. 4085(अ).—जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए विविध दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है;

और जबकि केंद्रीय सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एतदुपरांत उक्त मंत्रालय के रूप में संदर्भित) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के परामर्श के बाद अपने पत्र संख्या ई.एफ.सं.13(2)/2020-ईजी.II दिनांक 29.07.2025 के तहत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एतदुपरांत उक्त मंत्रालय या उक्त विभाग या उक्त एजेंसी के रूप में संदर्भित), भारत सरकार (एतदुपरांत उक्त सरकार के रूप में संदर्भित) को सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (एतदुपरांत उक्त नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत निर्धारित उद्देश्यों के लिए यह अनुमति दे दी थी कि उक्त सरकार/मंत्रालय/विभाग/एजेंसी को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है और आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (एतदुपरांत

अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के तहत इसे अधिसूचित किया जा सकता है। ।

और जबकि, उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत यथा निर्धारित हां/नहीं या/और ईकेवाईसी प्रमाणीकरण सुविधाओं (एतदुपरांत उक्त उद्देश्य के रूप में संदर्भित) का उपयोग करते हुए उक्त एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा परीक्षाओं के विभिन्न चरणों के दौरान उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा और उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण का प्रदर्शन स्वैच्छिक आधार पर होगा और उक्त मंत्रालय/विभाग/एजेंसी केवल उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण करेगी।

अतः, अब अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त मंत्रालय/विभाग/संस्था के माध्यम से निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1\. 1. अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार मंत्रालय/विभाग/एजेंसी प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

2\. उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है, मंत्रालय/विभाग/एजेंसी आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करेगा और आधार संख्या धारक को आधार के प्रमाणीकरण से इनकार करने या असमर्थ होने पर कोई भी सेवा प्रदान करने से इनकार नहीं करेगा, अर्थात्,

क. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड

ख. पासपोर्ट

ग. मतदाता पहचान पत्र

घ. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।

2\. यह अधिसूचना भारत सरकार के दिनांक 22 अगस्त, 2025 के राजपत्र अधिसूचना संख्या सां.आ. 3867 (अ.) के अधिक्रमण में जारी की जा रही है और यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. वी.11025/06/2025-एमईपी]

विनोद कोतवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2025

S.O. 4085(E).—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Central Government in the Ministry of Electronics and Information Technology (hereinafter referred to as the said Ministry), after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no. e.F.No.13(2)/2020-EG.II dated 29.07.2025 to the National Board of Examination in Medical Sciences (NBEMS), Ministry of Health and Family Welfare (hereinafter referred to as the said Ministry or the said Department or the said Agency), Government of India (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Government/Ministry/Department/Agency may be allowed to perform authentication and be permitted the use of

Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act).

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for verifying identity of candidates during various stages of national level medical examinations conducted by the said agency, using Yes/No or/and eKYC authentication facilities (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Ministry/Department/Agency shall perform the Aadhaar authentication only for the said purpose.

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the Central Government through the said Ministry/Department/entity hereby notifies the following, namely:—

1. 1. The Ministry/Department/Agency, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

2. As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis the Ministry/Department/Agency shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication namely,

a. Permanent Account Number (PAN) card

b. Passport

c. Voter Identity Card

d. Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicle Act, 1988.

2. This notification is being issued in supersession of Gazette Notification No S.O. 3867(E) of Government of India dated 22nd August, 2025 and shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. V.11025/06/2025-MEP]

VINOD KOTWAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड / National Board of Examinations in Medical Sciences
मेडिकल एन्क्लेव, अंसारी नगर / Medical Enclave, Ansari Nagar
महात्मा गांधी मार्ग (रिंग रोड) / Mahatma Gandhi Marg (Ring Road)
नई दिल्ली – 110029 / New Delhi – 110029
उम्मीदवार हेल्पलाइन / Candidate Helpline: +91-7996165333
(सोमवार से शुक्रवार: सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक **/ Monday to Friday:** 09:30AM to 06:00 PM**)**
वेबसाइट / Website : https://natboard.edu.in